Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या १६

गुरुवार ३ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सहकारी, विद्युत, गृह, सिंचाई, पंचायत, वन, खाद्य, यातायात, श्रम, सार्वजनिक निर्माण, विधि तथा कृषि विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीराभाई।

जयपुर नर्सेज स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाली छात्रायें

५६२. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) जयपुर नर्सेज स्कूल में कितनी छात्राएं ट्रेनिंग ले रही हैं?

(ख) उक्त शिक्षा दिलाने के वास्ते सरकार कितना खर्चा करती है?

(ग) क्या इस वर्ष कुछ छात्राओं को उपरोक्त परीक्षा में बैठने से रोका गया है? यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं?

(घ) इन छात्राओं को किन कारणों से परीक्षा में बैठने से रोका गया है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई): (क) ४९।

(ख) बजट पब्लिक हैल्थ नर्सिंग ३२,७५०) रु०, बजट जनरल नर्सिंग ५०,५००) रु०।

(ग) उनके नाम इस प्रकार से है :-

मार्च, १९५९

१. कुमारी सी. डी. अल्यामा।
२. कुमारी मरियामा ओमान।
३. कुमारी के. वी. मरियामा।
४. कुमारी वत्सला छाकरा।
५. कुमारी धन्कामा के. सी.।
६. कुमारी सार्मा वर्गीज।

(श्री भीखाभाई)

७. कुमारी वी. वी. अलीकुट्टी ।

८. कुमारी मोली वेस्केप ।

अक्टूबर १९५६

१. कुमारी सी. डी. अल्यामा ।

२. कुमारी मोली वेस्केप ।

३. कुमारी सार्मा वर्गीज ।

४. कुमारी थन्कामा के. सी. ।

५. कुमारी वी. वी. अलीकुट्टी ।

(घ) पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन कौंसिल के नियमानुसार हर छात्रा को परीक्षा में बैठने से पूर्व एक परीक्षा यहां देनी होती है । उसमें यह असफल रही इसलिए नहीं बैठ सकीं ।

श्री हीराभाई : वे किस आधार से असफल रहीं, ट्रेनिंग तो नहीं बताई...

श्री उपाध्यक्ष : नोट क्लीयर, थोड़ा साफ बोलिये ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Is that directive for both sides or for only one side ?

श्री उपाध्यक्ष : For one side.

श्री हीराभाई : ट्रेनिंग में नहीं बैठने से पहले किस आधार से असफलता मान ली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल टेस्ट होते हैं, ऐसा नियम है कि उसमें असफल रहती हैं, उनको वहां नहीं भेजते हैं ये असफल रहीं इसलिए नहीं भेजा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : किस योग्यता की लड़कियां ली जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैट्रिक्युलेट ।

श्री अर्जुनदास : Is there any age limit fixed for it ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई एज लिमिट नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्नसंख्या ५६४

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५६५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५६६

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५६७

श्री मुरलीधर व्यास ।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५६८

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री भीमसेन ।

निर्माण योजनाएं-राजस्थान नहरक्षेत्र

५६६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर निर्माण का फेज्ड प्रोग्राम क्या है ? निर्माण की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

(२) उक्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में मंडियों, सड़कों तथा रेल्वे लाइनों की क्या योजनाएं हैं ? अगर अब तक कोई योजनाएं नहीं बनाई गई हों, तो कब तक योजना बनाने व उन्हें क्रियान्वित करने का इरादा है ?

(३) क्या उक्त क्षेत्र में भूमि के अलॉटमेंट के हेतु रूल्स बनाए जा चुके हैं ? अगर हां, तो कॉलोनाइजेशन का काम कब से शुरू कर दिया जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): इसका जवाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देंगे अपनी टर्न पर ।

श्री भीमसेन : जवाब की कॉपी मेरे पास आ चुकी है आपके पास कैसे नहीं आया ।

श्री रामकिशोर व्यास : भेज दी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सहायक निरीक्षक, पंचायत विभाग, उदयपुर की अपदस्थगी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

1. Is it correct that Shri Brijmohan Agarwal, Assistant Inspector, Panchayat, Udaipur Division was dismissed from service by the Chief Panchayat Officer ? If so, what were the charges against him and whether he was served with any charge sheet ?

2. Is it also correct that the notice of his dismissal was published in the Gazette ?

3. Is it also correct that the Chief Panchayat Officer has subsequently reappointed Shri Brijmohan on the same post ? If so, on what date the orders of reappointment were issued and who passed these orders ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, श्री बृजमोहनलाल के विरुद्ध निम्न आरोप पाये गए थे :—

(क) कि उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार किया ।

(ख) कि उन्होंने विभागीय आदेशों की जो समय समय पर प्रसारित किये गये अवहेलना की और पंचायत के रेकॉर्ड को बिना

Page No 4

(श्री दौलतराम सारण)

रसीद दिये पंचायत से ले आये और साथ ही पंचायतों के लिये सामान क्रय करने में उन्होंने अनावश्यक दिलचस्पी ली।

(ग) कि उन्होंने पंचायत, गैंजी के लेखक को तंग किया और उससे चाय, सिगरेट, पान आदि मंगवाये। उन्होंने घी व चावल बिना रकम की अदायगी के लिए।

(घ) कि उन्होंने अपने कर्त्तव्योंका पालन नहीं किया।

(च) कि उन्होंने दूध, भोजन, चाय इत्यादि का दौरे के समय द्रव्य नहीं चुकाया और इसकी रकम सरपंच को भुगतनी पड़ी।

(छ) कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अवैधानिक तौर पर दंड की रकम श्री गंगाराम होटल वाले से वसूल करवाई और स्वयं ने रखी।

(ज) कि उन्होंने पंचायत, जासपुरा के रेडियो को अपने निजी कार्य में लिया।

२. जी हां।

३. उनकी दुबारा नियुक्ति नहीं की गई। उनको उसी पद पर भूतपूर्व संचालक, पंचायत द्वारा दिनांक ५ मार्च, १९५९ से बहाल किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : बहाल किया गया? रीइन्स्टेटेड?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : On what grounds?

श्री दौलतराम सारण : किस्सा ऐसा था कि उसने माफीनामा लिख कर दिया और आयन्दा ईमानदारी से काम करने का विश्वास दिलाया, इस पर रीइन्स्टेट किया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार यह समझती है कि माफीनामा देने पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्जेज ऐसे सीरियस नहीं हैं और उसने आयन्दा के लिये विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की घटना नहीं होगी।

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government be prepared to adopt the same procedure in cases of other employees who have been dismissed on similar charges?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत से केसेज में होता है। In so many cases this has been done.

श्री पी० के० चौधरी : I am asking for policy decision. If any person apologises and guarantees that in future he will not misbehave like that, will this facility be granted to him also?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसको सस्पेन्ड रखा गया और उस समय की उसके बाद में पे भी नहीं दी गई। इसके बाद यह देखा गया कि this is sufficient punishment उसके दो ग्रेड इन्क्रीमेंट रोके गये।

Page No 5

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सही है कि वे बरख्वास्त कर दिये गये थे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : माफी मांगने का नियम किस कानून के अन्तर्गत आता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट को उसने अपील की और उसकी दो ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकी गई, बाद में इसको वार्निंग देकर रखा गया है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माफीनामा क्या था ? क्या उसने अपनी गल्तियों को मंजूर किया और उसके खिलाफ क्या चार्जेज थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्जेज यह हैं कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही नहीं है कि जब उसको डिसमिस किया गया था तो उसके बाद में उसने अपील की ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हो सकता है कि वह छुट्टी की दरख्वास्तें देता रहा हो और बाद में यह फोर्मल कार्यवाही हुई हो ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि अपील के एक्सेप्ट होने से पहले कोई उस केस को रीकन्सीडर नहीं कर सकता ।

श्री भीमसेन : अपील में कोई जाए और अपील मंजूर हो जावे तो अपील एक्सेप्ट करनेवाला ही उसको रीइन्स्टेट करने की आज्ञा दे सकता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट के पास उसने अपील की थी ।

श्री भीमसेन : जहाँ तक मेरी जानकारी है सी. पी. ओ. ने उसको बहाल किया है । अगर आपके पास ऑर्डर की कॉपी हो तो कॉपी बतावें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां से....

श्री दयाकृष्ण विजय : जब उसने अपील किया और दुबारा उसको बहाल किया गया तो अपील में उसको आपने बहाल किया होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था । सी. पी. ओ. ने दिया है मैंने यह नहीं कहा कि हमने उसको रीइन्स्टेट करने का ऑर्डर दिया था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह मामला कब आपको रेफर किया गया था और कौन सी तारीख को ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि रीइन्स्टेट करने का ऑर्डर तो सी. पी. ओ. ने ही दिया है ।

एक माननीय सदस्य : आपने बताया कि गवर्नमेंट के इनिशियेटिव पर दिया है. .

श्री अर्जुनदास : What are the terms of that apology letter ? This supplementary was put and the Hon'ble. Member tried to evade it successfully-

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have already answered this.

Page No 6

श्री उपाध्यक्ष : No, whether the apology was tendered at all.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is may information and I have already Submitted it.

श्री अर्जुनदास : The House wants to know what are the terms of that apology ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You put in another question,

श्री भीमसेन : हमारी जानकारी है कि कोई एपोलोजी नहीं मांगी है।

प्रश्न संख्या ५७१।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट।

गंगानगर में चने की खरीद तथा निकासी

५७२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) **:** क्या खाद्य मंत्री निम्नालिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष सरकार ने गंगानगर से कुल कितना मन चना, किस भाव में खरीदा तथा वह कहां कहां, किस भाव में भेजा गया ?

(२) जयपुर में इसमें से कुल कितना चना वितरण के लिए, किस किस को, किस आधार पर बेचने के लिए दिया गया ?

(३) इस चने में से कितना मन चना दाल बनाने के लिए दिया गया ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) इस वर्ष सरकार ने कुल ६३,४६८ मन चना १०,) रु० प्रति मन के भाव से खरीदा है तथा इस चने में से हमने अभी कहीं भी नहीं भेजा है।

(२) जी नहीं, अभी तक जयपुर में गंगानगर से चना भेजा ही नहीं गया तो वितरण के लिए दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि अभी तक गंगानगर से चना कहीं भेजा ही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कौन सी तारीख से कौन से साल तक रहता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अप्रेल से शुरू होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके बीच में क्या जयपुर में चना नहीं भेजा गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अप्रेल से कोई चना नहीं भेजा गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जो चना इकट्ठा किया गया है उसकी वितरण करने ने की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने जो चना खरीदा है वह वहीं है।

Page No 7

श्री मुरलीधर व्यास : जो चना खरीदा गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या व्यवस्था रहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आगे की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : बाहर भेजा जावेगा या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाहर भेजने की बात नहीं है। यह तो आवश्यकता की बात है। अभी तो इसको खरीदा है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

मोटर मजदूर सहकारी समिति, बूंदी द्वारा बूंदी जैथल रूट हेतु दिया गया आवेदन पत्र

५७३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मोटर मजदूर सहकारी समिति, बूंदी ने बूंदी से जैथल रूट पर परमिट प्राप्त करने की कोई दरख्वास्त दी थी ?

(ख) क्या इस रूट पर और किसी ने दरख्वास्त दी थी ?

(ग) यहां परमिट देते समय सहकारी समिति को प्राथमिकता का सिद्धान्त क्यों नहीं माना गया ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस मार्ग पर पर्मानेन्ट परमिटों के प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं, अतः प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह कहा कि यह जो पर्मानेन्ट परमिटों का मामला विचाराधीन है तो फिर आपने जो टेम्पोरेरी परमिट दिये हैं वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्यों नहीं दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कोऑपरेटिव सोसाइटी मजदूरों की थी व मोटर के काम करने वालों की थी जिसमें ड्राइवर आदि थे उन्होंने परमिट मांगा था उनको न देकर दूसरों को दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर चार एप्लीकेन्ट थे। एक कोलिया वाले मजदूर, दूसरा राजस्थान मजदूर कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि जिसमें एक मोटर मजदूर भी शामिल थे। इसमें से दो के पास आलरेडी परमिट है और इनको जो परमिट टेम्पोरेरी दिया गया है वह तीन महीनों के लिए दिया गया है। अब परमानेन्ट का प्रश्न विराराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मोटर मजदूर सहकारी समिति को दिया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले ही अर्ज किया कि उनको नहीं दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मजदूर लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर दूसरे लोगों को क्यों दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको दिया गया है वह भी मजदूरों की ही सहकारी समिति है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह भी बिल्कुल मजदूरों की थी जिसमें मोटर ड्राइवर आदि थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मजदूरों की थी।

श्री मुरलीधर व्यास : मोटर मजदूर उसी क्षेत्र में काम करनेवाले हैं दूसरे लोग कोई कपड़े का धन्धा करता है तो दूसरा किसी और का।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें भी ऐसे मजदूर हैं।

प्रश्न संख्या ५७४

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। महाराज श्री हुक्मसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका डूंगरगढ़ द्वारा जमीन का विक्रय

५७५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने डूंगरगढ़ (चूरू) नगरपालिका को दि. २५ ११-५६ को जमीन की बिक्री न करने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन हुआ या नहीं ? और नहीं, तो क्यों ?

(ख) आदेश देने के बाद में नगरपालिका ने कितनी जमीन, किस किसको, किन किन रेटों पर दी ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) आदेश का उल्लंघन करने पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) दिनांक २५.११.५६ को डूंगरगढ़ नगरपालिका को जमीन विक्रय न करने के सम्बन्ध में आदेश दिये थे और उन आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रखवा दी जावेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : जमीन नहीं बेची गई तो फिर यह आदेश देने का प्रश्न क्यों उठता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर यह दिया गया था कि जो लैन्ड म्युनिसिपेलिटी में वेस्ट करती है उसको सेल नहीं किया जावे। ऐसा नहीं किया गया इसलिये उस ऑर्डर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ऑर्डर निकला है उसमें यह लिखा है कि जमीन किसी को नहीं दी जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर यह था कि lands vesting in the Municipal Board should not be sold That wasin the telegram. और उसकी compliance की गई।

Page No 9

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास ऑर्डर की कॉपी है तो आप उसको पूरी पढ़ दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे को याद है वह मैंने आपको बता दिया है। Lands vesting in the Municipal Board should not be sold.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पास जो नकल है उसके अनुसार उसको बेच भी नहीं सकते। आप इसको स्पष्ट पढ़ दीजिये आपको मालूम हो जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जो टेलीग्राम देखा है उसमें साफ लिखा है। lands vesting in the Municipal Board shou'd not be sold,

आपके पास हिन्दी की नकल है इसलिये उसका टेक्नीकल रूप में....

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पास सारा है, उसमें साफ लिखा है-construction should not be allowed. फिर जमीन बेच दी गई। दो तीन आने के दर से, मनमाने तरीके से। यह एक तरह का भ्रष्टाचार है जो बहुत बुरी चीज है। इसलिये इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे तो साफ रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तार यह है : "Pending further instructions no land vesting in the Municipal Board should be sold. If already sold, pattas should be withheld. Similarly construction should not be allowed. Further instructions would follow" इसमें मैंने कहा है कि वेस्टेड लैंड नहीं बेची है।

श्री अर्जुनदास : How about subsequent two clauses, that pattas should not be issued and construction should not be allowed ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This all relates to vested lands and no pattas have been issued for vested lands. Therefore, the question does not at all arise.

श्री मुरलीधर व्यास : म्युनिसिपैलिटी के अन्दर की जो लैंड है उसको न बेचने और कंस्ट्रक्शन न करने के आदेश दिये हैं जिनको कि भंग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, he says that the property vested in the Municipal Board has not been sold. It is the land other than the Municipal land which has been sold.

श्री अर्जुनदास : Does the hon'ble Minister suggest that the land in question did not belong to ths Municipality?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes Sir, that is correct.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

औषधालय पाली का 'ए' श्रेणी में परिवर्तन

५७६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पाली के 'बी' श्रेणी के औषधालय को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए सरकार इरादा रखती है ?

(ख) यदि हां, तो इस इरादे को अमली रूप देने में क्या रुकावटें आई हैं ?

(ग) क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेंगी कि जिस भवन में वर्तमान औषधालय चल रहा है, वह पूरा भवन यदि आयुर्वेदिक औषधालय को दे दिया जाये तो वर्तमान औषधालय को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए कितना समय लगेगा ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्री मीलाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित रुकावटें आई हुई हैं:-

(१) वर्तमान औषधालय भवन का आधा हिस्सा अन्य विभागों के आधीन है जो समस्त औषधालय के लिये आवश्यकीय है ।

(२)१५ रोगशय्याओं आदि के साथ साथ न्यूनतम ५,०००) रु० की राशि के फर्नीचर की व्यवस्था जनता से अपेक्षित है ।

(ग) प्रश्न 'ख' के ऊपर में दर्शायी गई व्यवस्था पूरी होने पर शीघ्र ही औषधालय को 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार यह ठीक समझती है कि पांच हजार की व्यवस्था होने पर उसको 'ए' श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान की व्यवस्था हो जायगी तब ?

श्री मूलचन्द डागा : जो डिस्पेन्सरी का मकान है दूसरे विभाग ने ले लिया है वह खाली कराया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी ओर से कार्यवाही चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

कारागृह कोटपुतली के बन्दी :

५७७. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटपुतली, सब डिविजन शाहपुरा बैराठ तहसील के कैदियों को कोटपुतली जेल में न ले जाकर जयपुर लाया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि कोटपुतली ले जाने में व रखने में और जयपुर लाने व रखने से कम खर्चा होता है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां । यह सही है ।

(ख) दूरी के लिहाज से लेजाने में अवश्य कम खर्चा हो सकता है । रखने के खर्चे में कोई अन्तर नहीं आता ।

Page No 11

श्री रामकरणसिंह: शाहपुरा से जयपुर ले आने में और शाहपुरा से कोटपूतली ले जाने में गवर्नमेंट को नुकसान होता है, फायदा करना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : शाहपुरा से जयपुर लाने में कम खर्चा है और कोटपुतली ले जाने में ज्यादा खर्चा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनीपार्क, जयपुर

५७८. श्री मुलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : Will the Minister-in-charge of Co-operative Department be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that a deputation of the members of the Sindhi Housing Co-operative Society Ltd., Bani Park, Jaipur, had waited on the Minister for Co-operative Department on 7. 1. 1959 ?

(b) Whether it is a fact that the said deputationists had subbmitted a Memorandum of Complaints about serious illegalities, frauds and mismanagement of the said Society on 7. 1. 1959 ?

(c) Whether it is a fact that the Minister for Co-operative Department had called for a report on that memorandum from the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan.

(d) If yes, whether the Registrar has submitted his report to the Government ? If not, why ?

(e) If the reply to (d) is in the affirmative, What action do the Government propose to take on that report ?

उपमन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (ए) जी हां।

(बी) जी हां।

(सी) जी हां।

(डी) रिपोर्ट दिनांक २-६-५६ को प्राप्त हुई है।

(ई) रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रार्थना पत्र दिया था ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास क्या कोई डेपुटेशन भी नहीं मिला ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर दिया था कि जी हां मिला था।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या प्रार्थना-पत्र रखा था।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा कि क्या कम्प्लेन्ट की ? मैंने कहा कि जी हां, आपने कहा डेपुटेशन मिला या नहीं ? मैंने कहा जी हां। आपने पूछा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को भेजा ? मैंने कहा कि जी हां। रिपोर्ट २-९-५६ को प्राप्त हुई है और रिपोर्ट विचाराधीन है।

Page No 12

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

भारत सरकार द्वारा पाली में मजदूरों के निवास हेतु निर्मित मकान

५७६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार की ओर से मजदूरों के लिये जो निवास के मकान पाली में बने हैं, वे किराये पर दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कुल कितने ?

(ख) क्या उन मकानों में बने हुए चूल्हों के बाबत में मजदूरों की कोई शिकायत है ? यदि हां, तो सरकार इस शिकायत को मिटाने का क्या उपाय सोच रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसका सम्बन्ध प्लानिंग डिपार्टमेंट से है ।

श्री उपाध्यक्ष : We postpone it.

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पाली

५८०. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली की राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संस्था रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) उक्त संस्था की कार्य समिति के कितने पदाधिकारी हैं और वे कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) उक्त संस्था की सदस्य संख्या कुल कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां, २० सितम्बर, सन् १६५४ से ।

(ख) २१ पदाधिकारी हैं । सूची संलग्न है ।

(ग) कुल ४५७, जिसमें ४२७ मर्द और ३० औरतें हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मूलचन्द डागा : संख्या दी है वह कब की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सदस्य संख्या जो है वह ५७—५८ के अनुसार है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सरकार को मालूम है कि २१ जून, ५६ को नये पदाधिकारी हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लेटेस्ट इन्फोर्मेशन हमारे विभाग में थी वह मैंने आपको दी है लेकिन यदि आपके पास और कोई इन्फोर्मेशन हो तो उसको कलेक्ट कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

शाहबाद दरवाजे से रेस्ट हाउस, शाहबाद तक पक्की सड़क का निर्माण

५८१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद दरवाजे से रेस्ट हाउस, शाहबाद तक एक फर्लांग सड़क का टुकड़ा पक्का बनने से अभी तक बाकी है ?

Page No 13

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस हिस्से को पक्का बनवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तथा (२) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या विचार नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार है जब ही 'जी हां' कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें डिफिकल्टी आ रही है, यदि आप सोल्व कर सकें...

श्री उपाध्यक्ष : No, I have taken another question. Difficulty may be solved in the chamber.

Yes, Shri Bhairon singh

नगरपालिका, सुजानगढ़ के विरुद्ध श्री मदनलाल झंवर द्वारा सड़क निर्माण सम्बन्धी की गई शिकायत

५८२, श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर श्री जगदीशप्रसाद माथुर सीकर) : द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि श्री मदनलाल झंवर, सुजानगढ़ ने सुजानगढ़ नगरपालिका के विरुद्ध माह जून, सन् १६५६ में एक सड़क के निर्माण सम्बन्धी शिकायत सरकार को की है ?

(२) क्या यह सही है कि इस शिकायत में इस बात का उल्लेख भी है कि कॉन्ट्रेक्टर ने शर्तों के अनुसार सड़क के निर्माण का काम नहीं किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण का ठेका इस ठेकेदार से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया था और उसकी रकम भी जमा कर ली गई थी ? यदि हां, तो यह ठेका कैन्सिल क्यों किया गया था ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हाँ। शिकायत में जो उल्लेख है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) पहले किसी भी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया गया था। केवल टेन्डर आमन्त्रित किए गए थे और टेन्डरों के साथ अर्नेस्ट मनी जमा की गई थी।

(४) जी हां। अध्यक्ष महोदय ने प्रादेशिक निरीक्षक को लिखित में यह आश्वासन दिया है कि जब तक एग्रीमेंट के अनुसार निर्माण कार्य सम्पूर्ण नहीं होगा उस समय तक बकाया रकम का पेमेंट नहीं किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

Page No 14

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सवाल यह है कि सड़क बन गई और सामान कम रहा तो क्या दुबारा कोटिंग करवायेंगे?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यदि दुरुस्ती नहीं करता है तो उसको बकाया पेमेन्ट नहीं किया जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या पेमेन्ट रोक दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, निवेदन कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

बाल सुधारक कारागृह

५८३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

राजस्थान में बाल सुधारक जेलें कितनी हैं व उनमें कुल कितने बालक हैं ? प्रति वर्ष उन पर सरकार का कितना व्यय होता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : राजस्थान में केवल एक बाल सुधारक जेल टोंक में स्थित है जो जनवरी, सन् १९५७ में कायम हुआ है। उसमें ६६ बाल बन्दी हैं। इस पर सरकार का प्रतिवर्ष निम्न प्रकार व्यय हुआ:—

१९५७-५८	३९,४६३) रु०
१९५८-५९	५,४१९९) रु०

श्री मूलचन्द डागा : क्या इस प्रकार के बाल सुधार केन्द्र और भी जगह खोलने का इरादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक तो कोई इरादा नहीं है।

प्रश्न संख्या ५८४

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

बहुउद्देशीय समिति, मोहनपुरा (किशनगढ़) की रकम का गबन तथा दुरुपयोग

५८५. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर—श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि मोहनपुरा (किशनगढ़) बहुउद्देशीय सोसाइटीमें सोसाइटी की रकम का गबन एवं दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो कितना कितना और किस किस प्रकार का ?

(२) क्या यह सही है कि इस मामले की कोई जाँच हुई है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा और इसका क्या नतीजा निकला ?

(३) रिपोर्ट आनेके पश्चात् किस किस व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, ४,०१३ रु० ८ नये पैसे।

निम्न प्रकार का :

१. हिस्सों व फीस की रकम ७३१ रु०

(श्री दौलतराम सारण)

२. ऋण की वसूली १७६७ रु०, ८१ नये पैसे।

३. पोते की रकम १,४८७ रु०, २७ न. पै.।

(२) जी हां, जुलाई, ५६ में श्री शान्ति-प्रसाद जैन निरीक्षक द्वारा जिसके अनुसार उपरोक्त रकम का गबन पाया गया।

(३) श्री प्यारेलाल खजान्ची के विरुद्ध जिन्होंने यह रकम गबन की है, मामला पुलिस में दे दिया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मामला अदालत में चालान किया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : पुलिस में देने की इत्तिला है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब गबन पाया गया और कब पुलिस को दिया गया? कब से यह पेन्डिंग है?

श्री दौलतराम सारण : श्री शान्ति-प्रसाद जैन ने ३१-७-५६ को अपनी रिपोर्ट पेश की और सहायक रजिस्ट्रार ने ५-८-५६ को आदेश दिये कि प्यारेलाल से वसूल किये जायं। सब कोशिश बेकार होने पर यह कार्यवाही की गई।

श्री मूलचन्द डागा : गबन की कार्यवाही समितियों में बढ़ती ही जा रही है तो क्या सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Mool Chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा : गबन की कार्यवाही समितियों में बढ़ती ही जा रही है और रोज सदन में दो चार ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, तो क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया है ?

श्री दौलतराम सारण : जहां तक सरकार का प्रश्न है, उनका इन्स्पेक्शन और ऑडिट करवाते हैं सुपरविजन होता है। माननीय सदस्य ऐसी समिति का ही प्रश्न पूछते हैं जिनमें गड़बड़ी हो। (हंसी) १२ हजार के करीब सहकारी समितियां जो कि अच्छा काम कर रही हैं ....

श्री पी० के० चौधरी : आपका क्या अन्दाज है कितना परसेन्टेज गबन बढ़ रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई परसेन्टेज नहीं बढ़ रहा है। करीब २५ समितियों में गबन हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया गया है कि गबन पाया गया और पैसा वसूल करने की कोशिश नहीं की। जब गबन साबित होगया तब मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारिता का कानून बना हुआ है उसके अनुसार रकम वसूल करने की कोशिश की जाती है। पहले मेनेजिंग कमेटी को कहा जाता है वह कोशिश करती है फिर विभाग प्रयत्न करता है इस तरह से इसके लिये कायदा बना हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

Page No 16

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब गबन का मामला सिद्ध हो गया तो आपको मुकदमा चलाना चाहिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : पैसे वसूली के के मामलों को इतना देरी से चलाना और फिर गबन करने वाले से पैसा वसूल होजाय तो कोई कार्यवाही नहीं करना यह कहां तक ठीक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे मामलों में रकम दे देता है तो भी केस चलता और नहीं देता है तो भी केस चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकरणसिंह।

पावटा-कोटपूतली मार्ग से कल्याणपुरा खुर्द को सड़क द्वारा मिलाना

५८६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार तहसील कोटपुतली में पावटा-कोटपुतली मुख्य सड़क से कल्याणपुरा को खुर्द केवल १ मील का टुकड़ा बना कर मिलाने के लिये तैयार हैं।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं, ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस बारे में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी ने रिपोर्ट भेजी है, यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी ऐसी अर्जी हमारे विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मैंने आपके विभाग में ये चीजें देखी हैं।

प्रश्न संख्या ५८७.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा माहीनदी रपट निर्माण हेतु दिया गया ठेका

५८८. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) बांसवाड़ा माही नदी रपट निमाण हेतु किन किन ठेकेदारों को किस किस शर्त पर ठेका दिया गया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि माहीनदी रपट निर्माण के मजदूरों का चुकारा अब तक बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त रपट पानी के बहाव से टूट गई थी ? यदि हां, तो उक्त रपट फिर से किसके द्वारा बनवाई गई और कितना खर्चा सरकार को फिर से उठाना पड़ा ? क्या उक्त कार्य को पूरा करने की मन्जूरी सरकार से ले ली गई थी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : श्री अल्लाबख्श नूर मोह-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

म्मद को संलग्न परिशिष्ट की शर्तों के अनुसार।

(ख) इस विभाग को इस समय तक ऐसी कोई शिकायत की सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं, केवल प्रवेश मार्ग (एप्रोचेज) को बाढ़ के कारण कुछ क्षति हुई थी। श्री कालू कासम ठेकेदार द्वारा लगभग १०,००० रुपये। सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मोगजी भाई : इस प्रकार की रपट देने का कौन जिम्मेदार है? नुकसान की रपट देने का किस विभाग का काम है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जिम्मेदारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की है।

श्री मोगजी भाई : तो यह नुकसान हुआ इसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन जितने नुकसान की आप कह रहे हैं उतना नहीं है।

श्री मोगजी भाई : जिस ठेकेदार द्वारा पुल बनवाया गया वह ठेकेदार हमेशा के लिये जिम्मेदार रहता है तो ऐसी हालत में आपने पेमेंट कर दिया उस नुकसान की वसूली तो उससे करनी चाहिये। इस प्रकार की शर्त भी रखी जाती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : शर्त के मुताबिक ही कार्य किया है। उसके काम करने के बाद हमने सम्भाल लिया। उसने शर्तों के अनुसार ही कार्य किया है।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि उसने उसमें मिट्टी बहुत डाल दी थी इसलिए यह नुकसान हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रेत ज्यादा नहीं मिलायी, स्पेसिफिकेशन मुताबिक ही कार्य किया गया है।

पुलिस विभाग के कॉन्सटेबल्स तथा हैड कॉन्सटेबल्स के कर्त्तव्य तथा उनकी वेतन श्रृंखला

५८६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर—श्री तनसिंह (बाडमेर) द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :।

१. पुलिस विभाग में कॉन्सटेबल्स व हैड कॉन्सटेबल्स का क्या ग्रेड है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं?

२. क्या यह सत्य है कि हैड कॉन्सटेबल को सब-इन्सपेक्टर, पुलिस की अदम मौजूदगी में मर्डर जैसे केसों का इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है?

३. क्या सरकार के ध्यान में है कि हैड कॉन्सटेबल का कार्य काफी जिम्मेवारी का होते हुए भी उनके व सब-इन्सपेक्टर के ग्रेड में काफी अन्तर है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): १. पुलिस विभाग में कॉन्सटेबल व हैड कॉन्सटेबल का ग्रेड इस प्रकार है— हैड कॉन्सटेबल ४०—१—४५—२—५५ कॉन्सटेबल, ३०—१—५०. हैड

Page No 18

(श्री रामकिशोर व्यास)

कॉन्सटेबल एवं कॉन्सटेबिल की ड्यूटी इस प्रकार है: वारंट की तामील तथा एस्कोर्टगार्ड। खतरनाक सड़कों व दूसरे इलाके में गश्त जहां अपराधी की रोकथाम व बरामदगी के कारण आवश्यक हो। भीड़ व यातायात पर नियन्त्रण करने एवं उच्च अधिकारी की आज्ञा से अशान्ति एवं दंगों को दबाने में उनका उपयोग होता है। उन्हें कोई विशेष सूचना प्राप्त करने को नियुक्त किया जाता है एवं सब-इन्सपेक्टर के साथ तफतीश में गवाहों को बुलाने एवं गिरफ्तार करने एवं निगरानी रखे जाने वालों की देखभाल के लिये नियुक्त किया जाता है। शराबखोरी एवं दुराचार को रोकने के लिये वे मेलों में नियुक्त किये जाते हैं। हैड कॉन्सटेबल थानों में मुंशीगिरी का भी काम करता है और रिटर्न व रजिस्टर को तैयार करता है।

वे जिन्होंने ५ वर्ष से अधिक दिन कार्य कर लिया है, तफतीश के लिये भी प्रयुक्त होते हैं।

२. जी हां, यदि सब-इन्सपेक्टर या जूनियर सब-इन्सपेक्टर बीमार हो या अपने हल्के से अनुपस्थित हो।

३. वेतन का अन्तर सरकार के ध्यान में है किन्तु हैड कान्सटेबल एवं सब-इन्सपेक्टर के कर्त्तव्यों में भारी अन्तर है।

बांसवाड़ा से सागवाड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण

५६०. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से सागवाड़ा तक पक्की सड़क के निर्माण की ८ लाख रुपये की सरकार ने योजना बनाई थी? यदि हां, तो क्या उसमें नदी माही की पुलिया भी सम्मिलित है?

(ख) अगर हां, तो अब तक कितनी मील तक सड़क बन पाई है?

(ग) उक्त सड़क निर्माण का ठेका किस ठेकेदार को किन किन शर्तों पर दिया गया था?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। १२ मील तो पूरी हो चुकी है बाकी पर कार्य चालू है।

(ग) श्री दलीपसिंह जीतसिंह को निम्नांकित शर्तों पर ठेका दिया गया है—

(१) कार्य दिनांक १-३-५८ से प्रारम्भ कर दिनांक ३१-८-६० तक समाप्त करना।

(२) दरें बी परिशिष्ट से २० प्रतिशत से ऊपर।

(३) कार्य निर्माण विभाग के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार करना।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

कोतवाली, सीकर में दायर हुए चोरी के मामले

५६१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या मंत्री, गृह विभाग निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 19

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(१) १ जून, सन् १९५८ से जुलाई, सन् १९५९ तक प्रति माह कोतवाली, सीकर में चोरी के कितने मामले दायर हुए तथा कितने मामलों में माल बरामद हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इन दिनों चोरी के साथ साथ गुण्डागर्दी की घटनायें भी सीकर में बढ़ रही हैं ?

(३) पिछले साल भर में सीकर कोतवाली से कितने इन्चार्जों की बदली हुई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) दिनांक १ जून, सन् ५८ से ३१ जुलाई, सन् ५९ तक के समय में पुलिस स्टेशन कोतवाली, सीकर में दर्ज किये गये चोरी के मामलों का तथा उन मामलों का जिनमें माल बरामद हुआ विवरण निम्न प्रकार है :—

माह	दर्ज किये गये मामले	मामले जिनमें माल बरामद किया गया
जून	३	—
जुलाई	३	१
अगस्त	३	१
सितम्बर	२	—
अक्टूबर	३	—
नवम्बर	१	१
दिसम्बर	५	—
जनवरी	४	२
फरवरी	६	—
मार्च	६	—
अप्रेल	२	—
मई	६	६
जून	३	१
जुलाई	३	—

(२) जी नहीं ।

(३) केवल दो ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : भाग दो का जो उत्तर दिया 'जी नहीं', यह किस आधार पर दिया, जबकि हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : अधिकारियों को पूछ करके ही जवाब दिया गया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने जो चोरियों के आंकड़े बताये हैं उनमें आखिरी महीनों में चोरियां बढ़ी हैं इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो हुई वह मैंने आपको बता दी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : चोरियों की संख्या बढ़ी है किन्तु बरामदगी बहुत कम हुई इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास: बरामदगी कम है

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : चोरियां की संख्यां बढ़ी है, बरामदगी नहीं हो पारही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : चोरियां नहीं बढ़ी है, बरामदगी कम हुई है यह सही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह ।

सहकारी बैंक भरतपुर

५९२. श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will the Minister for Co operatives please state:

1. Is there a Board of Directors of the Co-operative Bank at Bharatpur? if so, is it elected or nominated; especially the Vice Chairman and office bearers of the Board?

2. A When did the election take place? And if no election was held, why?

3. Did the Registrar, Co-operative Societies grant extension to the Vice Chairman or nominated him without issuing a notification to hold elections?

4. For how long is the Vice-Chairman and the office bearers of the Board continuing without elections, and why?

उप-मन्त्री सहकारी (श्री दौलतराम सारण): जी हां। बोर्ड निर्वाचित होता है परन्तु इसके दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते है और भरतपुर के जिलाधीश इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वाइस चैयरमैन और अवैतनिक मन्त्री बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं।

(२) २३, मई, सन् १९५९ को।

(३) जी नहीं। बल्कि उपनियम ३३ के अनुसार वाइस चेयरमैन को संचालक मंडल का सदस्य बने रहने की अनुमति प्रदान की।

(४) चुनाव प्रतिवर्ष होता है। अतः बिना चुनाव के रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मुन्सिफ न्यायालय, बांदीकुई

५९३. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई—श्री श्रीभानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया): will the Law Minister be be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that in the absence of a suitable Court Building, the Court of Munsif Bandikui has to function in old Haveli type building, which is also used as a residence for the Munsif?

(b) Is the Government also aware that the absence of suitable Court Building is causing inconvenience to the staff, the Bar and the public?

(c) If so, will the Government take early steps for providing suitable Court Building for the Munsif's Court at Bandikui?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) A new court building is proposed to be constructed at Bandikui as early as funds are available.

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर में कृषि बीज सम्बन्धी रकम की वसूली

५९४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर— श्री तनसिंह (बाडमेर) द्वारा पूछा गया): क्या

Page No 21

(श्री तनसिंह)

कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

जिला जालोर में कृषि बीज सन् १६५७-५८, १९५८-५६ व १९५९-६० तक किन किन शख्सों में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इस वसूली मुतल्लिक क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : जालोर जिले में १६५७-५८, १६५८-५६ वर्षों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों में बीज बकाया है उनकी सूची संलग्न है। चालू वर्ष की सूची अगले साल बनाई जावेगी।

जिन व्यक्तियों में बीज बकाया रह जाता है उनके नाम सम्बन्धित जिलाधीश व तहसीलदारों को वसूली करने को हर वर्ष भेज दिये जाते हैं।

(सूची अत्यधिक बड़ी होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बीज तो मिट्टी में चला गया होगा।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : He is not serious. Need not be replied. Yes, Shri Prithvi Raj Patel.

निरीक्षक, सहकारी विभाग

५६५. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर-मु.) क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सहकारी विभाग में ३१ मार्च, १६५६ को कितने प्रकार के निरीक्षक किस किस श्रेणी में कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक निरीक्षक (ऑडिटर्स) को किसी भी स्थान पर उन्नति नहीं दी गई ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (क) (१) निरीक्षक प्रथम ग्रेड (एग्जीक्यूटिव) ११

(२) निरीक्षक द्वितीय ग्रेड (एग्जीक्यूटिव) १६५

(३) निरीक्षक प्रथम ग्रेड (ऑडिट) २

(४) निरीक्षक द्वितीय ग्रेड (ऑडिट) १६०

(५) निरीक्षक अंतिम ग्रेड (ऑडिट) १

(ख) जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

पाली-नाडोल बस सर्विस रूट में ग्राम बूसी को सम्मिलित करना

५६६. श्री बेनाराम गहलोत (सोजत) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पाली-नाडोल बस सर्विस के रूट में बूसी गांव को मिलाने की मांग तीन वर्षों से जनता द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि पाली-खीमाडा बस सर्विस का समय बदलने के लिये रूट की

Page No 22

(श्री बेनाराम गहलोत)

पंचायतें तीन वर्षों से मांग कर रही हैं ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई है ।

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पाली-नाडोल मार्ग में बूसी गांव को मिलाने के लिये पंचायत देसूरी से सन् १९५७ के जून मास में मांग की गई थी। इस पर मोटर वेहिकल सर्कल इन्सपेक्टर, पाली की रिपोर्ट आने पर प्रश्न रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जोधपुर की बैठक में रखा गया। उस समय इस प्रश्न पर ऐतराज हुए।

उस पर यह आदेश हुआ कि यह प्रश्न खोड-देसूरी मार्ग जो एक नया मार्ग है उसके साथ रखा जाय। यह प्रश्न अभी रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जोधपुर के विचाराधीन है।

(२) तहसील पंचायत, देसूरी व पंचायत टावाला द्वारा सन् १९५८ में इस मांग की गई जिसमें दोनों पंचायतों के अलग अलग समय लिखे हैं। मोटर वेहिकल सर्कल इन्सपेक्टर, पाली की रिपोर्ट है कि श्री रामनिवास परिहार, बूसी द्वारा जो समय दिया गया है वह उस गांव की जनता के हित में नहीं है। अभी यह रास्ता बरसात के कारण बन्द है। मार्ग चालू होने पर वापिस तालमेल बैठा कर तय कर दिया जावेगा जो अलग अलग पंचायतों के हित में हो।

श्री बेनाराम गहलोत : बूसी को मिलाने का निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचाराधीन है और सब लोगों के हक में होगा ऐसा फैसला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम थारला-खेडली, तहसील दीगोद, जिला कोटा में पुराने बान्ध का जीर्णोद्धार

५९७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या ग्राम थारला-खेडली, तहसील दीगोद (कोटा) में काफी पुराना बान्ध है जिसमें लगभग ४-५ गांवों के मवेशी पानी पीते हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि भूतपूर्व कोटा रियासत काल से अब तक इस बन्ध पर लगभग ५० हजार रुपये खर्च हो गये हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि यह बन्ध जीर्णावस्था में है ?

(४) यदि हां, तो इसकी अब तक मरम्मत नहीं करवाने का क्या कारण है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : This question will be replied by the Famine Minister in his turn.

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

मीनार (अजमेर) बड़ा-उदयपुर सड़क का निर्माण

५९८. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मीनार से बड़ा उदयपुर गांव तक सड़क कब तक बन जावेगी।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह कार्य अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं यह गलत छप गया है सक्रेटेरियट की गलती से। मीनार से सलार शब्द की जगह मीनार छाप दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो सही आया है न।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जवाब भी बिलकुल गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो लिखा है उसका जवाब दिया है मैंने तो। ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जब नाम ही गलत हो गया तो जवाब भी गलत ही होगा।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): यह उदयपुर किशनगढ़ में कब से शामिल हुआ है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : उदयपुर, कोई जिले में गांव है।

श्री उपाध्यक्ष : Proceed on. Next.

अखिल भारतीय भूमि अपक्षरण (Soil Erosion) सम्मेलन की सिफारिशों की अभिपूर्ति

५६६. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई– श्री श्रीमानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया है) : Will the Forest Minister be pleased to state:

(a) Is it a fact that the All India Soil Erosion Conference recently held in Jaipur, had visited the Bandikui plantation, 1957 ?

(b) If so, what were the recommendations of the conference regarding this plantation ?

(c) Is it a fact that the conference recommended for inclusion of more area in the plantation and also the enhancement of the per acre amount of expenditure at present being sanctioned for this plantation ?

(d) If so, what steps have so far been taken by the Government for the implementation of the above recommendations of the Conference ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा)

(a) Yes.

(b) No recommendations were made.

(c) No.

(d) The question does not arise.

प्रश्न संख्या ६००

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

नगरपालिका, चित्तौड़ द्वारा भूमि का वितरण

५६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर— श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़ नगरपालिका ने कलेक्टरेट की बिल्डिंग के सामने वड़ की चौकी के पास फील्ड नम्बर १२६६ में श्री बनेचन्द नाहर को ६००)रुपये में तारीख २६—२—५६ को भूमि अलॉट की है ?

(२) क्या यही है कि सरकार के आदेश नम्बर ५७६ । एफ १ (बी) (८६) एल. एस. जी. (बी) । ५६ जयपुर, ३१—७—५८ के द्वारा यह आदेश दिया था कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नगरपालिका भूमि का अलॉटमेंन्ट नहीं करे ?

(३) क्या यह सही है कि तारीख १७—२—५६ को आज्ञानुसार नगरपालिका के भूमि के अलॉटमेंट करने सम्बन्धी अधिकार सरकार ने समाप्त कर दिए हैं ?

(४) क्या यह सही है कि श्री बनेचन्द नाहर को दी गई भूमि की, पुलिस थाने के बनाने को आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने यह भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राजपत्र में १८-१२-५८ को विज्ञप्ति निकाल कर उस पर आपत्तियां मांगी थीं जो कलेक्टर के कार्यालय में पेन्डिंग है ?

(५) क्या यह सही है कि इस भूमि को नीलाम नहीं किया गया था ?

(६) यदि हां, तो यह जमीन नगर-पालिका ने किस आधार पर श्री बनेचन्द नाहर को अलॉट कर दी ?

(७) क्या सरकार इस भूमि को वापिस लेकर नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां ।

(६) यह जमीन श्री बनेचन्द नाहर के पास किराए पर थी जिस पर मशीन लगी हुई थी । जिस तरह और किरायेदारों को जमीन बेच दी गई उसी तरह बनेचन्द को भी वह जमीन बेच दी गई ।

(७) पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है, पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किराए पर दी गई थी, नोटिस १७—२—५६ का आपका है कि नहीं बेची जावे फिर २६—२—५६ को क्यों बेची गई?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूर्ण जानकारी तभी प्राप्त करने की बात मैंने कही है। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद में उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अब तक फिर जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने पूछा ये परिस्थितियां हैं या नहीं। अब उसका जवाब मैंने दे दिया। अब किस परिस्थिति में ऐसा किया गया यह जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर केनसिलेशन की कार्यवाही अगर की जानी जरूरी हुई तो हम कर देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या तब तक के लिये यह सेल की प्रोसीडिंग्स स्थगित करवा दी गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी उसने फिर कन्स्ट्रक्शन वगैरह का काम शुरू किया या नहीं और आपने उसको स्टे किया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्टे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर मना किया है और उस पर भी उसको बेच दिया गया तो अगर वह कन्स्ट्रक्शन कर भी लेगा तो हम उसे तुड़वा देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कैसे कर सकोगे। आपने उनको मना तो किया ही नहीं। उसने तो बाकायदा खरीदी है नगरपालिका से। अब जब तक आप मना नहीं करोगे तब तक वह हक रखता है कुछ भी वहां कंस्ट्रक्शन करने का। आप उसको बाद में कैसे तुड़वा सकोगे ? उसका इसमें क्या कसूर है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने प्रश्न संख्या चार में जो पूछा उसके उत्तर में हमने कहा कि 'जी हां'। उसको अगर पट्टा दिया है तो वह रद्द किया जा सकता है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सवाल यह नहीं आता है। सवाल तो यह है कि चार में जो कार्यवाही की गई है उसमें बनेचन्द नहीं आता है। बनेचन्द ने कोई ऐतराज नहीं किया है। बनेचन्द ने तो प्रोपर वे में राइट लिया है। वह उस पर मकान बना सकता है पट्टा मिलने के बाद। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने उसको स्टे किया है या नहीं ? जब तक आप उसको स्टे नहीं करेंगे तब तक उसको क्या मालूम कि आप क्या करना चाहते हैं। उसे तो राइट मिला है और वह उसको एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से स्वतन्त्र है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह भी जमीन है। आलरेडी उस पर मशीन लगी हुई है और उसको किराये पर दी हुई है। ओपन लैंड नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीधी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है। उसमें कोई पक्का मकान बना नहीं है। उस पर टेम्परेरी कन्स्ट्रक्शन हो सकता है। पर अब जब कि उसने खरीद ली है और पट्टा ले लिया है तो वह पक्का कन्स्ट्रक्शन करा सकता है। आपने उसको रोका है क्या कि जब तक फैसला न हो जावे तब तक वह कुछ भी कन्स्ट्रक्शन वहां न करे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके बारे में शीघ्र कार्यवाही कर देंगे। यह जानकारी में अभी आया है। इसके बाद में मकान हम नहीं बनने देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यही काफी नहीं है। जिन अधिकारियों ने सरकारी आदेश की स्पष्ट तौर से अवहेलना करके उसको जमीन बेची है और इस तरह से सरकार के आदेशों की जिन्होंने स्पष्ट अवहेलना की है उनके खिलाफ भी तो कार्यवाही होनी चाहिए। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने निवेदन किया कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है इसकी जानकारी हम कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर की सहकारी समितियां

५६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर-श्री तनसिंह (बाडमेर) द्वारा पूछा गया) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर में किस किस जगह सहकारी समितियां खोली गई हैं और हर समिति को कितना कितना रुपया कर्ज दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि उन समितियों में फर्जी मेम्बर्स बनाये जाकर रकम उठाई गई है और जिसके नाम मेम्बर्स में दर्ज किये गये हैं उनको रकम नहीं मिली है ? क्या इस मुतल्लिक कोई शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो कब, और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

भाखरा प्रोजेक्ट से उपलब्ध होने वाली बिजली का वितरण

५६५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) भाखरा प्रोजेक्ट से सन् १६६० तक कितने किलोवाट बिजली राज्य सरकार को मिलेगी व उसका वितरण राज्य में किस किस प्रकार से कहां कहां होगा ? उसको अपने निर्धारित समय तक विभिन्न स्थानों में पहुंचाने की क्या योजना बनाई गई है व कहां कहां पर इस समय कार्य प्रारम्भ है ?

(२) क्या सन् १६६० के प्रारम्भ तक बीकानेर को भाखरा से बिजली निश्चित रूप से मिल जावेगी ?

(३) यदि हां, तो उसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री भीखाभाई):(१) करीब ४,६०० किलोवाट बिजली भाखरा प्रोजेक्ट से मिल सकेगी जिसका वितरण गंगानगर, बीकानेर चुरु झुंझुनू, सीकर व नागोर जिलों में वहां की मांग के अनुसार होगा। राजस्थान में भाखरा प्रोजेक्ट से बिजली राजगढ़ और श्री गंगानगर स्टेशनों पर प्राप्त होगी और वहां से इसके वितरण के लिये विभिन्न लाइनें खेंची जा रही हैं। इस समय कार्य निम्नलिखित लाइनों पर जारी है:

(श्री भीखाभाई)

१. गंगानगर-हनुमानगढ़,

२, गंगानगर-रायसिंहनगर,

३. रायसिंहनगरजैतसर-विजयनगर,

४. हनुमानगढ़ जंक्शन-हनुमान फोर्ट-सांगरि मंडी,

५. हनुमानगढ़-सांगरिया मंडी,

६. सीकर-रतनगढ़,

७. राजगढ़-पिलानी-चिड़ावा-झुंझुनूं.

८. चिड़ावा-सूरजगढ़.

९. राजगढ़-तारानगर-भादरा-नौहर,

१०. रतनगढ़-ताल छापर,

११, राजगढ़-रतनगढ़-बीकानेर ।

(२) सन् १९६० तक बिजली मिलने की आशा है ।

(३) राजगढ़-रतनगढ़ और रतनगढ़-बीकानेर की लाइनों का कार्य पूरा हो चुका है और बीकानेर सब-स्टेशन से सामान मंगाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या निश्चित रूप से १९६० तक बिजली मिल जायेगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया आपको कि आशा करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो प्रश्न यह है कि अभी जो भाखरा में फ्लड आने के कारण और बांध टूट जाने से वहां के पॉवर हाउस को काफी नुकसान हुआ है तो क्या ऐसी हालत में भी बिजली मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं । इससे असर नहीं होगा । अभी जो बिजली मिलने वाली है वह ४६०० किलोवाट मिलने वाली है यह कोडाला और नागल से मिलने वाली है । वहां से बिजली ठीक समय पर मिल जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री मिश्रीमल पंच, तहसील पंचायत सांचोर, जिला जालोर

५९९. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर-श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर की सांचोर तहसील पंचायत के पंच श्री मिश्रीमल ने यह शिकायत की है कि सांचोर में पानी सप्लाई करने की अपील के आदेश के बारे में उसे ऐतराज था और उस ऐतराज को उस फैसले में नहीं लिखा गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि श्री मिश्रीमल, पंच की राय फैसले में नहीं लिखने के कारण उसने तहसील पंचायत से इस्तीफा भी दिया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । उन्हें ऐतराज था । फैसले में यह लिखा है कि श्री मिश्रीमल फैसले से सहमत नहीं । लेकिन सहमत न होने के कारण दर्ज नहीं ।

(२) जी हां । लेकिन इस्तीफा अभी सम्बन्धित अधिकारी के पास नहीं पहुंचा है,

(श्री दौलतराम सारण)

अतः जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहां का पंचायत प्रसार अधिकारी स्वयं ही इसकी जानकारी कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

ग्राम नोखड़ा, बीकानेर डिविजन में आर० ए० सी० के हरिजन कॉन्सटेबल की हत्या

५९७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या बीकानेर डिविजन के नोखड़ा गांव में आर० ए० सी० में किसी हरिजन कॉन्सटेबल की हत्या हुई है ?

(२) इस हत्या का क्या कारण था ?

(३) क्या उस हरिजन कॉन्सटेबल की मृत्यु के साथ उसकी स्त्री को भगाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया ?

(४) क्या इस घटना पर रोष के कारण सवर्णों और हरिजनों में कोई दंगा भी हुआ ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां :

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां। इस बारे में उप-महा-निरीक्षक आर० ए० सी०, जोधपुर ने गुप्त जांच की थी। अध्यक्ष, राजस्थान म्युनिसिपल कर्मचारी फैडरेशन, बीकानेर के शिकायत करने से पूर्व ही श्री मांगीलाल हरिजन के कत्ल का मुकद्दमा कायम हो चुका था और तफतीश जारी थी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न के तो चार भाग हैं और आप जवाब ६ के दे रहे हो, यह क्या बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब एक ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके नम्बर १ में आपने जवाब दिया 'जी हां' याने हत्या हुई और इस प्रश्न का दूसरा भाग है कि इस हत्या का कारण क्या था आपने इसका उत्तर दिया 'जी नहीं', तो आखिर हत्या का कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुलजिम का पता नहीं चल सका।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह सत्य है कि जो हत्या हुई इसका पता किस प्रकार से चला याने जिसकी हत्या हुई उसका पता ही नहीं चला कि वह कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पता चला कि हत्या हुई, उसका मुकदमा रजिस्टर हुआ, तफतीश हुई और मुलजिम का पता नहीं चला है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह सही है कि उस व्यक्ति को जिसका पता चला वह कहां पर पाया गया और उसकी खबर किसने दी सरकार के पास ?

Page No 29

श्री रामकिशोर व्यास : जंगल में पाया गया। उसके नाम की तो नहीं मालूम लेकिन उसका भाई है या कोई और है जिसने उसकी खबर दी।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सरकार को कैसे पता चला कि इस आदमी की हत्या हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो सरकम्स्टेन्सेज़ ही से अन्दाजा होता था कि मरडर हुआ है।

श्री गिरधारीलाल : तो इसकी जांच करवाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुकदमा रजिस्टर किया गया और तफतीश की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उसकी कोई मेडीकल रिपोर्ट है और उसका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पोस्टमार्टम तो हुआ था लेकिन लाश बहुत डीकम्पोज़ हो चुकी थी। मरने के चार पांच रोज बाद मालूम हुआ और उसको कुछ जानवर भी खा चुके थे फिर भी उसका मेडीकल एग्जामिनेशन कराया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उस की मेडीकल रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि उसके शरीर पर चोट के बहुत निशान थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके चोट थी ऐसा मेडीकल रिपोर्ट में है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सत्य है कि उसको वहां के आर० ५० सी० के जगदीश नाम के जो आफिसर थे उन्होंने उसको इस प्रकार की सजा दी थी कि वह बड़ा भारी पत्थर रखकर दिन भर खड़ा रहे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, फिर आपने अपने प्रश्न में भी नहीं पूछा है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि लाश जली हुई मिली थी ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से उसको सजा दी गई थी इसकी रिपोर्ट हुई और उसका हुक्म नहीं माना तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा और उससे उसकी हत्या हो गई और उसको जंगल में फेंक दिया गया इसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री गिरधारीलाल : उसकी लाश जली हुई मिली थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता कि जली हुई थी या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम मालवाड़ा जिला जालोर में सेठ श्री उमाजी ओखाजी द्वारा निर्मित डिस्पेन्सरी

५६८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर—श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर के ग्राम मालवाड़ा में सेठ श्री उमाजी ओखाजी

(श्री तनसिंह)

द्वारा बनवाई गई डिस्पेन्सरी को सरकार ने अपनी संरक्षकता में ले ली है? यदि हां, तो कब?

(२) उपरोक्त डिस्पेन्सरी के स्टाफ को सरकार द्वारा एब्जोर्ब किया गया या नहीं? यदि किया गया है, तो उसकी सीनियोरिटी कब से मानी गई है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, इस डिस्पेन्सरी को दिनांक ४-९-५९ को सरकार ने अपनी संरक्षकता में ली थी।

(२) सरकार से उक्त डिस्पेन्सरी के स्टाफ को एब्जोर्ब कर लिया है तथा उनकी सीनियोरिटी उसी तारीख यानि ४-९-४९ से कायम की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

पादर जागीर, जिला सिरोही के जंगल से कोयला बनाने का ठेका

५७१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर—श्री श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पादर जागीर के जंगल में से रॉयल्टी के जरिये कोयला बनाने का ठेका किसको, कब और कितने रुपये फी बोरी दिया गया है?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त ठेके को श्री अब्दुल शकूर वल्द अब्दुलगनी, आबूरोड ने लेने की प्रार्थना की थी? यदि हां, तो कब और फी बोरी कितने रुपयों में मांगा था और उसे स्वीकार करने के क्या कारण थे?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तारीख २१-६-५४ को जागीर रिजम्शन होने के पहले पादर जागीरदार द्वारा अपने जंगल का ठेका श्री हाजी अब्दुल्ला वल्द हाजी गुलाम हुसेन को छः आने फी मन कोयला और २ आने फी मन लकड़ी की रॉयल्टी पर दिया गया था।

(२) जी हां, दिनांक २९-६-५४ को)रुपया २ आना प्रति बोरी कोयला रॉयल्टी पर ठेका लेने का व ठेका स्वीकार करने का प्रश्न नहीं क्योंकि वह तो जागीरदार ने जागीर रिज़्यूम होने के पहले ही दूसरे ठेकेदार को दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : महाराज श्री हुक्मसिंह।

श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिला दिया जाये।

श्री गोविन्ददेवजी के मन्दिर, जयपुर से चुराये गये सामान की बरामदगी

५७४. महाराज श्री हुक्मसिंह (जैसलमेर—श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री गोविन्ददेवजी, जयपुर के मन्दिर की चोरी के सिलसिले में दिनांक ७ जुलाई, १९५८ को श्री रघुनन्दन मुखिया के घर पर से पुलिस ने

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

१८॥ तोला सोना, ३४ तोला चांदी का सामान बरामद किया था तथा ८ जुलाई, १६५८ को श्री लक्ष्मीनारायण नादिर के यहां जवाहरात जड़े हुए चांदी, सोने के आभूषण बरामद किये गये थे।

(ख) यदि हां, तो उस माल का क्या हुआ व सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर्स तथा प्रोसीक्युटिंग सब इन्सपेक्टर्स को युनिफाइंड तथा रेशलनेलाइज्ड पे स्केल्स का मिलना

५८७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर– श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया): क्या गृहमन्त्री यह निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के कई सब-इन्सपेक्टर्स को व प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स को अभी तक युनिफाईड पे स्केल तथा रेशेनेलाइज्ड पे नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, पुलिस विभाग में १११ केस सब इन्सपेक्टरों के व १ केस प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर को यूनीफाइड पे स्केल्स में पेन्डिंग पड़े हैं। १७६ केस सब इन्सपेक्टरों के व ११ प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टरों के रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स में पेन्डिंग पड़े हैं। इनमें से ज्यादातर केस पूरे सर्विस रेकॉर्ड न होने के कारण पड़े जो कि सम्बन्धित जिलों में नहीं मिला।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसको सरकार कब तक पेन्डिंग में रखेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके डिस्ट्रिक्ट में फाइल नहीं मिल रही है और कुछ इनकम्पलीट है तो यह उनको सप्लाई करनी चाहिए जिसका कन्सर्न है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फाईल डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रही है या गायब हो गई है या तैयार नहीं है, क्या बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या पता, इन्टीग्रेशन के पहले के जमाने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र

(अनुपस्थित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर

१, **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) गत ६ माह में अर्बन इम्प्रूवमेंट, बोर्ड जयपुर की कितनी बैठकें किन किन तारीखों को हुई ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इन बैठकों में किस किस बैठक में, किस किस व्यक्ति को प्लॉट देने के बारे में निर्णय लिया गया ?

(ग) बोर्ड की ऐसी प्रत्येक बैठकके सामने कितने कितने प्रार्थना पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किये गये ? जो प्रार्थनापत्र नामंजूर हुए वे किस किस तारीख को आये थे और जो मन्जूर हुए वे किस किस किस तारीख को ? कृपया इस सम्बन्ध में तालिका सदन की मेज पर रखें।

(घ) बोर्ड की उक्त बैठक के दिन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में किस किस वर्ष की कितनी कितनी एप्लीकेशन्स पैन्डिंग थी और क्यों ?

उत्तर

(क) कुल इक्कीस बैठकें हुईं।

तारीखवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) मंडल के कार्यालय में प्रार्थना पत्रों की पंजिका रक्खी जाती है जिसे मंडल अलॉटमेंट के समय मंगवा लेता है तथा उपलब्ध प्लॉटों की प्राथमिकता आदि का आवश्यकता पर विचार करके अलॉटमेंट मिलने से रह जाते हैं उनके प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हैं, ना मंजूर नहीं किए जाते। ऐसी अवस्था में तालिका पेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंडलकी प्रत्येक बैठकमें अलॉटमेंट नहीं होता है जिन जिन बैठकों में अलॉटमेंट किया गया था उस दिन जितने प्रार्थना-पत्र विभिन्न वर्षों के विचाराधीन थे उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इन सब प्रार्थियों को प्लॉट न मिलने का कारण प्लॉटों की कमी थी, परन्तु प्लाट न मिलने से प्रार्थना-पत्र रद्द नहीं हो जाते हैं बल्कि विचाराधीन रहते हैं और उपयुक्त अवसर पर उन पर पुनः कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

कृषि विभाग द्वारा टीनों की खरीद-जिला बांसवाड़ा

२. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांसवाड़ा जिले के कृषि विभाग द्वारा सन् १६५७-५८, ५८-५६ में पत्तरें (टीन) खरीदे गये थे ? यदि हां, तो कितने और किस रेट से ?

(ख) क्या उक्त जिले में पत्तरें (टीन) वितरण करने के लिए सरकार की ओर से कोई समिति का निर्माण किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के पत्तरें सिर्फ काश्तकारों को ही वितरित किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) कृषि विभाग द्वारा नहीं खरीदा गया। रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट मंगवाते हैं।

(श्री मोगजी भाई)

(२) केवल फेब्रीकेटरों को ही वितरण करने के लिए समिति का निर्माण किया गया है।

(३) काश्तकारों को ही वितरण किए जाते हैं। यदि काश्तकारों को जरूरत नहीं होती तो कलक्टरों, सरकारी विभागों, अन्य संस्थाओं या दूसरे आदमियों को वितरण कर दिया जाता है।

लालसोट डिस्पेन्सरी का डॉक्टर

३. :श्री प्रभुलाल पुरोहित: (लालसोट) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि लालसोट डिस्पेन्सरी का डॉक्टर दो मास के अवकाश पर गया हुआ है।

(ख) क्या यह सच है कि उक्त डॉक्टर की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद भी वहां जाने की मंशा नहीं होने से वह अपनी छुट्टियां बढ़ाता जा रहा है।

(ग) वहां डॉक्टर कब तक भेजा जावेगा।

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) डॉक्टर भेज दिया गया है तथा वह दिनांक २७-७-५६ को पहुंच गया है।

जोधपुर नगर में पानी की व्यवस्था

४. श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर): क्या सार्वजनिकनिर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर शहर के जो क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित हैं उनमें पानी पहुँचाने का सरकार द्वारा क्या इन्तजाम किया जा रहा है ?

(ख) क्या मोहल्ला ब्रह्मपुरी में स्थित हौज के द्वारा ब्रह्मपुरी, फतेहपोल और आसपास के मोहल्लों में पानी पहुंचाने की कोई सरकारी योजना थी ? यदि हां, तो क्या उसे क्रियान्वित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों?

(ग) क्या सरकार की जानकारी में है कि पिछले कई वर्षों से जोधपुर नगर में पानी की बहुत कमी है और सार्वजनिक नलों पर काफी भीड़ रहती है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार निकट भविष्य में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(क) बाईजी महाराज के आश्रम के पास एक १० लाख गैलन का हौज बनाया गया हैं।

(ख) जी नहीं, अब निश्चित किया गया है और टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

(ग) जोधपुर रिऑर्गेनाईजेशन स्कीम के अन्तर्गत कार्य चालू है।

जोधपुर नगर में बिजलीघर का निर्माण

५. श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जोधपुर नगर में नए बिजलीघर को बनते हुए कितना समय हो गया तथा वह कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

उत्तर

सन् १९५८, सितम्बर से बन रहा है और १९६० में चालू होने की आशा है।

Page No 34

जोधपुर नगर के पानी के पुराने नलों को बदलना

६. श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर शहर के पुराने पानी के नल कब तक बदल दिए जावेंगे ?

(ख) पिछले कितने वर्षों से नल बदलने का कार्यक्रम जारी है और अब तक शहर के किन किन मार्गों में नल बदला दिए गए हैं ?

उत्तर

(क) पुराने नल हर साल आवश्यकता अनुसार बदले जाते हैं ।

(ख) नल बदलने का कार्यक्रम भूतपूर्व जोधपुर गवर्नमेन्ट के समय से चालू है । पिछले वर्षों में नीचे लिखे भागों में नल बदले गए हैं :

(१) सरदारपुरा सी और डी रोड़ ।
(२) कुमारिया कुआ ।
(३) जोगियों का बास ।
(४) मोड़लिया सिलावटों का बास ।
(५) बागर मोहल्ला ।
(६) डागा बाजार ।
(७) मोचियों की घाटी ।
(८) सिन्धियों का बास ।
(९) कबूतरों का चौक ।
(१०) रामोला रोड़ ।
(११) फतेह सागर ।
(१२) सरदारपुरा गोल बिल्डिंग ।
(१३) गुलाब सागर पन्ना निवास ।

जलबोर्ड द्वारा जल-कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि—जिला गंगानगर

७. श्री मोहरसिह (चुरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में जल बोर्ड की तरफ से किन किन तहसीलों को किस किस गांव में व किस किस साल में कितने कितने रुपये दिये गये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की तहसील नोहर व भादरा के कई ग्रामों में जल बोर्ड द्वारा दी गई रकम के हिसाब में काफी गोलमाल है ?

(ग) यदि हाँ, तो किस किस गांव के हिसाब में गोलमाल है और कितनी कितनी रकम का?

(घ) उपरोक्त तहसीलों में जो जो जल बोर्ड के कार्य अधूरे रह गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर *

*(क) जिला गंगाननर में जलबोर्ड की ओर से जलकार्यों हेतु निम्न रकमें दी गई :

वर्ष	योजना	सरकारी सहायता	जनसहयोग	कुल व्यय
१९५५-५६	नेशनल वाटर सप्लाई	१,२५,५९६-१३आने	६९,०७१-५-३	१,९४,६६८-२-३
१९५५-५६	ग्राम जल योजना	१,९५,६०९-१३-६	१,०१,९०२-०-६	२,९७,५१०-१४आने
१९५६-५७	नेशनल वाटर सप्लाई	१,०३,११९-१०-०	५६,९०८-११-९	१,५९,९२८-५-९

(ख) जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध की गई सूचना से इस प्रकार की कोई शिकायत वहां नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहकारी समितियां, तहसील नोहर, भादरा तथा हनुमानगढ़, जिला गंगानगर

८. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्री गंगानगर जिले की नोहर, भादरा तथा हनुमानगढ़ तहसीलों में कितनी कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब तक बनी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) किस किस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार ने कितनी कितनी रकम किस किस तारीख को दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(क) निम्न प्रकार है :

१.	नोहर	१६
२.	भादरा	६
३.	हनुमानगढ़	१२७

जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इसका उल्लेख संलग्न सूची के कॉलम ४-५ में कर दिया गया है ?

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११.५८ म. प.

राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १९५९

Shri Murlidhar Vyas will continue his debate.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि एक भाषण के लिए १५ मिनट अधिक से अधिक रखे जायें। If it is the pleasure of the House, I may fix the time. Is it the pleasure of the House ?

(स्वीकृत)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय मुख्य मंत्री भी तो रिप्लाई करेंगे इसके लिए उन्हें १ घण्टा चाहिये। इसलिए बहस ४ बजे तक समाप्त कर दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो विधेयक विचारार्थ, है मैं यह समझता हूं कि किसी भी विधेयक की उसकी आत्मा क्या है आखिर वह कहां तक जाकर हमारे आज के युग की मांगों को पूरा कर सकेगा इस दृष्टिकोण से हमें हर कानून को, हर बात को देखना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े लम्बे अर्से के बाद हमें एक अधिकार मिला और सदियों की लम्बी लड़ाई समाप्त की और हमें जनतांत्रिक अधिकार मिले और जनता को

(श्री मुरलीधर व्यास)

अपने हाथसे काम करने का अधिकार मिला। अब काम को करने के लिए जो एक नया आधुनिक तरीका जो बड़े बड़े लोगों ने निर्धारित किया है वह यह है कि आगे जाकर अच्छी व्यवस्था वही होती है जिसमें लोग स्वेच्छा से अपने काम को ठीक तरह से चलाने के लिए उतर जाते हैं। तो इस स्थिति को जहां तक मैं समझता हूँ कि इस आधार पर हमें देखना चाहिये कि आज के युग की मांग क्या है, और उस मांग को कहां तक इस ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद् का जो विधेयक हमने यहां पर रखा है और जिस पर विचार कर रहे हैं, हमारे मूलभूत उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इसमें वाकई कुछ खामी है, कुछ कमी है तो इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि एक जमाना जो था जिसके अन्दर मैं कहूं कि बिल्कुल कोई किसी के ऊपर राज्य नहीं करता था। तब काम की व्यवस्था को चलाया था। आगे जाकर इस प्रकार का जमाना आया कि इसके अन्दर एक दूसरे पर लोग हावी या एक दूसरे के ऊपर लाठी के बल पर कब्जा करने की कोशिश की। आगे एक दूसरी व्यवस्था रही और दूसरी व्यवस्था हमारे मुल्क में चली वह पूंजीवादी व्यवस्था चली कि जिसमें एक व्यक्ति का जो महत्व था वह तो बढ़ता गया और समाज का महत्व कम होता गया और उस व्यवस्था में एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आने लगी और समाज पर हावी होने लगा। अब इन सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर एक नई व्यवस्था चली कि हम किस प्रकार से अपनी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर काम करें। वह नई व्यवस्था हमको आज की जनतांत्रिक व्यवस्था मिली। उस व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था को तोड़ा। पूंजीवादी व्यवस्था जो कि समाज पर हावी थी, और इसी प्रकार से जो लाठी की व्यवस्था थी कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' उसको किस कारण से तोड़ा और तोड़कर नई व्यवस्था आई। हम आगे जाकर जनतान्त्रिक व्यवस्था करना चाहते हैं। वह वाकई में नई व्यवस्था का निर्माण और एक नई क्रान्ति कर सकती है। इस दृष्टिकोण से हमें सोचना और देखना चाहिए।

मैं समझता हूं कि आज सही मायने में हमको, प्रारम्भ में मैंने कहा था कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आगे समाज की प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी वहां समाज की प्रतिष्ठा ज्यादा हो जाय और सोचा कि नई क्रान्ति के आधार पर परिवर्तन हो जाय वर्ना उसका अभाव सारे लोगों तक पहुँच सकता है। जो इस संबंध में सारे मुल्क में तीन, चार विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा जो चल रही है वह सहकारिता की है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति हावी होता है तो वहां पर समाज उस व्यवस्था को ठीक ढंग से करे और सहकारिता की व्यवस्था चले और सहकारिता हमें इसके अन्दर लानी चाहिए।

और दूसरी व्यवस्था हम चाहते हैं कि एक नया परिवर्तन समाज के अन्दर आये। हरेक को सामाजिक न्याय मिल सके आर्थिक दृष्टि से। इसके लिए हम जमीन का बंटवारा करें। जमीन हर आदमी को मिल सके। जमीन जोतने वाला जमीन का मालिक हो सके। यह नया परिवर्तन इसके साथ में नहीं है। यह नई विचारधारा एक तो सहकारिता की और दूसरी जमीन की इसके साथ में नहीं है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज लम्बे अर्से से शासन की नौकरशाही और लाल फीताशाही से दबे हुए हैं जिससे सारे भ्रष्टाचार और घोटाले में समाज फंसा हुआ है। यह कहां तक दूर हो सकता है, इस बात का दृष्टिकोण हमारे सामने है, और इस तरह के दृष्टिकोण से जहाँ तक मैं समझता हूं कि यह जो पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल आया है कहां तक इस काम में सफलता दे सकता है? मैं समझता हूँ कि उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये, और उसमें अगर कामयाबी मिलती है तो बाकी आम लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा, और उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार से उसका लाभ नहीं मिल सकेगा।

कल जब इस पर विचार चल रहा था तो अच्छे अच्छे उसूलों को लेकर बात चली थी। मैं इस जनतन्त्र को सही तरीके से चलाने के लिए पंचायत समिति और जिला परिषदों के अधिकारों के ऊपर और कर्त्तव्य पर जाता हूँ तो मैं सोचता हूं कि जो समय की मांग है उस मांग को यह जो पंचायत समिति विधेयक या जिला परिषद् विधेयक जो है कहां तक पूरी कर सकता है? इस प्रकार इसको बहुत गहराई से देखना है।

मैं समझता हूं, कि जैसा कि मैंने पहले भी यह महसूस किया, कि इसके अन्दर जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था से जो समाज में हम मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं वह मूलभूत परिवर्तन इसके द्वारा नहीं हो सकेगा। जो इसके अन्दर दिया गया है उसके ऊपर कल कह चुका हूं। आखिर आज हम आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के दृष्टिकोण से नया परिवर्तन चाहते हैं कि एक तरफ राजनैतिक विकेन्द्रीकरण हो और दूसरी ओर आर्थिक विकेन्द्रीकरण हो। इसमें दोनों विकेन्द्रीकरण एक साथ नहीं दिये। एक को हम रखते हैं और दूसरे विकेन्द्रीकरण नहीं रखते हैं तो लाभ किसी हालत में मिलने वाला नहीं है। इन दोनों को मैं परस्पर समझता हूं। आज राजस्थान में जो भूमि के सम्बन्ध का सवाल है और जिसके द्वारा आगे जाकर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये पंचायत समिति काम करना चाहती है उस काम से हम कहां तक आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को लाभ दे सकेंगे और उसका विकास कर सकेंगे? एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि हमने सर्विस कोऑपरेटिव का प्रबन्ध रखा है और जमीन गांव की जो होगी वह कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेगी। यह चीज मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं हुई है कि गांव में सीलिंग के बाद कहां कहां कितनी जमीन मिल सकेगी और मिलने बाद कितने टुकड़े हो सकेंगे, यह चीज एक साथ टिक नहीं सकेगी। समितियों को अधिकार दिये हैं तो किस प्रकार से वे कर सकेंगी। मैं समझता हूं कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो आर्थिक क्रान्ति हम राज्य में लाना चाहते हैं इस सामाजिक व्यवस्था के अन्दर उसका इसमें समावेश नहीं है। जो नाम किया गया है कि सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हम बहुत सा काम करेंगे, परन्तु इस तरह का जो एक नया परिवर्तन हम चाहते हैं उसको बिलकुल परस्पर में जोड़कर साथ में रख देते तो मैं समझता हूं कि एक नई क्रान्ति हो सकती है और उसमें बड़ी हिम्मत के साथ बड़ा परिवर्तन एकदम रखा जाता तो होता। परन्तु इसके बारे में कोई चीज साफ नहीं है।

मैं समझता हूं कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सत्ता का विकेन्द्री-

(श्री मुरलीधर व्यास)

करण चाहते हैं। हम अर्थ का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, हम समाज को नई व्यवस्था देना चाहते हैं। यह जो हमारा मूलभूत उद्देश्य है और आगे देश इस रास्ते पर बढ़ना चाहता है तो इस तरह के प्रजातन्त्र के अन्दर जहां तक इस पंचायत समिति विधेयक में पंचायत समितियों के जो कार्य दिये हैं उसके अन्दर एक मूलभूत काम होना चाहिए था कि गांव के अन्दर जो भी जमीन किसी प्रकार से मिलें तो किस प्रकार से कोऑपरेटिव बेसिस पर चल सकेगीं या किसी प्रकार हम आर्थिक क्रान्ति को कर सकेंगे वह नहीं है।

अब दूसरा सवाल इसका जो है वह राजनैतिक विकेन्द्रीकरण नहीं, आर्थिक विकेन्द्रीकरण का है। तो जहां तक मैं मानता हूं कि गांव वगैरह का सवाल है, जमीन का सवाल है जमीन मिलती है तो सभी आदमियों को मिलकर काम मिलता है तो बेकारी का सवाल हल हो सकता है। सेकन्ड फाइव इयर प्लान भी हो सकता है और दूसरी भी हो सकता है। परन्तु यह अगर नहीं देते हैं तो जिस प्रकार से पहले नाकामयाब रहे उसी प्रकार से आगे भी नाकामयाब रहेंगे।

दूसरा मूलभूत उद्देश्य है राजनैतिक विकेन्द्रीकरण करना। सदियों से चलने वाली एक लाल फीताशाही, हमारे ऊपर नौकरशाही हावी थी वह कहां तक हटती है इसको देखना पड़ेगा, और इस दृष्टिकोण से जहां तक मैं समझता हूं कि इसके अन्दर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रही कि नौकरशाही समाप्त हो सके परन्तु उसके अन्दर नौकरशाही और जनतन्त्र का इस प्रकार से सम्बन्ध जोड़ा है कि मेरे दिमाग में नहीं आता चाहे किसी भी प्रोविन्स के अन्दर आप चले जांय। राजस्थान पंचायत विधेयक को ध्यान से देखेंगे तो आगे जाकर इसके आधार पर बनने के लिए जो कुछ प्रिन्सीपल मिलेगा, कुछ मोटी बातें मिलेगी। मेरी समझ में अभी तक यह बातें नही बैठी है कि जो प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं वे एक जनतान्त्रिक इकाई होते हुए भी उनके अन्दर सदस्य कोऑप्ट या नोमीनेट होंगे और वे इस प्रकार के सदस्य होंगे कि उन सदस्यों को भी वोट का अधिकार रहेगा। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या जोड़ा जा रहा है। यह एक ठीक बात है कि किसी प्रकार की टेक्निकल मदद चाहिए तो उस प्रकार की मदद के लिए या दूसरे मामलों में किसी प्रकार की मदद के लिए चाहिये वह दी जाय, परन्तु जो सरकारी कर्मचारी हैं वे वहां पर बिल्कुल चुनाव के तरीके से आये और उन्हें वोट का अधिकार हो और वे उस व्यवस्था में उसी प्रकार से बैठे यह मेरे दिमाग में ठीक नहीं बैठता है। मैं समझता हूं कि क्या व्यवस्था है? इसका नतीजा यह होगा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक ढंग से काम करने वाले लोग हैं वे राजनैतिक दलबन्दी में जोड़े जायेंगे, और जिस प्रकार आज दूसरे मामलों के अन्दर राजनैतिक दलबन्दी मौजूद है तो आगे जाकर यह बहुत बड़ा खतरा हम अपने राज्य के लिए मोल लेंगे। मैं समझता हूं कि वोटिंग राइट जो इस प्रकार से दिया गया है वह राइट इस प्रकार से टाला गया है। वह व्यवस्था ठीक नहीं है। उस व्यवस्था में यह ठीक बात है कि सहयोगी के रूप में कोऑप्ट करें। परन्तु यदि इस प्रकार की व्यवस्था इसके अन्दर रखना चाहते हैं तो यह कोई जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण थोड़े ही है।

जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरह से इसमें आना

(श्री मुरलीधर व्यास)

और उनको मौका देना, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। एक सामान्य राजनैतिक सिद्धान्त है उसके भी विपरीत है। इसलिये यह जो व्यवस्था इसमें रखी है वह आगे जाकर ठीक नहीं होगी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कौन सी व्यवस्था ?

श्री मुरलीधर व्यास: ऑफिसर्स जिला परिषद् में रहेंगे वे इस प्रकार से रहेंगे जैसे अन्य सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनको वोटिंग राइट नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन इस प्रकार भी बैठ कर अपनी राय से प्रभावित करने का जो अधिकार रखा है वह ठीक नहीं है। वे विशेषज्ञ के रूप में आ सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यही आइडिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : सलाहकार के रूप में बैठता है तो ठीक बात है उसके लिये उपयोगी हो सकता है लेकिन यह जो राजनैतिक दबाव या प्रभाव है उसका आगे जाकर असर होता है। यह बिल्कुल अनावश्यक रूप से रखा गया है। मैं यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं समझता। सरकारी अधिकारी सलाहकार के रूप में मदद कर सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह महसूस करता हूं कि जो आज सही माने में विकेन्द्रीकरण का ढ़ाँचा होना चाहिये था कि प्रशासनिक ढ़ाँचा धीरे धीरे फैलता है, कम होता है, लेकिन उसमें परिवर्तन किया नहीं। आज समझ लीजिये तहसील में तहसीलदार या गांवों में पटवारी या गांवों में थाना है, ये छोटी मोटी चीजें तहसील पंचायत के अन्तर्गत रहें तो कुछ असर होता है और जिले के अधिकारी जिला परिषद् के अन्तर्गत रहते हैं और उनके आदेशानुसार काम करते हैं तो सच्चे माने में विकेन्द्रित रूप होता है। लेकिन जो अधिकार दिये हैं वे इस प्रकार के हैं कि वे काम नही कर सकते। अपने आप योजना के आधार पर आधारित किया है। यदि आप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रचार करते हैं तो वह व्यवस्था इसमें नहीं है। लेकिन इसमें इतना है कि विकास के लिये लोगों का सहयोग कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा विकेन्द्रित योजना नहीं है, यह खाली विकास की दृष्टि से है। पहले हम विकास का काम नहीं कर सकते थे क्योंकि जनता का सहयोग उतना नहीं था जितना होना चाहिये था। अब विकास कार्यों में किस प्रकार जनसहयोग लावें इसलिये इसे रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेता जिसे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संज्ञा देते हैं वह बात इसमें नहीं है। नीचे से योजना बने, प्लानिंग में नीचे से सजेशन आने चाहिये। लेकिन यहां राजनैतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया जाता है और हम जो लाल फीताशाही और नौकरशाही से अलग रहने या बचने की बात सोच रहे थे वह हो नहीं सकी।

लोगों को अधिकार देना चाहिये था काम करने का और साथ ही साथ टैक्स लगाने का जो अधिकार दिया है वह इसलिये दिया है कि जो ढ़ांचा एडमिनिस्ट्रेशन का है उसमें खर्चा बढ़ा हुआ है। इससे पंचायत समितियां आदि होंगी उनके अधिकार अलग से होंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसमें भी खर्चा बढ़ेगा। हम चाहते हैं जो खर्चा प्रशासन का है उसको कम करते और कमी की संज्ञा करके विकास करने का मौका सारे लोगों को देते।

अब मैं मानता हूं कि विकास कार्य में सबका सहयोग होना चाहिये और उसके लिये आप यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और पार्टीबाजी के दृष्टिकोण से विकास बांध रहे हैं तो यह उचित नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि सारी पार्टीज से सहयोग लिया जाय। जिला परिषद् के प्रशासन में दो आदमियों को लेंगे, मैं समझता हूं रिकग्नाइज्ड पार्टियों के आदमियों को लेते और वे अपनी राय देते तो पब्लिक को भी इस प्रकार से दृष्टिकोण बनाना पड़ता। लेकिन आज जनतंत्र बनाने वाली पार्टीज को बिल्कुल छोड़ दिया है और यह ठीक है कि पार्टियों के नामजद भी आते हैं लेकिन इसे छोड़ने को ही आदर्श न मानकर राजनैतिक मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों को विकास काम के लिये लिया जाय तो सबके सहयोग से प्रेरणा पैदा हो सकती है। मैं मानता हूं कि प्रेरणा से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं और विकास के काम भी हो सकते हैं। यदि एक आदमी एक घंटा भी प्रतिदिन दे और एक घंटे के काम की कीमत चार आना हो और ५० लाख आदमी काम करने लग जाय तो १२॥ लाख रुपये एक दिन में और साढ़े चार करोड़ रुपये एक महीने में और ५० करोड़ रुपये एक साल में हो सकते हैं। ५० करोड़ रुपयों का काम आप इस तरह से जनशक्ति से ले सकते हैं।

आपने जैसा पहले दृष्टिकोण रखा कि हमें विकास के काम में मदद मिलनी चाहिये उसके लिये आपको पार्टीबाजी का दृष्टिकोण और सत्ता का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और आपको अपनाना पड़ेगा, सारे लोगों को किस तरह विकास के काम में ला सकें। लेकिन इसमें यह दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप उसको क्यों नहीं लेते हैं तो उत्तर में आप कहते हैं कि इसके लिये प्लानिंग कमीशन का कोई आदेश नहीं है।

अब मैं दो चार मुद्दे के पोइन्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उनका समावेश हो जाय। पहली बात तो यह है कि प्रशासनिक इकाई और न्याय इकाई को अलग रखने का प्रबन्ध होना चाहिये था वह नहीं हो सका और जो तहसील समिति के सरपंच को लिया गया है, जो न्याय का काम देखने वाला है, वह भी इसके साथ बैठेगा। न्याय की व्यवस्था अगर अलग नहीं होती है तो हमेशा इस काम में गड़बड़ी रहेगी और काम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा इसलिये यह अलग होना चाहिये था।

इसी प्रकार से टैक्स की दृष्टि से भी अलग नहीं रखा गया है। आम लोगों पर टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया है। उनको काम चलाना है और काम चलाने के लिये कर्मचारी रखने पड़ेंगे और उनको रखने में जो खर्चा लगेगा उसको वसूल करने के लिये पंचायत समितियों को लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा और यदि टैक्स लगायेंगे तो जनता से प्रेरणा मिलेगी या नहीं, यह देखना पड़ेगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसी प्रकार आपने शिक्षा के मामले के अन्दर, जो एक बहुत आवश्यक कार्य था, अनिवार्य था, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, वहां टैक्स लगाने का अधिकार रखा है, शिक्षा के ऊपर कर लगाने का अधिकार रखा है, यह एक विधेयक के अन्दर त्रुटि रखी है। जनतंत्र के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और वह अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, यह आपका कर्त्तव्य है। जो सरकार शिक्षा निःशुल्क नहीं दे सकती, वह सरकार निकम्मी मानी जायगी, इस जनतंत्र के युग में। इसलिए यह अधिकार देना और फीस का अधिकार देना, प्राइमरी स्कूल में फीस का अधिकार देना, प्राइमरी स्कूल में फीस का अधिकार रखना, इसका मतलब है कि इसका उपयोग होगा और आगे जाकर यह शिक्षा के विकास के लिए बाधक होगा।

इसी प्रकार से चुनाव की पद्धति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव की पद्धति इस प्रकार की हो, इसका क्लेरीफिकेशन हो जाता कि पंचायतों का चुनाव इस प्रकार होगा....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, you have already consumed 22 minutes.

श्री मुरलीधर व्यास : पार्टी के हिसाब से चिन्ह हों और चिन्ह के हिसाब से चुनाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कोई चिन्ह किसी पार्टी का मानते हैं तो पंचायत, तहसील पंचायत के लिए यह आगे जाकर ठीक नहीं होगा...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष जो आदेश दे रहे हैं, उसकी तरफ माननीय सदस्य का ध्यान होगा। कई बार घंटी हो चुकी है, कई बातें हो चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को भी यह आदेश देना पड़ेगा जब वे इस कुर्सी पर आयेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा यह पहला मौका है कि प्रारम्भ करने वाले को १५ मिनट दिये गये, मैं ढाई साल में यह पहला मौका देखता हूं। अभी तक टाइम बंधा हो, यह मैंने देखा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कई अवसर आयेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो परिवर्तन होने चाहिएं, उस दृष्टिकोण से पांच सात बातें मूलभूत थीं, उनको रखना चाहिए था। अगर हम चाहते हैं कि वाकई थोड़ा विकेन्द्रीकरण हो जाता तो छोटे-मोटे रेवेन्यू और छोटे मोटे पुलिस के अधिकारी उसके अन्तर्गत रहते तो नौकरशाही समाप्त हो जाती, लाल फीताशाही समाप्त हो जाती, भ्रष्टाचार समाप्त होता और जो सत्ता बाँटी है, उसका दुरुपयोग कर लें, इस प्रकार की शंका मिट जाती। तो ये परिवर्तन इसके अन्दर नहीं हुए, इसलिए मैं इसको जनतंत्र के विकेन्द्रीकरण की ओर कदम, कदम भी कह दूँ नहीं मानता और केवल विकास की योजना किस प्रकार आगे बढ़े, इसका एक नया तरीका अख्तियार किया गया है और उसमें जो खामियां रखी गई है, उनसे प्रेरणा मिल सकेगी और विकास के कामों में प्रेरणा मिल सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, यह मैं पहले से कह दूं

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्योंकि आगे जाकर अगर विकास का काम न हो, तो कहने का मौका मिलेगा, मुझे कहने का अधिकार रहेगा कि क्योंकि विधेयक में खामियां थीं, इस कारण पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक जिस उद्देश्य से रखा उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कदम उठाया है, जनता को अपने पैरों पर खड़ी होकर कार्य करने को मिल कर करने का अवसर देने का, गांव का विकास करने का अवसर देने का, उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं लेकिन इसमें बहुत सी बातें जल्दी जल्दी के अन्दर रह गई हैं क्योंकि हमारे यहां कानून बनाने की सरकार की ऐसी आदत पड़ गई है कि जिस काम को करना है, जल्दी जल्दी करें, चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, जल्दी निकाल देना चाहिये, फिर बाद में......

श्री उपाध्यक्ष : वह बतलाइये कि किस किसमें कच्चाई है, उस पर आ जाइये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अमेंडमेंट आते जाते......

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : नौ महीने के अन्दर नहीं होते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, सबसे बड़ी खामी यह है कि आज की बात कह रहा हूँ कि कुछ काश्तकार लोग मेरे पास आये, वे कह रहे थे ऐसा कानून मुख्य मंत्री जी ने बनाया है......

श्री उपाध्यक्ष : जो बाहर बातें हुई हैं, वह सदन के प्रांगण पर न आयें। अपनी बात कहिए।

श्रीमोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमन्त्री): फिर क्या कहा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमें बहुत सजा मिल जायगी, हम लोग काम करेंगे। मैंने उनसे कहा कि बेशक यह जरूरी है, आप सरपंच हैं, तमाम सरपंच मिल कर एक पंचायत समिति के मेम्बर बनेंगे, उनमें से एक सदस्य प्रमुख बनेगा.......

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कानून समझाया।

उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, जो बाहर बातें हुई हैं, वे सदन के प्रागण में न आयें।

श्री अर्जुनदास : कोरम नहीं है, व्यवस्था कोई की ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह व्यवस्था दी है कि सब सरपंच मिलकर मेम्बर होंगे, और उनमें से एक प्रमुख चुन लिया जायगा तो सरपंच के पद से च्युत हो जायगा, जो सरपंच चुनकर आयेगा,

१२. २५. म. प.

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

तो उसका उस ग्राम पंचायत से ताल्लुकात नहीं रहेगा...

श्री अर्जुनदास : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

There is no quorum a tall,

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि पंचायत समिति के सरपंच सदस्य बनने के लिये तैयार नहीं होंगे....

(गणपूरक सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आ जाने से कोरम पूरा हो जाने पर)

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो जब सरपंच हैं, वे पंचायत समिति के प्रमुख बनने के लिये तैयार नहीं होंगे, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति जो सरकार द्वारा कोऑप्टेड है, मेम्बर बनेगा, उसको बनाने की सरकार कोशिश करेगी क्योंकि जो सरपंच वहां पंचायतों में हैं वे प्रमुख बन कर पंचायतों को नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसलिये मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो प्रावधान है, उसको ठीक तरह से रखा जाय। पहले उसमें था कि एक आदमी तीन जगह रह सकता है फिर कह दिया कि एक जगह रहना चाहिए। तो कम से कम पंचायत के सरपंच को पंचायत समिति में प्रमुख जरूर रहना चाहिए।

दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपने एजूकेशन के ऊपर टैक्स लगाया है, वह टैक्स बच्चों के ऊपर है। आज फीस आदि बहुत बढ़ी हुई है और जगह जगह आन्दोलन होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि यह टैक्स शुरू में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां के लोग जानते नहीं हैं कि किस तरह से यह होगा, किस तरह से नहीं होगा, वे वहां जाकर बैठेंगे और फौरन कहेंगे कि नया टैक्स आया है तो उनकी भावना क्या होगी। यह जो बिल आप बना रहे हैं, इसकी जो भावना है वह मिट जायगी।

तीसरी बात यह है कि जिन म्यूनिसिपेलिटी के कहीं पर इलेक्शन नहीं हुए हैं और जो म्यूनिसिपेलिटी कमेटी अभी कायम हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। तो माननीय मंत्रीजी ने फर्माया है कि छोटी म्यूनिसिपल कमेटी हैं उनका एक मेम्बर ले लिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि वहां चुनाव नहीं होगा और जो पंचायत वहां मुकर्रर होगी, उसमें म्यूनिसिपल कमेटी का एक मेम्बर ले लिया जायगा चौथी बात यह है कि इस बिल में ब्लॉक एरिया पर काफी जोर दिया है, जहां ब्लॉक एरिया होगा, वहां इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा। आपने यह भी कहा है कि सैकड़ों ब्लॉक खोले जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट होगा लेकिन उसकी कहीं कहीं छाया पड़ेगी...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसकी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां ब्लॉक नहीं हैं, वहां आज तक, १० वर्ष हो गये, न प्रोडेक्शन बढ़ा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सैकड़ों ब्लॉक हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह धीरे धीरे अन्धकार हो जायगी, यह आपके हाथ की बात है। (हंसी) मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बिल को अच्छी तरह से जिस भावना से बनाया है, उसको उसी तरह

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

से कार्यान्वित करना है तो सरकार को चाहिए कि जहां म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव नहीं हुए हैं, जिन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, उनके चुनाव करा देने चाहिए और जहां ब्लॉक नहीं हैं, वहां ब्लॉक खोल देना चाहिए। तब तो मालूम होगा कि सरकार सब जगह समानता बरत रही है और कहीं भेदभाव नहीं है वरना आप देखेंगे कि इसे बहुत सी जगह कार्यान्वित करने में मुश्किल आयेगी और बहुत से लोग सहयोग नहीं करेंगे। अगर इसमें सबका सहयोग लेना है तो अपना दिल साफ करें और फिर काम करें। जहां ब्लॉक नहीं है वहां ब्लॉक खोलें और जहां इलेक्शन क्श्य है वहां इलेक्शन करिये। अगर सदस्यों को कोऑप्ट कर दिया, कभी फलाने को भेज दिया, कभी ढिकाने को भेज दिया (हंसी) तो इससे क्या फायदा होगा, यही मैं कहता हूं कि आप इसको कार्यान्वित करें सबके साथ भावना एक सी रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): आपकी और हमारी भावना एक ही रहेगी।

(कुछ क्षण कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई बोलने वाले ही नहीं हैं साहब !

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, दो सिद्धान्तों के आधार पर यह बिल पेश है। पहला सिद्धान्त है लोकतन्त्र जिसे विकेन्द्रीकरण कहना चाहिए। उसके साथ साथ आपका केन्द्रीकरण चल नहीं सकता। लोकतन्त्र और केन्द्रीकरण परस्पर विरोधी तत्व हैं, इतने विरोधी तत्व हैं कि यदि हम चाहते हैं कि लोकतन्त्र लायें तो केन्द्रीकरण से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाये बिना हम लोकतन्त्र ला नहीं सकते।

दूसरा सिद्धान्त है मनुष्य की मानवता है वह सार्वभौम सत्ता है, इस मानवता का मूल्यांकन करना होगा। इन दो सिद्धान्तों के आधार पर हमने आवाज लगाई कि शोषण-विहीन, श्रेणी-विहीन और शासन-मुक्त समाज हम चाहते हैं।

(ट्रेजेरी बैंचेज के माननीय सदस्यों को बात करते देख कर)

मैं चाहता हूं कि आप बात न करें, नहीं तो मैं बैठ जाऊं, आप क्षमा करें आप और नाराज होंगे।

शोषण-विहीन, श्रेणी विहीन और शासन-मुक्त समाज हम चाहते हैं। शोषण–विहीन करने के लिए हमने बिचोलियों को–इन्टर-मिजियरीज को खत्म किया। शासन मुक्त-समाज हम चाहते हैं। लोकतन्त्र और नौकरशाही दोनों सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए मैंने यह आपके सामने रखा कि हम शासन-मुक्त समाज चाहते हैं। इसमें मानव विकास करता है। इसमें जितनी शासन की इकाइयां होती हैं वे विकास में बाधक बन कर रुकावट पैदा नहीं कर सकतीं।

शोषण-विहीन समाज के लिए हमने जागीरदारों जमींदारों, इन्टरमीडियरीज को समाप्त किया

(श्री मूलचन्द डागा)

और श्रेणी-विहीन समाज के लिए हमने कास्ट, ऊंच, नीच, भेदभाव को खत्म किया। जब आप शासन-मुक्त करना चाहते हैं तो जो गांव पिछड़े हुए हैं, जिनमें हम चाहते हैं कि खुशहाली आये, तरक्की हो, गांव चमकने लगें तो उन गांवों के बीच में आप ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक पटवारी है, पुलिस का कॉन्सटेबिल है, थानेदार है जिनके द्वारा गांवों का शोषण ही नहीं होता, बल्कि उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जिनसे अड़चनें पैदा होती हैं, इनको दबाया जाता है, धरती धान देती है पर पटवारी उसमें रुकावट पैदा कर सकता है। जबकि लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण का नाम ले रहे हैं वहां आपने उस पटवारी के अधिकार इतने सुरक्षित रखे हैं कि वह अपनी मूंछें यों ही तान रहा है, चाहे यह पंचायत समिति बन गई, ग्राम पंचायत हैं उस पर पटवारी का पटवारपन ज्यों का त्यों है जिस पटवारपन पर कि शासन चलता है, जिसकी कलम की नोंकपर किसान के भाग्य का निपटारा होता है, एक जमीन धान उगलती है पर पटवारी लिख देता है कि इसमें धान नहीं होता है तो पंचायत समिति कुछ नहीं कर सकती। आप इस विकेन्द्रिकरण में पटवारी की क्या हैसियत रखना चाहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ कि राजस्थान के कोने कोने में, गांव गांव में जो मुसीबत और आफत है इस पटवारी के कारण है, मान लीजिये कहीं अकाल पड़ गया और पैदावार नहीं हुई पर पटवारी जब तक यह नहीं लिख देता कि धान नहीं हुआ तो कोई लाख सिर फोड़ ले कुछ नहीं हो सकता। पर आप इसमें पटवारी के पटवारपन को खत्म करना नहीं चाहते, हमारी पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान उसके किसी काम में इस प्रकार की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक पुलिस कॉन्सटेबिल गांव में तहलका मचा सकता है पर आपके गांव का प्रमुख उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपके विकास के कामों में हस्तक्षेप है पर रोजमर्रा के जीवन से सम्बन्धित जो बातें हैं, उनमें आप क्या करने जा रहे हैं? जब तक आपने इन पटवारियों और पुलिस वालों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार पंचायत समितियों को नहीं देंगे तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं पंचायत समिति भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेंट कर के कृषि का विकास करना चाहती है पर भूमि का सारा रेकार्ड पटवारी के पास रहता है, गिरदावर, पटवारी भूमि के बारे में कुछ भी नहीं बताते तो प्रधान कुछ भी नहीं कर सकता, किस तरह पंचायत समितियां जमीन अलॉट करेंगी और विकास कार्य करेंगी? जिस किसी को जमीन लेनी होगी तो उसे पहले पटवारी को भेंट चढानी होगी, देवताओं से पहले इन पटवारियों को भेंट चढ़ानी होती है। आज तीन तीन सौ, चार चारसौ, पांच पांच सौ रुपया माहवार पटवारियों की गावोंमें आमदनी पहुँचे गई है। जब तक ये पटवारी रेकार्ड निकाल कर पंचायत समितियों को नहीं दिखायेंगे तब तक किस तरह जमीन का वितरण होगा और इस तरह वे किसी को जमीन अलॉट नहीं कर सकेंगी। मेरी समझ नहीं आता कि आप पटवारियों को पंचायत समितियों के अधिकार में क्यों नहीं देना चाहते।

पुलिस कॉन्सटेबिल के बारे में मैं कहूँ, मैंने कई गांवों के बारे में कहा कि आपके यहां

(श्री मूलचन्द डागा)

पुलिस चौकी कायम करा दी जाय तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब भूल कर भी हम ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग तो जितने दूर उतने अच्छे, नहीं तो ये पुलिस के परिंदे हमारी छाती पर मूंग दलने नहीं आ जायं। हम हमारे यहां कोई पुलिस चौकी या पुलिस थाना नहीं चाहते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह शासन विहीन समाज कौन सा आता है ?

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते हैं शासन-मुक्त समाज, आप नहीं चाहते हैं तो आपका कदम है वह अधूरा कदम है। इन्सान इन्सान पर हुकूमत चाहता है तो आपका कदम अधूरा है और अधूरा उठाया हुआ कदम कभी पार नहीं पड़ता है। आप अभी चाहें इस चीज को न मानें पर आने वाला समय इसका उत्तर देगा, भविष्य बतायेगा। अगर प्रधान पटवारियों और पुलिस वालों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो आपके द्वारा उठाया गया वह कदम कितना सफल होगा इसका उत्तर भविष्य ही देगा।

तो मैंने एक चीज बताई कि जो ग्रामीणों के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं राज्य कर्मचारी, पटवारी, पुलिस के कॉन्सटेबिल इनके सम्बन्ध में आप यह चाहते हैं कि पंचायत समितियों को इनके काम देखने का अधिकार नहीं देना चाहते, प्रधान को यह तक देखने का अधिकार नहीं है कि वे क्या करते हैं ? आखिर उनके दिमाग में आना चाहिए कि हमने आजादी हासिल की है, जिसका नक्शा महात्मा गांधी ने हमें दिया है, उसको सही माने में सफल करें। आपको यह मुसीबत महसूस नहीं हो सकती क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं, यह तो दुबला पतला ग्रामीण किसान ही जो कि पटवारी की वजह से परेशान हैं, पुलिस वालों के डंडे खाता है वही जानता है। मेरा एक सिद्धान्त यह है कि उन लोगों को उनके अधिकार भी दिये जावें। दूसरा प्रश्न यह है कि, विकेन्द्रीकरण से मेरा प्रश्न है और शायद आप उसका उत्तर भी देंगे कि आपके प्रशासनिक खर्चे कम होंगे या इससे ज्यादा। मैं अन्दाज लगाता हूं कि जो पंचायत समिति का आपने बिल बनाया है उसमें आपने एक दो तीन या चार पांच का अन्दाजा लगा लिया होगा। मगर इस सारी योजना से सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा और कितना बढ़ेगा और इस व्यय के आधार पर कितनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए तो क्या इस विकेन्द्रीकरण से नौकरशाही में और आपके प्रशासनिक खर्चे में कमी होगी या वृद्धि होगी। मेरी समझ में तो यह आता है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति बनेगी उसके अन्दर आपको खर्चे की वृद्धि होगी और इतनी भारी वृद्धि होगी कि जिसकी कमी हम करना चाहते थे वह नहीं होगी और आप देखेंगे कि अधिकारियों का इतना भारी खर्चा बजट पर होगा जिसको आप खुद महसूस करेंगे और देखेंगे कि जिस खर्चे को कम करना चाहते थे वह नहीं हो रहा है। आज विनोबाजी के शब्दों में जो ५६ लाख हिन्दुस्तान में गांव में, अन्न उत्पन्न करनेवाले कहे जाते हैं वे बिल्कुल अंधकार में है। आप पंचायत समितियां बनावेंगे और उसमें वहां के लोगों को अधिकारियों में लग देंगे और इतना रुपया वहां लगावेंगे, उसके बाद गांव के पंचों को लगा देंगे और इतने पर भी क्या आप अपने अधिकारियों की संख्या कम कर सकेंगे। क्या

(श्री मूलचन्द डागा)

आपके अधिकारियों की संख्या कम होगी या अधिक। यह दूसरी बात है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें होने ही नहीं पाई इससे पहले आपका लाखों रुपयों का खर्चा हो चुका है और आपका कितना भत्ता डी. ए. और टी. ए. में बनेगा यह आपको समय बतावेगा। तो मैं यह समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण के नाम पर नौकरशाही की कमी होना बहुत जरूरी है जो नहीं हो रही है। इस बिल के प्रशासन में कोई खर्चा कम नहीं हो रहा है।

चौथी बात यह है जो मैंने बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट में पढ़ा है। आपने एक बहुत लम्बी-चौडी लिस्ट दे दी है शिड्यूल में। मैं समझता हूं कि आप एक ऐसी लिस्ट देते जो संक्षेप में हो।

हम दो चीज चाहते हैं एक गरीबों की गरीबी का निराकरण। जब गरीब आदमी अपनी गरीबी से ऊंचा उठता है तो आप भी ऊंचे उठते हैं। इसलिये एक मांग है गरीबी का निराकरण। इसके लिये जितने साधन उपलब्ध कर सकें, करें और जो गिर रहे हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि पुलिस के अधिकार उनको देने चाहिए। चाहे आपके दिमाग में सही बात हो या न हो लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब तक आप पंचायत समिति को इस पर अधिकार नहीं देंगे तो हम गांव में नई चीज नहीं पाते हैं।

तीसरी बात यह है कि विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में तो मैंने बराबर कहा लेकिन पुलिस के बारे में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वीट्जरलैंड में गांव की समितियों को पुलिस का पॉवर होता है। मैं समझता हूं कि यहां पर भी उनको पॉवर होना उचित होगा। अगर एक थानेदार के खिलाफ रिपोर्ट है कि वह रिश्वत लेता है तो वे उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या स्वीट्जरलैन्ड में सारी पुलिस पर समिति को अधिकार है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहूंगा कि है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सब हो या नहीं मुझे इस पर बहस में नहीं जाना है।

श्री अर्जुनदास : No body contradicts you here

श्री मूलचन्द डागा : Let us not depend upon counter talks...

मुझे इस बहस में नहीं जाना है। अगर वे कहते हैं कि नहीं है तो नहीं। हम अपने विचारों के आधार पर यहां की स्थिति के आधार पर सोचें कि हमें यह करना चाहिये या नहीं। आप कहते हैं कि नहीं है तो मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरी चुनौती है उसको आप स्वीकार करें। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह पॉवर आप पंचायत समिति को दें। यह तो गुमाश्ते और मालिक का सम्बन्ध है। आप देखेंगे कि मालिक बेचारा रोता फिरता है और गुमाश्ता मौज करता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि

(श्री मूलचन्द डागा)

आप मालिक को मालिक का स्थान दें और गुमाश्ते को गुमाश्ते का अधिकार दें। हम नहीं चाहते कि विकेन्द्रीकरण के बाद, दो अक्टूबर को आप ऐसा काम उठावें कि वास्तव में हम अपने इस मुल्क में अपनी ताकत के अनुसार काम कर सकें। लोगों को मालूम हो कि हम अपने मुल्क के मालिक हैं और दूसरा कोई प्राणी हमारे पर हुकूमत नहीं कर सकता। हममें से साधारण व्यक्ति भी हुकूमत कर सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान के अन्दर इस सदन और राष्ट्र के लिये जब कि इस विधेयक की थर्ड रीडिंग हो रही है और जिसको पास करना जरूरी है, एक ऐतिहासिक दिन मानता हूं। आज सारे देश में विकेन्द्रीकरण के बारे में सभी सरकारों में इस तरह के बिल की और सारी बातें चल रही हैं और इसकी मोहर और इससे जो एक सारे देश में शक्ति पैदा होने वाली है, इससे कुछ लोग बहुत अश्रव्य कम करके दिखानेका प्रयत्न किया जाता है। मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा कि इस बिल के द्वारा हम किस तरह से जनतन्त्र को मजबूत करने जा रहे हैं। पुराने जमाने में इधर उधर फौजें देश को रौंदती हुई निकलती थीं तो हर आदमी यह समझता था कि राजा का राज्य है। राजा लड़ाई करके अभी कब्जा कर लेगा। या राजा लड़ाई में हार जायगा तो दूसरा राजा कब्जा कर लेगा। किसका राज्य होता है। मगर आज जब जनतन्त्र कायम हुआ तो आज जिस तरह की देश में स्थिति हो रही है हम इस बात की तहत में लग रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और हमने जो कदम उठाया है और हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, हमारे गांवों में जनतन्त्र के लिए अच्छा है और वहां पहुँचने के बाद उनको यह महसूस हो कि देश हमारा है और कोई भी देश या कोई भी मुल्क हमारे राज्य की सीमाओं पर हमला करेगा तो हम सब अपनी जानें हँसते हुए हमारे जनतन्त्र के लिए दे देंगे। इस तरह से विकेन्द्रीकरण का यह बिल सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जिसने यह पोलिसी डिक्लेअर की थी। कांग्रेस की तरफ से वह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस बिल के द्वारा सारे देश में और राजस्थान में ऐतिहासिक घोषणा हो कि आज हम ऐलान करते हैं कि हम इस डेमोक्रेसी को देश में अमर करेंगे।

मैं इसके साथ आपको कहना चाहता हूं, कि राजस्थान सरकार से और इस सदन से मेरा निवेदन है कि इसके महत्व को समझा जाय और इसको सभी के पास पहुँचाया जाय। इस बिल द्वारा हमारे कर्त्तव्यों में बड़ा अमली परिवर्तन किया गया है दूसरे प्रान्तों में जो बिल पेश हुए हैं उनमें आज भी यह बात है कि कलेक्टर जिला परिषद् का प्रेसिडेन्ट है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कहीं से भी खबर नहीं है कि कोई प्रान्तीय सरकार इससे आगे बढ़ी हो, जितनी प्रान्तीय सरकारें, हमारे देश की किसी ने भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की कि जिला कलेक्टर बी० डी० ओ० को पंचायत समिति या जिला परिषद् का प्रेसिडेन्ट या कन्वीनर, जो कुछ भी कह दीजिये, नहीं रखा गया। वही पद उसी तरह से रखा गया है वहां पर जो कि सदियों से चलता आया है। लेकिन राज-

Page No 49

(श्री ज्वालाप्रसाद)

स्थान सरकार और इस सदन के लिये यह यह गौरव की बात है कि उनके हाथ से इसको निकाल कर इसको ऐसा रूप दिया है कि जो जनता से चुने हुए लोग हैं वे ही लोग मिल कर चुनाव करेंगे , कोऑप्शन करेंगे और दोनों जगह पर अपने प्रेसिडेन्ट बनायेंगे । यह एक फन्डामेन्टल चीज है । किसी भी प्रान्तीय सरकार की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि जो पहल राजस्थान में की गई है वैसी चीज अपनाये। यह एक इस तरह से इन्कलाबी बिल है, आगे जाकर, दो अक्टूबर को यह एक्ट बनने वाला है। हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। थर्ड रीडिंग के वक्त कुछ स्थितियां बनीं कि कुछ लोगों ने कुछ कह कर ही अपने को सन्तोष देने के लिए, कुछ न कुछ तो कहना ही है, इसलिए शुरू कर कर दिया, शादी का जुलूस निकल रहा है लेकिन रोने वालों के लिए, अपशुकन करने वालों के लिए दोस्त हो ही जाते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : विधानसभा कोई रोने की जगह होती है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद : इस तरह की चीज चली है इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह सदन एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, उसकी कामयाबी की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम सब इस बातका प्रयत्न करें कि जिससे राजस्थान में जनतंत्रको अमर बना दें। यह इसी तरह का बिल है जो कि सदन पास कर रहा है, हर गांव, खेड़े खेड़े में जाकर इसके इम्प्लीकेशन्स को लोगों तक पहुँचायें। इन पांच सालों में यदि कोई बड़ा काम किया है तो यह एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारे आपसी सम्बन्धों को ह्युमन रिलेशन्स में इसके द्वारा बहुत बड़ा, आमूल परिवर्तन किया गया है, यह हमने इस कार्यकालमें सबसे बड़ा काम किया है, इन पांच साल में यह सबसे बड़ा काम सदन करने जा रहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आप कुछ भी कहें, आप सबके अन्दर एक जोश है, आप इसको समझ रहे हैं लेकिन चूंकि यहां परम्परा है कुछ न कुछ रखने की इसलिए कुछ न कुछ तो इसके बारेमें रखना ही चाहते हैं एक चंडी रानी की कथा है....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a Point of Order Sir. I think this is the contempt of the House and the Hon'ble Member says that we don't mean what we suggest. I am entitled to say that we mean. What the Hon'ble Member suggests. The Hon'ble Member he is always contempting the House...

श्री ज्वालाप्रसाद : चन्डी रानी की कथा सुना रहा हूँ हाऊस में यार तुम्हारी कथा नहीं सुना रहा हूं।

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Member should withdraw.

श्री सभापति : वे अपनी इच्छानुसार सब कुछ कह सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : उन्होंने जो कुछ कहा है....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, प्रोसिडिंग्स देख लीजिये उन्होंने 'यार' शब्द कहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपको अंग्रेजी कम आती है। यार का कोई मतलब नहीं निकलता है ? कोई बात नहीं, उनको यदि बुरा लगेगा तो वे खुद कह देंगे। लेकिन आपको क्या बुरा लग रहा है।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय...

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं तो अभी बोल रहा हूँ सभापति महोदय।

श्री सभापती : जी हाँ, आप जारी रखिए।

श्री ज्वालाप्रसाद : बीच में जो कुछ बात हो गई बहुत नजदीकी के लोग हैं, इस–लिए हो जाता है, सदन को भूल जाते हैं और नजदीक की बातें यहां भी आ जाती हैं। कुछ लोगों में इस प्रकार की प्रथा सी पड़ गई है कि जैसे एक राजा की रानी थी, वह जो कुछ उसको कहता उसके वह उल्टा करती थी। बड़ा परेशान हो गया कि आखिर क्या किया जाय ? बुद्धिमान लोगों ने कहा कि तुम इसको उल्टा ही कहना शुरू करो ताकि वह सीधा करेगी। उसने कहा कि गंगा स्नान करने नहीं जावेंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं जरूर जाऊंगी। पानी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि नहीं नहाना है, उसने कहा कि जरूर नहाऊंगी। नहाना है तो ठीक है लेकिन गले में चक्की का पाट नहीं डालना है, उसने कहा कि नहीं मैं डालूंगी। फिर उसने कहा कि गहरे में नहीं जाना है लेकिन कहा कि जाऊंगी और वह चक्की के पाट के कारण गहरे में जाकर डूब गई। कोई बात उठाए, जो सरकार की अच्छी बात है, उसको कहना ही चाहिए। पुलिस पर दोषारोपण करने की बात शुरू हो गई, कहीं पटवारी की बात आ जाती है तो कहीं सरकार की। मैं कहूंगा कि सरकार हर जमाने में रही है और आगे भी हर जमाने में रहेगी। चाहे एकतन्त्र राज्य हो, चाहे कुटुम्ब का राज्य हो, चाहे कानून का राज्य हो। कानून हर जगह है, हर घर में है। समाज को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श व्यवस्था तो वही होगी कि जहां सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। आदर्श व्यवस्था वही होगी कि जहां पर मनुष्य मनुष्य के हक को समझेगा और स्वार्थ के लिए यह कोशिश नहीं करेगा कि उसके पास सत्ता रहे। उस दिन सरकार की जरूरत नहीं होगी। उसको युटोपियन कहिए या और कुछ। आदर्श ध्येय तो यही होता है। समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए किसी न किसी सूरत में दुनियां में हर जगह सरकारें मौजूद है। हमने एक रास्ता निकाला, संविधान बनाया और जो परिस्थितियां हैं उनमें अपने समाज व्यवस्था के लिए अच्छे से अच्छा इन्तजाम करने की कोशिश की और उसमें जो पहलू है उसमें बहलाव की एक धारणा रही है। जिस जनता पर राज्य किया जाता है उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए एक जनतन्त्र कायम करने की कोशिश की है। इसलिए यह कहना कि शोषण हो गया, पुलिस ने यह कर दिया वह कर दिया, मैं कहता हूं आदमी का राज्य आदमी के ऊपर है, जो पुलिस हमारे यहां पर है वह कानून से बनी है और शान से बैठी हुई है। वह १॥ करोड़ जनता की है और जनता की और उसके माल की हिफाजत के लिए जिम्मेदार है। उनके ऊपर हीन वृत्ति से हमला किया जाता है उसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

(श्री ज्वालाप्रसाद)

उनको यही बोलना है कि ये खराब चीजें हैं। जिस तरह से आंखों के अंधे को सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है उसी तरह की बातें यहां भी की जाती हैं। इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज हमारी सरकार पुलिस और अन्य विभाग शान्ति को जमाये हुए हैं।

१ म. प.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर सिटी) : On a point of information, Sir. मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस का यहां जिक्र किसने किया।

श्री अर्जुनदास : गाने वाले को तो गाने से मतलब है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरे से जानना चाहते हैं शायद आप उस समय यहां नहीं होंगे। एक सम्माननीय सदस्य जो सदन में बोले थे उन्होंने इस विषय की चर्चा की थी। पुलिस जौंक की तरह खून चूसती है इस वजह से मुझे भी यह वाकया याद आगया हालांकि इसकी कोई रिलेवेन्सी नहीं है। आपको जरूर सुनने में दिक्कत होती होगी किन्तु जब उनको आपने सुना है तो आप जरा मेरे लिये भी आप तकलीफ उठाते हैं तो कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार की चीजें एक सिलसिले से शुरू होती हैं।

खैर। अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन राजस्थान के लिये और विधान सभायी सदस्यों के लिये बड़े गौरव का है। इतिहास आज से पचास वर्ष बाद यह लिखेगा और हमें याद करेगा कि हमने रात रात बैठकर इस प्रकार के सत्ताके विकेन्द्रीकरण के कानून को और जनतांत्रात्मक विकेन्द्रीकरण कानून को बनाया।

इसके अलावा एक बात और कह दूं। कुछ लोग इस बात की रट लगाते हैं कि हमारे बाप दादे भी पंचायतें चलाते रहे हैं। आज आप पंचायत समितियों का निर्माण कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से अपने बाप दादों की आड़ लेकर चलते हैं वे आज के इस तरक्की के युग में उनका नाम लेकर चल नहीं सकते। इसके लिये भी एक किस्सा है। किसी जगह हड़ताल चली, एक घड़े में मैला पड़ा था उसके पास ही पूड़ियां, कचौड़ियां, और गुलाब जामुन आदि एक कूड़े के ढ़ेर पर पास में पड़े हुए थे। गुलाबजामुन आदि मिठाइयां आपस में बातचीत कर रही थी आज हम कहां पड़ी हैं। तो आज दो सौ वर्ष की गुलामी के बाद जनतन्त्र में हम जमा हुये फिर भी हम पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे बाप दादों के समय में भी हमारे यहां गणतंत्र था। बरसों तक १३, १४ साल पहले जब अंग्रेजों के गुलाम थे आज जब कि इन्कलाब पैदा हो रहा है उसमें भी हम हीन वृत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, यह उचित नहीं है। आज हमें सबपार्टी बाजी को अलग रख कर कांग्रेस, जनसंघ, इन्डीपेन्डेन्ट आदि सब को अपने मतभेद भुलाकर इस जनतंत्र को हमें दृढ़ बनाने में जुट जाना चाहिए। पंचायत समितियां और जिला परिषद् को अच्छा स्टार्ट मिले, इस तरह की वृत्ति हमारी होनी चाहिए। मेरा श्रीमान ऐसा विश्वास है कि हम सब अपने मतभेद भुलाकर इसको सफल बनाने में पूरा सहयोग देंगे।

Page No 52

श्री हीराभाई (बांसवाड़ा) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक पर हम अन्तिम निर्णय लेने जा रहे हैं। जिसमें बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे थे और मंत्री महोदय ने भी सुझाव रखे और इसमें कई तरह की बाधायें पहुंची और इसमें गलतियां दुरुस्त की। माननीय चेयरमैन, जब से राजस्थान पंचायत समितियां तथा जिला परिषद् विधेयक सदन में नहीं आया उससे पहले से काफी प्रचार इस बारे में होता रहा है कि हम लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। इस प्रकार का पहला मौका सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान को मिल रहा है। ऐसी हालत में हमारी जनता सरकार को धन्यवाद देने का पात्र समझती। आखिर में नतीजा यह हुआ कि सत्ता के बजाय आज हम इस बिल में भी ड़ेढ़ करोड़ जनता पर सरकारी ऑफिसरों को थोपने का प्रयत्न कर रहे हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): ऑफिसरों से काम नहीं करवावें तो किससे करवावें।

श्री हीराभाई : पब्लिक करेगी। आप पब्लिक को फिर ऑफिसरों की गुलामी के नीचे दबाना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो क्या होना चाहिए, आपकी सोशलिस्ट पार्टी की क्या नीति है? वह बतलाइये।

श्री हीराभाई : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ फरमाया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम हिन्दुस्तान में और राजस्थान में विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। लेकिन जिनके हाथों में इसकी बागडोर रखी है, ग्राम पंचायतों के और विकास समितियों के भंग करने के बारे में वह रखी है सरकार के हाथों में। एक तरफ तो जनता के हाथ में सत्ता देते हैं और दूसरी ओर उनको भंग करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। किसी काम में कोई पंचायत समिति असफल रहती है, सरकार भी कई कामों में असफल रहती है फिर उसको विधान सभा भंग नहीं करती जनता के हाथ में इसकी बागडोर है वहां पंचायत समितियों को भंग करने की बागडोर सरकार के हाथ में है यह जनतंत्र के खिलाफ जाने वाली चीज है।

माननीय चेयरमैन महोदय, हमने आजादी के पहले यह नारा लगाया था कि जनतन्त्रीय शासन में किसी बड़े और छोटे का भेदभाव नहीं रहेगा। आज हम देखते क्या हैं, आज जो बी० डी० ओ है या कलेक्टर है और कमिश्नर है उनके पास चपरासी लोग काम करते हैं वे लोग उनके बेबी, बीबी और बच्चों के लहंगे धोते हैं, उनसे घर का काम काज करवाया जाता है लेकिन उनके लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती और दूसरी तरफ इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण का बिल पास कर रहे हैं। इसमें यह भी रखा गया है कि बी० डी० ओ० या कलेक्टर चाहेगा तो रिपोर्ट कर सकता है और उनके कहने के अनुसार पंचायत समितियां भंग हो सकती है। यह जनता के हाथ में सत्ता देने की बात कहां रही। आज पंचायत समिति को यह भी अधिकार नहीं कि उसके यहां काम करने वाला कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है उसको सजा दे सके। आज किसी पंचायत समिति को जहां पचास हजार या लाख रुपया खर्च करने को देते हैं वह अपने जिले के लिए खर्च करे।

(श्री हीराभाई)

माननीय सभापति महोदय, आप जिलों के द्वारा विकास के कामों पर पैसा खर्च करें और साथ साथ यह भी कहें कि स्थानीय जनता से हर तरह का टैक्स वसूल किया जाय और तभी ग्राम पंचायत और जिला परिषद् सफल हो सकती है, वहां के निर्माण कार्य भी सफल हो सकते हैं। तो जहां गांवों में खाने को टुकड़ा नहीं वहां आप कैसे टैक्स वसूल करोगे। वहां न तो श्रमदान आवेगा न निर्माण कार्य पूरा होगा। इसलिए कह रहा था कि आपकी नीति खराब है।

चेयरमैन महोदय, आज के जमाने में यह भी देखेंगे दुनियां में कि जितना भ्रष्टाचार आज हो रहा है और जितना जो कुछ हो रहा है उस पर भी आप कुछ अंकुश नहीं लगाना चाहते। आपने तो इन नौकरों को जनता को खाने को खुला छोड़ रक्खा है, वे गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आप ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करके सजा दिलावें उनको पहले। फिर सत्ता का विकेन्द्रीकरण अगर आप करते हैं तो कुछ हो भी सकेगा। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं जहां तक समझता हूं, विकास का काम तो ग्राम पंचायतों के द्वारा अभी तक जो हो रहा था उसी तरह से और भी होता रहता। ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती थी। विकास का निर्माण कर रहे थे। तहसीलदार और कलेक्टर उनकी भी देखभाल करता था और सारा काम ठीक चल रहा था। बाकी इस बिल को पास करने के लिए स्पेशल बैठक बुलाई और लाखों, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। यह न होता। इसी तरह से मालूम होगा कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें ऐसे ऐसे पंच, सरपंच हैं जिनको अवधि कल खत्म हो रही है। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ट्रेनिंग में कितना रुपया खर्च हो रहा है इसकी चिन्ता नहीं, फिर वह चाहे काम आवे या न आवे। दस दिन के बाद नये चुनाव होंगे। नये सरपंच और पंच आवेंगे। तो क्या यह जो खर्चा सरकार ने किया वह पैसे का दुरुपयोग नहीं था। यह बिलकुल दुरुपयोग हुआ। उस तरफ हमारी सरकार की आखें नहीं जावेंगी।

पर किधर जावेंगी। जिधर आमदनी होगी, जिधर भ्रष्टाचार से पैसा मिलेगा उस तरफ ज्यादा नजर जावेगी। वरना इस तरफ नहीं पहुंचेगे। इस तरह दुनिया के धन का दुरुपयोग हो रहा है और इस तरफ हमारे मन्त्री महोदय कभी ध्यान भी नहीं देते। अब जो इन बातों के खिलाफ आवाज उठावेंगे तो सजा उनको मिलेगी। भ्रष्टाचारियों को नहीं। उस समय हमारे मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र होंगे, यह विकेन्द्रीकरण होगा। ऐसी हालत में राज विकेन्द्रीकरण हो रहा है।

राज विकेन्द्रीकरण करना है तो आप न्याय और प्रशासन को अलग अलग करके फिर राज विकेन्द्रीकरण की बात दुनिया में फैलाते तब तो हम समझते कि राज विकेन्द्रीकरण हुआ। आज जो कलेक्टर को ओथोरिटी है वही आगे है और इसी तरह की गुलामी आज भी है। आप सोच लीजिए कि आपकी यह जिला परिषद् और पंचायत समितियां इनके रहते निर्माण कार्य में कितनी आगे चल सकेंगी यह आपको मालूम है नहीं। अगर मालूम है तो जानबूझ कर मन में रखकर सोये हुए हैं। एक तरफ किसी तालाब के निर्माण पर दस हजार रुपये खर्च कर रहे हैं उसके लिए

Page No 54

(श्री हीराभाई)

आपने मापदंड यह भी रखा है कि वहां पर पांच हजार श्रमदान होना चाहिए। अब इसके लिए वहां के लोग इतना झूठा बिल बनाते हैं कि दस हजार पांच हजार के बजाय बीस हजार का बिल पेश करते हैं और अगर रिपोर्ट होगी तो कौन मरेगा ? वह चेयरमैन और पंच. सरपंच। आज के बी. डी. और तहसीलदार कलेक्टर तो दूर रह जावेंगे। सारा बोझ उन पर डाल कर अलग हो जावेंगे। उनको तो किसी तरह से विकास का रुपया खर्च होना दिखाना है। इस तरह से झूठे काम चलते हैं। झूठे बिल बन रहे हैं और इनको सहायता किनकी है। कलेक्टर बी. डी. ओ. और उच्च अधिकारियों की हर तरह की उनको मदद है। आखिर क्या होगा। सरकार का पैसा यों ही जावेगा और अगर कहीं मामला पकड़ा गया तो वे अधिकारी बदल जावेंगे। आखिर लिखित में तो है नहीं कि उनकी ही शह से यह सब हुआ है। करने वाले पर भार पड़ेगा, वही सजा भुगतेगा। तो वह रिपोर्ट देंगे; अदालत में चालान करा देंगे और सजा करावेंगे। मैं समझता हूं कि इसका पूरा कारण जो है मंत्री महोदय को मलूम है। परन्तु जानबूझकर आंखमिचौनी खेलना चाहते हैं और देश को डुबाना चाहते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं। उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। देश फिर डूब जावे तो ठीक है और निकल जावे तो ठीक है। तो इन खामियों के कारण यह विकेन्द्रीकरण की बात पूरी नहीं पड़ेगी। विकेन्द्रीकरण अच्छी बात है। इसका मैंने पहले स्वागत किया था। पर इसकी जो खमियां हैं उनका मैं विरोध करता हूं। उन खमियों को दूर नहीं करेंगे तो बहुत बुरी हालत होगी।

आपने बहुत से टैक्स लगाये। टैक्स का लम्बा चौड़ा आपका पैनल है। सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, नगरपालिका टैक्स, पंचायत टैक्स, एजूकेशन टैक्स और ऐसे ही कई तरह के टैक्स हैं, इनका अधिकार दिया है। अगर जो लोग अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सत्ता उनसे छीन लेंगे और बाद में यह भी कह दिया कि ज्यादातर नही होंगे। अगर चुनाव नहीं होगा तो राज्य सरकार नोमिनेट कर देगी। तो एक तरफ तो आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार सारी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है।

आप इस कानून को गजट में छापेंगे। गजट गांव में नहीं जाता। वहां तो कलेक्टर तहसीलदार के पास जाता है। लोगों के पास कुछ सही, कुछ झूठी बातें पहुंचती हैं। कलेक्टर, तहसीलदार जनता के सम्पर्क में आना नहीं चाहते। वे शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए वक्त पर चुनाव भी यों ही सरकार द्वारा करा लिए जावेंगे। इस तरह से सरकार अपने आदेश के अनुसार राज्य चलाना चाहती है। ऊपर से विकेन्द्रीकरण का ढोंग करना चाहती है। यह दुनियां को गुलाम बनाने की स्कीम है। लोगों से लाखों करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में वसूल करेगी सरकार और दो दो तीन तीन हजार रुपया एक एक अफसर को देकर विकेन्द्रीकरण करेगी, वे दो दो, तीन तीन हजार रुपया माहवार वेतन लेकर मौज मजे उड़ावेंगे और जनता टैक्स के द्वारा ज्यादा दबती जवेगी। उनकी मौज बनी रहे, जनता जावे गड्ढे में हमारे हाथ में शासन है और फिर भी रहेगा। इस तरह से राज्य विकेन्द्रीकरण का बहाना करके भोली भाली जनता को धोके में डालते हैं।

(श्री हीराभाई)

(समय सूचक घंटी)

थोड़ी सी बात और है। दूसरी तरफ माननीय चेयरमैन महोदय, सभी जगह कहा जाता है कि हरिजनों के लिए यह हो रहा है। अगर कोई छूआछूत करेगा तो उसको जुर्माना और ६ महिने की सजा दी जायेगी। यह आपने अपने संगठन के लिए रखा, अपनी पार्टी के लिए रखा और हरिजनों के पास से आज मन्त्री महोदय मोटर निकाल कर निकलते हैं पर यह नहीं देखते कि उनके पास झोंपड़ी है या नहीं, स्नान के लिए साबुन है या नहीं। यह हमारे मन्त्री महोदय को नहीं मालूम है। जहां उद्घाटन करना है वहां पर पहले हरिजनों की बात रख देते हैं। बहुत दिनों से हरिजनों को सहायता दी जा रही है और वह झाड़ू लेकर टट्टी साफ करते हैं और उनको पैसे दिये जाते हैं आधा पेट भरने के लिए।....

श्री सभापति (श्री मुरलीधर व्यास) : इस बिल से सम्बन्धित बात कहें ताकि समय का ठीक तरह से उपयोग हो सके।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, यह एक ऐसा बिल है जिस बिल के पास होने से पहले राजस्थान की गरीब जनता का लाखों रुपया लग चुका है। ६ महीने पहिले से राजस्थान सरकार ने जगह जगह शिविर लगाए हैं, जगह जगह अखबार में एडवरटाइजमेंटस दिये हैं, जगह जगह प्रचार किया है और इस तरह से सरकार ने एक बहुत बड़ी धनराशि इस बिल के जन्म होने से पहले ही खर्च कर दी। सभापति महोदय, जब हम इस बिल को देखते हैं तो इस बिल के अन्दर एक बात अवश्य है कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर और राजस्थान के अन्दर दो सबसे बड़ी समस्यायें थीं। एक तो यह थी कि किस तरह से राष्ट्र का निर्माण किया जाये और राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाय और दूसरी समस्या हमारे यहां पर यह थी कि शासन की सत्ता जो कि नौकरशाही के हाथ में है वह किस तरह से छीनी जाए। इन दोनों समस्याओं को हमारी राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय योजना को सफल बनाने के लिए बी० डी० ओ० और कलेक्टर के हाथ में सत्ता रखेंगे तो जैसा आज तक रिजल्ट निकला है, मैं सभापति महोदय, यह महसूस करता हूं कि राजस्थान को जितनी सफलता मिलनी चाहिए, जितने पैसे बरबाद किए हैं, जितना कर्ज लेकर भारत सरकार से या भारत सरकार अमेरिका से डालर लेकर के भारत में लगाया है उससे आप जनता की आर्थिक हालत को सुधार नहीं सके हैं। इसका मूल कारण यह था कि अब तक हमारे देश में नौकरों के हाथ में सत्ता थी। जो नौकर कालेजों में पढ़ते हैं और जो शायद उस मूल समस्या को नहीं समझते हैं, आपने उसके हाथ में पॉवर्स दी हैं जिससे हम आज दिन तक सभापति महोदय, असफल हुए हैं। इसको आपने महसूस किया और इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने सोचा कि जनता का किस तरह से सहयोग लिया जाये। आप जिसको डीसेन्ट्रेलाइजेशन कहते हैं मैं इसको डीसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं कहता। आप आज तक की योजनाओं में कुछ हद तक सफल हुए हैं लेकिन ज्यादातर आप असफल हुए हैं और उनको सफल

(श्री गिरधारीलाल)

बनाये के लिए आपने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से सहयोग लेने के लिए यह बिल पास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह कि इस बिल के अन्दर जहाँ तक मैं समझता हूं आपने यह प्रावधान रख दिए और वैसे ही ऐसी चीजें भी रख दीं जिससे आह नौकरशाही को पनाह देते हैं। एक छोटी सी बात है जहां तक हम मांग कर रहे थे, सब ने मांग की थी कि ग्राम लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं, तहसील लेवल के जितने भी सरकारी अधिकारी इनके प्रशासन का जो विकेन्द्रीकरण कररहे हैं तो इन नौकरों को पंचायत समिति और जिला परिषद् के अन्तर्गत दिया जाये। इससे आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं। यह जो आप कर रहे हैं यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है और इस बिल के अन्दर जो प्रावधान रखे हैं कि हम राष्ट्र के नाम में जो जनता से सहयोग लेंगे यही नाम होता तो अच्छा रहता। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण वास्तव में नहीं है। दूसरी बात जिस तरह से हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए था हमने उल्टा धंधा किया था। हम देखते हैं कि पहले हमारी पंचायतें स्वतन्त्र थीं। पंचायतों के ऊपर तहसील पंचायत देखरेख कर सकती थी और उसके बाद में राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप था। बी० डी० ओ० पंचायत में निरीक्षण कर सकता है, कलेक्टर निरीक्षण कर सकता है और कलेक्टर का मतलब तहसीलदार और तहसीलदार का मतलब नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार का मतलब एक पटवारी निरीक्षण कर सकता है इसका सही अर्थ है कि आपने पटवारियों के नीचे ग्राम पंचायतों को दे दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): यह किस धारा में है कि पटवारी निरीक्षण कर सकता है।

श्री गिरधारीलाल : कलेक्टर नायब तहसीलदार से कहेगा और नायब तहसीलदार पटवारी को कहेगा। अगर पटवारी किसी गांव के लिए कोई रिपोर्ट देता है तो उसको तहसीलदार मानेगा और तहसीलदार का मतलब कलेक्टर मानेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह किस धारा में है कि कलेक्टर तहसीलदार से और तहसीलदार नायब तहसीलदार से और नायब तहसीलदार पटवारी से रिपोर्ट मांगेगा। यह किस धारा में आता है कि कलेक्टर अपनी आथोरिटी को दूसरों को डेलीगेट करके इन्सपेक्शन करवा सकता है।

श्री गिरधारीलाल : जहाँ तक ग्राम पंचयत के बजट का प्रश्न आता है, कलेक्टर ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पटवारी और नायब तहसीलदार कहां करेंगा ?

श्री गीरधारी लाल : तो सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक राष्ट्र निर्माण के सवाल का प्रश्न हैं इसमें कुछ सहयोग मिला है। लेकिन दूसरी समस्यायें आज मुंह बाये खड़ी हैं। वह वैसी की वैसी रह जायेंगी। दूसरी बात एक और है कि आपने पंचाय समिति जिला परिषद् और

(श्री गिरधारीलाल)

जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनको लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, उनकी प्रेस्टीज रखना चाहते हैं तो कम से कम सरकार की पालिसी होनी चाहिए कि सरकार इन पंचायतें समितियों और जिला परिषदों को टैक्स लगाने के पावर्स न दें। मैंने आपको भी बताया था कि एक समय आ सकता है जब यह पंचायत समिति और जिलापरिषद् टैक्स वसूल करके काम करेंगी और सरकार की एजेन्सी बन कर टैक्स वसूल करेंगी, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक रुपये के पीछे ६ नए पैसे का टैक्स वसूल करने की पॉवर्स दी है। मैं समझता हूं कि इसके लिए आप यह उत्तर देंगे कि यह ठीक है अगर मर्जी आए तो पंचायत समिति यह यह टैक्स लगाए और इसके लिए हमने उसको मजबूर नहीं किया है लेकिन सभापति महोदय, आप अगर हिसाब लगायेंगे तो ३५ लाख रुपया तो ६ नये पैसे का टैक्स लगाने से होगा और ३५ लाख रुपया लैण्ड रेवेन्यू में ५ नये पैसे से होता है, इस तरह से ७० लाख रुपया होता है और जैसा मैंने हिसाब लगाया ३५ लाख रुपया और होता है और हमारे यहां गांवों में १ करोड़ ३० लाख आदमी रहते हैं। इस तरह से पर हैड एक रुपया भी नहीं आता है। आप कहते हैं कि अगर पंचायत समिति टैक्स नहीं लगायेगी तो राष्ट्र निर्माण के काम नहीं कर सकेगी। सभापति महोदय मैं समझता हूं, हो सकता है कि सरकार की नीयत ठीक हो लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि आज की सरकार जिसने कि यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है सरकार ने कलेक्टरों से और उच्च अधिकारियों से और कर्मचारियों से इस प्रकार की सलाह ली है कि हम कलेक्टरों को जिला परिषद् का सेक्रेट्री रखें या नहीं। बी० डी० ओ० से, पुलिस के कर्मचारियों से और पटवारियों से, जिनका कि हर किसान से संबंध है एक पटवारी चाहे तो किसान का बहुत नुकसान कर सकता है तो उन कर्मचारियों से राज्य सरकार ने सलाह ली है और उसके बाद में कर्मचारियों ने कहा है कि हम इनके अन्तर्गत नहीं रहना चाहते है। आपने कलेक्टर को सेक्रेटरी नहीं बनाया आप। सेक्रेटरी को आर० ए० एस० कैडर का आदमी नियुक्त करेंगे।

मैं समझता हूं कि यह एम. पी. और एम. एल. ए. की इज्जत करना नहीं हुआ। कलेक्टर ने साफ तौर से राज्य सरकार को कहा है कि हम इनके अन्तर्गत नहीं रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार, वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार नौकरशाही के हाथों में खेल रही है। सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि नौकरशाही के हाथों से निकल जाय। जिस नौकरशाही ने पुराने जमाने से सत्ता अपने हाथों में ले रखी है वह उस सत्ता को अपने हाथों से किसी भी हालत मेंनहीं जाने देना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से आपने कोऑप्शन की क्लॉज रखी है। उस क्लॉज के बारे में सदन में काफी विचार हुआ। मैं समझता हूँ कि यदि वह क्लॉज नहीं रहती इस बिल के अन्दर तो थोड़ा हम समझते कि हम पंचायतों के सिद्धान्त को ज्यादा मानते हैं। सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि किसी सरकार की मर्जी के मुताबिक एक ऐसा स्टेज भी आयेगा कि हम कोऑप्शन कर सकेंगे। वह मैं समझता हूँ कि पंचायत के सिद्धान्त के बिल्कुल प्रतिकूल चीज है।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक दो चीजें इस बिल के अन्दर मुझे अखरी हैं। उसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने एक दो शब्द कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से सरकार ने इस बिल को फील्ड में महत्वपूर्ण समझा उससे मैं निष्कर्ष निकाल सका हूं कि जनतान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर अगर किसी पार्टी के हाथ में साधन हैं तो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना दी जाती है। इस बिल को अगर पंचायत समिति तथा जिला परिषद का नाम देकर यहां अलग से न रखकर पंचायत बिल है आपका उसकी कुछ धाराओं में अमेंडमेंट कर देते तो इस प्रकार का यह बिल बनाया जाता है। पहले भी बी० डी० ओ० के यहां पर सलाहकार समिति बनाई जाती थी। जिले के अन्दर एक कमेटी थी। आपने केवल महज टैक्स लगाने की उसको और बेगार सौंपदी है, और आपने कहा कि टेक्स लगा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से यह एक बिल क्या है मखौल है, मैं समझता हूं जो कि राजस्थान की गरीब जनता के लाखों रुपये अभी तक जन्म होने से पहले खा चुका है, और आगे जाकर क्या असर दिखायेगा, राजस्थान की जनता में कितना विकेन्द्रीकरण करेगा, यह तो मेरी समझ में नहीं आता है। आप कम से कम संविधान की धारा ५० के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। आप अगर विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो लोकतत्व जिन्दा नहीं रह सकता है। शासन के अंदर विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाना पड़ेगा एक दिन। इस बिल के आने पर मुझे एक किस्सा याद आता है। राजस्थान की कहावत है जिसका मतलब यह है कि १२ वर्ष के बाद एक बांझ औरत ने बच्चा पैदा किया और बच्चा भी पंगला। तो १२ वर्ष आज आजादी को मिले हुए हो गये। अंग्रेज गये थे उस दिन से विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत मानना चाहिए था, और विकेन्द्रीकरण होजाना चाहिए था, लेकिन ठीक १२ साल के बाद इस प्रकार का बिल लाया जाता है वह एक तरह से पंगला है। माननीय सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जिस तरह से फील्ड के अन्दर इस बिल को महत्व दिया, गया है इस हाउस के अन्दर उतना महत्व नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य १०,१० बजे रातको सोये हैं जिससे कि माननीय सदस्य बीमार पड़ गये हैं, उनमें से एक मैं भी हूं और चंद दिनों में इसको पास कर दिया और इसको इतना महत्व नहीं दिया है और जल्दी से पासकर दिया है, इसलिए इसमें कई खामियां रह गई हैं तो उन खामियों और कमियों को दूर इस तरह से किया जा सकता है कि इस पर दुबारा विचार किया जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् बिल का तीसरा वाचन चल रहा है। तीसरे वाचन के वक्त में कई माननीय सदस्यों ने इस बिल की जो मन्शा थी उसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने यह कहा कि जब तक पुलिस के अधिकार, जब तक रेवेन्यू के अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद् के सुपुर्द नहीं किये जायं तब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता। माननीय चैयरमैन महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति और जिला परिषद्

(श्री भीमसेन)

का यह बिल हमारे सामने जो है उसका ओरीजिन क्या है ? १९५६,५७ में भारत सरकार की तरफ से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० के ब्लाक्स का काम शुरू हुआ था उसको स्टडी करने के लिए एक टीम की नियुक्ति हुई थी, और उस टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसको संक्षेप में मेहता कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये और नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लाक्स के जरिये जो काम हो रहा है उसमें जनता का अधिक से अधिक सहयोग ले सकते हैं। ऐसी कौन सी एजेन्सी स्थापित कर सकते हैं जिसके द्वारा आगे विकास योजनाओं में जनता का पूरा सहयोग हमें मिल सके। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये, और उन्होंने पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर जिला परिषद् के निर्माण के लिए सुझाव दिये हैं। उस सुझावके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होना चाहिए वह एस० डी० ओ० को रखा जाय, और जिला परिषद् का जो अध्यक्ष हो वह कलेक्टर रखा जाय। लेकिन माननीय चैयरमैन महोदय, हमने राजस्थान में मेहता कमेटी की इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए एक साहसिक कदम उठाया है और जनता में पूरा विश्वास रख कर हमने पंचायत समिति और जिला परिषद् का काम जनता के चुने हुए आदमियों के हाथ में देना उचित समझा है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान भारत-वर्ष में पहला राज्य है जिसने कि यह अपना साहसिक कदम उठाया है, और इस कदम के नाते राजस्थान ने, मैं समझता हूं सबसे पहले पहल की है। और कई माननीय सदस्यों ने यह व्यक्त किया है कि यह लोकतान्त्रिक तरीके से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है फिजूल है, और इस तरह से काम होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि जो हम राजस्थान में करने जारहे हैं, उसकी हमें कमसे कम दाद देनी चाहिए। कोई कितना ही अच्छा काम करने जांय, कितना ही अच्छा कानून बनायें, लेकिन जब तक जनता और हरेक पार्टी का पूरा सहयोग नहीं होगा, जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा, मैं समझता हूं कोई कानून, कोई संस्था जिस उद्देश्य से निर्मित की गई है जिस उद्देश्य से उस संस्था को बनाने जा रहे हैं, सफलीभूत नहीं हो सकेगी। यही इस पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल के सम्बन्ध में सत्य है।

जहां तक हो सके विकास के कामों के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्माण का निर्णय लिया है और अगर हम सबके विश्वास के साथ और सहयोग के साथ काम में जुट जायेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि जिस लक्ष्य से यह बिल हमारे सामने आ रहा है, उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पटवारी और पुलिस की वजह से देहातों में जनता में बड़ी परेशानी होती है। माननीय चेयरमैन महोदय, बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है सत्ता का विकेन्द्रीकरण हम करने जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा स्टेज भी ला सकते हैं जब कि हम प्रशासनिक ढांचे का भी विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं। आज हम विकास के कामों के लिये पंचायत

(श्री भीमसेन)

समिति और जिला परिषद् का निर्माण करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसा स्टेज भी हो सकता है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का विकेन्द्रीकरण पूरा कर सकें। हम रेवेन्यू और जितने भी जुडीशियल और प्रशासनिक मामले हैं उनके बारे में जनता को पूरा अधिकार दे सकते हैं। ऐसी स्टेज भी हमारे हिन्दुस्तान में आ सकती है, लेकिन हम शुरूआत कर रहे हैं विकास के कामों से अगर विकास के कामों में हमने जितना विश्वास जनता में रखा है वह पूरा हुआ तो दूसरा कदम आयेगा। तो जनता के अन्दर जितने भी रेवेन्यू के अधिकार है पुलिस के अधिकार हैं। मैं समझता हूं, दिये जायेंगे। वह स्टेज भी आ सकता है, लेकिन यह आगे की बात है।

विकास के कामों के लिए विकेन्द्रीकरण किया है। मैं समझता हूं कि हम करोड़ों रुपया योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। हम योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के बारे में जनता की जबान पर यह रहता है कि कितने पैसे खर्च हुए यह सवाल रहता है। मैं समझता हूं कि जनता खुद देती है उस जनता के हाथ में ही योजनाओं पर पैसा खर्च कराया जाय तो जनता को विश्वास होगा कि किस प्रकार से जो पैसा हमारा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो इस तरह से जिस मकसद से पंचायत समिति और जिला परिषद् का बिल सदन के सामने आया है, मैं समझता हूं कि इसको पूरी सफलता प्राप्त होगी।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं दो एक सुझाव। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता था।

बलवन्तराय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिन्दुस्तान की बहुत सी पंचायतों ने टैक्स कलेक्शन में पूरी सावधानी नहीं बरती और जो टैक्स पंचायतों द्वारा इम्पोज्ड हैं उनकी रिकवरी होती है उसका पर्सेन्टेज बहुत लो है। हमारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चल रहे हैं उनकी सेस रिकवरी का जरिया है वह रेवेन्यू ऑथोरिटी के मार्फत होता है। हमने पंचायत समिति द्वारा टैक्स इम्पोज करने के लिये धारा २७ में प्रावधान रखा है, रेवेन्यू पर ५ नये पैसे सेस इम्पोज कर सकती है। जहां रेवेन्यू या रेन्ट पर सेस इम्पोज करें तो यह जरूरी हो जाता है कि जो राजस्व वसूली की एजेन्सी है उसी के द्वारा हमारा टैक्स भी वसूल हो। रेवेन्यू की वसूली की जायगी उसके साथ साथ हमारा टैक्स भी वसूल हो जायगा और जो आशंका मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त की है कि पंचायत टैक्स की रिकवरी कम होती है वह आशंका निर्मूल हो जायगी। राजस्थान में लैंड रेवेन्यू या सेस की रिकवरी पटवारियों की मार्फत होती है। राजस्व के साथ ही सेस की वसूली हो जाय इस तरह का प्रबन्ध कर दिया जाय तो मैं समझता हूं पंचायत समिति द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया जायगा उसकी वसूली हो जायगी और एरियर रहने की गुंजायश नहीं होगी।

इसके साथ २ कई माननीय सदस्यों ने बहुत वेहिमेन्टली कहा कि जब तक पटवारी पंचायत समिति के नीचे नहीं आयेंगे तब तक गांव के लोगों को और किसानों को पटवारियों से जो परेशानी होती है वह नहीं मिटेगी। यदि पटवारियों के पास सेस का रिकार्ड रहेगा तो इन्डाइरेक्टली ग्राम पंचायत का उन पर अधिकार हो जायगा कि उनका रिकार्ड देख सकें।

(श्री भीमसेन)

यदि ऐसी व्यवस्था हो जायगी तो जो पटवारियों से परेशानी किसानों को होती है वह कम हो जायगी।

इसके साथ साथ हमने बहुत से विकास के काम पंचायत समितियों को सुपुर्द किये हैं उनमें कोऑपरेटिव सोसायटीज का भी काम है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिये बहुत से कागजात बनाने पड़ेंगे और उसके लिये पटवारी के पास जाना पड़ता है। पटवारी के पास जाने का कटु अनुभव है। मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो शिथिलता आती है वह पटवारियों के कारण से आती है इसलिए राज्य सरकार को किसी न किसी सूरत में पंचायत समिति से पटवारियों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पटवारी क्लास एज ए होल का सुपरविजन पंचायत समिति के पास नहीं आयेगा तो पटवारियों के पास जाने में दिक्कत होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिये भी उनके पास जाना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत आयेगी। राज्य सरकार के सोचने की बात है।

इसके साथ साथ मेहता कमेटी ने कहा कि पंचायत समिति को रेवेन्यू कलेक्शन का पॉवर देना चाहिए। जहां इससे उनकी आमदनी का जरिया होगा उसके साथ साथ इन्डाइरेक्टली पटवारी उनके निरीक्षण में और अधिकार क्षेत्र में भी आयेंगे और हमारी दिक्कत दूर हो जायगी।

हम ब्लोक समिति के स्टाफ का रेक्रूटमेंट करेंगे। अभी तक स्टाफ का रेक्रूटमेंट बी. डी. ओज. और एक्सटेन्शन ऑफिसर्स के रूप में हुआ उसमें हमारी शिकायत रही है और वह यह कि जैसा कि मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है विकास के लिए जितने आदमी रखे जावें उसका बेकग्राउन्ड रूरल होना चाहिए। लेकिन अब तक डिपार्टमेंट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो विकास के काम के लिए रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं उसमें देहात के रहनेवाले लोगों को लिया जाय तो वे विकास कार्यों में रुचि लेंगे रिक्रूट और विकास का टारगेट पूरा करने में योग देंगे।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, आज हमारा सदन ऐसे कानून पर मोहर लगाने जा रहा है जिसके लिए हमें खुशी हो सकती है। वास्तव में बात ऐसी है कि समूचे देश में एक प्रकार की लहर चली है कि जनता का काम जनता द्वारा कराना चाहिए इसलिए पंचवर्षीय योजना में जितने काम होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए ब्लोक्स, सी० डी० ब्लॉक्स की स्टडी करने के लिए एक टीम श्री बलवन्तराय मेहता के नेतृत्व बनी और उसकी सिफारिशों के आधार पर सभी प्रान्तों में अलग अलग ढंग से कानून बनाये जा रहे हैं, उनको डिसेन्ट्रेलाइजेशन के नाम से कहिये या किसी नाम से कहिये कुछ ब्लोक लेवल पर या जिला लेवल पर हो रहा है। हमारा प्रान्त ऐसा है जिसने सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर काम उठाया है, यह बहुत खुशी की बात है। हम अगुवा हुए हैं देश के सामने और हम जो कानून बना रहे हैं उसका बहुत से प्रान्त अनुकरण करेंगे यह सोच कर हमें चलना चाहिए। आज तक ब्लॉक्स में काम होता था उसमें भी जनता के प्रतिनिधि बैठते थे इसलिए यह आलोचना की जाती है कि इस बिल के द्वारा कोई नई चीज नहीं दी। नई चीज क्या देते, विकास

Page No 62

(श्री शिवनाथसिंह)

का काम पहले भी हो रहा था लेकिन काम करने का तरीका दूसरा था। सरकारी एजेन्सी का हाथ उसमें ज्यादा था और उन लोगों की ज्यादा चलती थी और हमारे सरपंचों की इतनी नहीं चलती थी जितनी चलनी चाहिए। अब हम इसे यह रूप देना चाहते हैं कि हमारे चुने कुछ सरपंच या और लोग वहां बैटें और उनकी ज्यादा चले और उनकी मंशा के अनुसार काम चले। इसलिए यह कानून बनाया गया है। वास्तव में यह एक सुन्दर कानून है। इसके जरिये जो आज तक सरकारी ऑफिसर काम को एग्जीक्यूट करते थे, रुपयों का वितरण करते थे और यह निश्चय करते थे कि किस जगह स्कूल हो, कहां बिल्डिंग हो और कहां क्या हो, यह काम अब सरकारी अफसरों के हाथ में नहीं रह कर चुनिन्दा मेम्बरों के हाथ में रहेगा, यदि ठीक ढंग से पंचायत समितियों ने काम किया तो हमारी प्रगति काफी हो सकती है।

इस कानून की इसलिए आलोचना की जाती है कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन का गलत अर्थ लगाया जायगा। इससे विकास के काम का डिसेन्ट्रेलाइजेशन होगा। इसको काम का बंटवारा कहना चाहिए क्योंकि जितना काम दिया है खेती की उन्नति आदि का वह जितना पंचवर्षीय योजना में होता है उसका किया है, कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं किया है और बात भी वाजिब है क्योंकि उसमें यदि सफल होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो सकता है। अभी इसकी आवश्यकता थी इसलिए इसका बेकग्राउन्ड है इसी दृष्टि से चलना चाहिए, हो सकता है कि प्रोविजन्स में कुछ कमी रह गई हो लेकिन जहां तक समझ में आता है, सब चीजों को देख कर इन्कोरपोरेट किया गया है और सभी ठीक है। लेकिन कुछ प्रोविजन्स ऐसे रखे हैं जिनके लिए मैं समझता हूं उनको यदि ऐसा का ऐसा रखा तो ठीक नहीं होगा। जैसे उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि एम० एल० एज० को एसोसियेट मेम्बर रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार क्या रिजल्ट चाहती है। एम० एल० एज० वहां बैठेंगे उनको राइट ऑफ वोट नहीं होगा। लेकिन मैं इस राय का हूं कि एम० एल० एज० को पंचायत समिति में नहीं जाना चाहिए। जिला परिषद् में हम रहते हैं तो पंचायत समिति में हमें नहीं जाना चाहिए, जहाँ खिलाफ वातावरण बनें वहां एम० एल० एज० को नहीं रहना चाहिए। या तो उनको रहना नहीं चाहिए था और यदि रहना था तो फुलफ्लेज्ड मेम्बर की हैसियत से रहना चाहिए था। एम० एल० ए० वहां जायगा, अपनी राय देगा लेकिन उसकी राय की वकत नहीं होगी। वहां ऐसी पोजीशन क्रियेट हो जायगी कि किसी चीज के लिए वह कुछ भी कह सकता है। विधान सभा का सदस्य जाता है तो किसी चीज को राइट फील कर सकता है लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है कि राइट चीज को मनवा सके। वह वहां पर बैठ कर अपनी राय देगा, तो यह स्पष्ट है कि ठीक है, उसकी राय सुन ली लेकिन जब किसी बात को तय करते हैं तो उसे कुछ अधिकार नहीं, कौन सी बात मन्जूर हो या न हो, यह अधिकार नहीं, उसकी बात मन्जूर हो या न हो, उस वक्त उसकी आकवर्ड पोजीशन होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी समय है, इस क्लॉज को देखना चाहिए। अगर

Page No 63

(श्री शिवनाथसिंह)

एम० एल० ए० को रखना है तो फुलफ्लेज्ड मेम्बर रखना चाहिए, वरना हटा देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज को इन्सिस्ट न करें कि पंचायत समिति में किसी रूप में बैठायें, चाहे बेइज्जती हो या इज्जती। मैं इस तरह वहां बैठना पसन्द नहीं करता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज में परिवर्तन कर देना चाहिए। इसके अलावा और जो क्लॉजेज हैं, मैं मान कर चलता हूं कि यह बिल काफी प्रोग्रेसिव है और काफी उत्साहपूर्वक कदम उठाया है। यदि हम सब लोगों का साथ रहेगा तो हम काफी प्रगति कर सकते हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री **सभापति** : श्री पी० के० चौधरी।

श्री **पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और मुझे खुशी है कि आज हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं लेकिन इस बिल का जो बैक ग्राउण्ड है, उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सभापति महोदय, हमने पिछले आठ साल से, जो कॉम्यूनिटी डवलपमेंट का आइडिया था, जो स्कीम थी, जो प्रोग्राम था, उसको देश में चलाने की कोशिश की लेकिन लोगों का इनीसियेटिव, पीपल इनीसियेटिव नहीं मिला। इसलिए हमने एक कमेटी अपाइन्ट की, बलवन्तराय मेहता कमेटी और उस कमेटी ने सिफारिश की थी, इस बिल की रूपरेखा की कि इस ढंग का बिल होना चाहिए। उस रिपोर्ट में कहा था कि हमको इसे सक्सेसफुल बनाना है, पीपल इनीसियेटिव लेना है तो "So long as we do not discover or create a sort of democratic institution which will supply the local interest, supervision and care necessary to ensure that expenditure of money upon local projects conforms with the needs and wishes of the locality, and invest with adequate powers and assign it to proper functions, we will never be avle to evoke local interest and excite local initiative in the field of development."

यानि जबतक हम ऐसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सेटअप न करें, जिससे उसमें फुल ऑथोरिटी हो, पीपल इनीसियेटिव हो और फाइनेन्स को कन्ट्रोल करने की पावर हो तब तक लोकल इनीसियेटिव नहीं मिल सकता। इस खयाल से इस बिल को पेश किया है और हमारी मन्शा यह है कि इस बिल के जरिये जो मशीनरी सेटअप कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, उसमें लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और लोकल इनीसियेटिव क्रियेट होगा, लोकल इनीसियेटिव डवलप होगा। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फेल हुए, तो उसका सबसे बड़ा कारण था, वह था, टू वे कम्युनिकेशन का अभाव, हमारी जनता और गवर्नमेंट, इनके बीच में टू वे कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन एकतरफा था, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम दे दिये जाते थे, लेकिन उसमें लोग इन्ट्रेस्ट नहीं लेते थे, उसमें लोगों की तरफ से इनीसियेटिव नहीं आता था, इस कारण हमारे कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट और कॉम्युनिटी डवलपमेंट के प्रोग्राम फेल हुए हैं। इसलिए हमें यह देखना है कि इस बिल को लेकर उस टू वे कॉम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पायेंगे या नहीं। मैं मानता

(श्री पी० के० चौधरी)

हूँ कि टू वे कॉम्युनिकेशन तब ही मिल सकता है, जब बिल में गवर्नमेंट को जो पॉवर्स दी गई हैं, खास तौर से, सेक्शन ५६, ५७ पंचायत समिति के रिज़ोल्यूशन को कैंसिल करने की, पंचायत समिति को सस्पेन्ड करने की और सेक्शन ७३ में पंचायत समिति के डिसीजन का रिव्यू करने की पॉवर्स दी हैं, इन क्लाजेज में हमने सरकार को जो अधिकार दिये हैं, इन अधिकारों का जुडिसियस उपयोग नहीं हो, इन अधिकारों का कम से कम उपयोग न हो। अगर हमारी गवर्नमेंट सारी बातों में, जो इन क्लॉजेज में ऑथोरिटी दी गई है उसका उपयोग करेगी तो मैं समझता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं वह डवलप नहीं होगा।

दूसरी बात जो हम चाहते हैं, वह यह चाहते हैं कि उन लोगों की क्या जरूरियात हैं, क्या लोकल नीड्स हैं, उनके माफिक प्लान हो, और वह प्लान और प्रोग्राम तब ही हो सकता है, जब लोगों की खुद की तरफ से उनका खुद का आइडिया हो। आज तक जो हमारी कोशिश रही है, जो कम्युनिटी डवलपमेंट का प्रोग्राम है, जो कॉम्युनिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यह हिन्दुस्तान का प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम को हमने अमेरिका से उठाया है, इस प्रोग्राम के जरिये अमेरिका के अन्दर एक्सटेन्शन वर्क हुआ है और अमेरिका के सेल्समेन एस. के. डे. का कन्सेप्शन है, S. K. Dey, he was an American salesman. उन्होंने इस आइडिया को हिन्दुस्तान के सामने पेश किया और इस आइडिया को हिन्दुस्तान ने अपनाया और उस अमेरिकन आइडिया को इम्प्लीमेंट अमेरिकन ढंग से करने जा रहे थे, उसका नतीजा यह हुआ क्योंकि अमेरिकन एक्सपीरियेन्स और हिन्दुस्तान के देहातों का एक्सपीरियेन्स दोनों का मेल नहीं बैठता है। तो हमारा जो यह बिल है, इस डिसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम की सक्सेस इस पर डिपेन्ड करेगी कि किस हद तक लोकल प्रोग्राम में लोगों का इनीसियेटिव है, उनकी मर्जी के माफिक डवलपमेंट होगा और जिस हद तक गवर्नमेंट का डाइरेक्शन रखेंगे। ऊपर से अगर हम प्रोग्राम को थोपेंगे, तो यह जो बिल है, और इसके जरिये जिस मशीनरी को सेट अप कर रहे हैं, वह सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। उनकी मर्जी के माफिक उन्हें प्रोग्राम बनाने दें, हालाँकि हम मानते है कि हमारे गांव के जो लोग हैं, उनका एक्सपीरियेन्स है, उनका अनुभव है, वह पुराना अनुभव है, उनके ख्यालात पुराने हैं, उनको मिडीवल ख्यालात कह सकते हैं, उनके ख्यालात पुराने जमाने के हैं, फिर भी उनके ऊपर नया मॉडर्न सेटअप जबरदस्ती नहीं लाद सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके मीडीवल ख्यालात को मोल्ड करें मॉडर्न सेटअप और जरूरियात के माफिक, न कि ऊपर से डिसीजन के माफिक प्रोग्राम तय करें, क्लॉज ७३ में कुछ अमेंडमेंट रखे थे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के डाइरेक्शन की बात थी। इसलिए मेरा निवेदन है यह प्रोग्राम है, यह जो बिल पेश किया है, जो मशीनरी सेट अप हो रही है पंचायत समितियों की, वह तब ही सक्सेसफुल होगी जब ऊपर से इम्पोजीशन नहीं करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग अपनी समस्याओं को जितनी अच्छी तरह समझते हैं, उससे कुछ कम हद तक विलेज लेवल वर्कर समझ सकता है लेकिन स्टेट लेवल या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट लेवल पर जो

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रोग्राम बनता है, प्लान बनता है वह लोकल नीड्स के साथ उतना सम्पर्क नहीं रखता है। इस बिल में काफी कंट्रोलिंग पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में रखी हैं, प्लानिंग के लिए फन्ड्स गवर्नमेन्ट अलॉट करेगी, मेचिंग ग्रान्ट्स गवर्नमेन्ट देगी, मैं समझता हूँ कि फन्ड्स मुकर्रर करने के समय और मेचिंग ग्रान्ट देने के समय यह कोशिश रहनी चाहिए कि लोकल लोग अपने ढंग से प्रोग्राम बनायें, चाहे वे प्रोग्राम हमारे स्टेन्डर्ड तक आवें, न आवे जो पेटर्न हमने सेट अप किया है, जब हम विकास अधिकारी से बात करते हैं तो वहां पेटर्न की बात आती है; ऑल इन्डिया पेटर्न ऐसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हमें सक्सेसफुल करना है डवलपमेंट प्रोग्राम को तो मैं समझता हूं कि उस पेटर्न को छोड़ कर लोकल नीड्स के माफिक उसे मोल्ड अप करना चाहिए, तब ही वह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने सुना है कि राजस्थान सरकार अधिकारी को अमेरिका भेज रही है, वे वहां से तजुर्बा लेकर आयेंगे इस डिसेन्ट्रेलाजेशन व डवलपमेन्ट के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, यह जो हमारी स्कीम है, जो कॉम्युनिटी डवलमेंट का प्रोग्राम अमेरिकन पेटर्न से करना चाहा, हमारे मंत्री महोदय ने, जो जैसे एस० के० डे० का सजेशन यहां पर फेल हुआ है It is an accepted fact. बलवन्तराय मेहता कमेटी ने इसको स्वीकार किया है, आज मंत्री महोदय ने इसको अखबार में मंजूर किया है, वे यह मानते हैं कि इसके कारण हमारा प्रोग्राम फेल हुआ है, उसके बाद भी यह मन्शा रखी कि हमारा डेमोक्रे-टिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल बन सके, इसके लिए उच्च अधिकारी को अमेरिका भेजेंगे, उच्च अधिकारी वहां से ट्रेनिंग लेकर आयेगा और हमारे गांवों में जाकर विकेन्द्रीकरण को सक्सेसफुल बनायेगा, तो एक शंका पैदा होता है कि यह लोगों के प्रोग्राम के ख्याल को, विसेज को और नीड्स को सफल नहीं होने देगा और मर्जी माफिक काम करेगा चाहे वहां के लोग न चाहें। तो यह डेमोक्रेटिक सिद्धान्त की दृष्टि से अच्छा लगता तो लेकिन इसमें पीपल इनीशियेटिव नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परदेश से अनुभव लेकर खुद के अनुभव के साथ उसे आल्टर नहीं कर सकते, मोडीफाइ नहीं कर सकते, अडेप्ट नहीं कर सकते तो हमेशा इस समस्या को बैठाना चाहिए, यह चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो

२ म० प०

सकती। बल्कि सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि से अपनी जीनियस के माफिक काम करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध में एक संस्कृत का श्लोक सुनाना चाहता हूं :

आत्मबुद्धि परं सौख्यं, गुरुबुद्धिविशेषतः।
परबुद्धया भवेन्नाशः स्त्रीबुद्धिःप्रलयंकरी॥

परबुद्धि से काम किया जाता है तो विनाश होगा और स्त्रीबुद्धि के माफिक काम किया जायगा तो प्रलय होगा।

(हंसी)

और अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी, सुख मिलेगा। तो यह जरूरी नहीं है कि विकेन्द्रीकरण के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए किसी अधिकारी

(श्री पी० के० चौधरी)

को अमेरिका भेजा जावे। भेजना है तो उन अधिकारी को अमेरिका न भेज कर तीन महीने, ६ महीने या साल भर के लिए किसी ब्लाक में भेज दिया जाय। मैं दावे के साथ कहूँगा ब्लॉक में एक ही जगह ६ महीने ठहर कर आयेंगे तो he will be able to contribute something which will be essential,

जिससे जाकर हमारे प्रोग्राम में मदद मिल सके। दूसरी बात सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, बलवन्तराय मेहता कमेटी ने कहा था कि लोकल बोडीज को टैक्सेज के पॉवर देते है तो मिनिमम रेट मुकर्रर कर देना चाहिए, इसमें हमने मिनिमम रेट मुकर्रर नहीं की है, अलग अलग पंचायत समितियां रखेंगी या गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देगी कि इस रेंज में किस किस चीज पर टैक्स लगा सकते हैं। तो इसको सक्सेसफुल बनाना है तो यूनिफार्म रेट्स गवर्नमेंट की ओर से तय कर दिए जायें और सारे के सारे टैक्स ओप्शनल रखे हैं पंचायत समिति के ऊपर। मेरी राय है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्सेज को कम्पलसरी बना दे फलां फलां टैक्सेज कम्पलसरी होंगे और इसकी मिनिमम रेट निश्चित रहेगी। यह नहीं करेंगी तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा और इसके लिए मशीनरी सेप किया वह भी सक्सेसफुल नहीं होगी।

इसलिए सदन से और खास तौर से मुख्य मंत्री से निवेदन है कि टैक्सेज कम्पलसरी नहीं देंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। आखिर पोपुलर रिप्रेजेन्टेटिव्स जो जनता के हैं, वे इस तरह पोपुलर नहीं रह सकेंगे। हम जितना दूर रहते हैं उतना दूर वे लोग नहीं रहते, बिलकुल नजदीक उन्हीं लोगों में रहते है, इसलिए ये टैक्स लगायेंगे तो अन्पोपुलर हो जायेंगे, लोग उनसे नाराज हो जायेंगे, हमको भी जब टैक्स लगाते है तो कितने विरोध का सामना करना पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर. जब पंचायत समितियां टैक्स लगायेंगी तो उन पर कितना लोगों का प्रेशर पड़ेगा, कितने विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा, इस प्रेशर से बचने के लिए जरूरी है कि Goverment should take the onus of imposing the tax.

पंचायत समितियों को कह दिया जायगा कि फलां फलां टैक्स एट दिस मिनिमम रेट लगाना पड़ेगा। यह नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। आखिर में गवर्नमेंट ग्रान्ट से पैसा देंगे, वह पैसा कैसे खर्च होता है, लोकल पब्लिक को इसका इतना फिक्र नहीं रहता है लेकिन वहां सेस मे, टैक्स से पंचायत समिति पैसा वसूल करेगी तो बराबर अच्छी तरह से उपयोग होगा, वहां तो लोकल पब्लिक लोकल अधिकारी को पूछेगी कि सेस के पैसे का क्या किया? यह उनको डेवेलपमेंट की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए विशेष निवेदन है कि मिनिमम निश्चित दर से कम्पलसरी टैक्स मुकर्रर कर देना चाहिए। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि यह डीसेन्ट्रेलाइजेशन का पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का बिल पेश किया है इसका अल्टीमेट ओब्जेक्ट है टू क्रियेट पोपुलर इनिशियेटिव, पोपुलर इनिशियेटिव को डेवेलप करना है। वह नहीं कर पाये तो मैं कहूंगा कि हमारा सारा परिश्रम बेकार जायगा, सी० डी० प्रोग्राम फेल हो गया उसी तरह यह भी फेल हो जावेगा। इसका क्रेडिट तभी ले सकते हैं

(श्री पी० के० चौधरी)

जब कि इसको सक्सेसफुल बना सकें, जब तक पीपुल का इनिशियेटिव डेवेलप नहीं कर सकेंगे तब तक यह नहीं हो सकेगा। इस बिल का मकसद सिर्फ एफिसियेन्सी इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पिपुल्स इनिशियेटिव को डेवेलप करना है। इसलिए हमारा प्राईमरी मोटिव पीपुल्स इनिशियेटिव डेवेलप करने का है। इसके सम्बन्ध में मैं एक श्लोक है।

जो श्राद्ध अशास्त्रीय होता है, जो यज्ञ बगैर दक्षिणा के होता है, रूपवती बन्ध्या हो वह मृतक के समान हैं। रूपवती बन्ध्या मृतक के समान होती है। तो रूपवती बन्ध्या के समान पंचायत समिति बिल बनाया है वह चाइल्ड प्रोड्यूस के काबिल नहीं होगा, सक्सेफुल नहीं होगा तो वह मृत के समान होगा। सेक्शन ५३, ५४, ५६, ५७, ५८, और ५९ में पॉवर दिए हैं। इसका मोस्ट जुडिसियस यूज करेंगे तब ही पीपल्स इनिसियेटिव डेवलप हो सकता है।

(अनेक माननीय सदस्यो के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून बनाया जा रहा है, उस पर अन्तिम विचार किया जा रहा है। यह विधेयक किस प्रकार का है और इससे क्या खामियां दूर होंगी इसके लिए थोड़ी सी बातें सुना देना चाहता हूं। एक बार दौसा में आग लग गई, वहां के अधिकारियों के पास पटवारी पटेलों ने रिपोर्ट की कि हमारे यहां आग लग गई है, हाकिम साहब ने कागजात बना कर मिसल को जयपुर भिजवाया। वह मिसल कई महीनों तक चक्कर खाती रही और ६ महीने बाद वह मिसल बड़े हाकिम के पास पहुँची तो उन्होंने उस पर हुक्म लिखा कि पानी छिड़कवाको अंजन भिजवा दियो जावे। तो अधिकारी मोटर लेकर दौसा पहुँचे और वहां पर पूछा कि किसके यहाँ आग लगी है, पर उस समय किसी के यहां आग नहीं लगी थी।

६ महीने हो गये उस बात को। लोगों ने जाकर वहां के गाँव वालों से पूछा कि भाई आग कहां लगी। सब कहने लगे आग कहीं नहीं लगी। आखिरकार कागजों से ढूंढते ढूढते नाम निकल गया। फाइल देखी गई। पता लगा कि ५ महीने से पहले आग लगी। वहां पर कच्चे मकान बने थे। उस मकान के मालिक से कहा कि तुम्हारे यहां आग लगी थी। उसने कहा कि ६ महीने पहले लगी थी। लगों ने कहा कि हम जयपुर से यहां पर पानी छिड़कने के लिए आये हैं। उसने कहा कि मेरे कच्चा मकान है गिर जायगा। मगर वे नहीं माने और कहने लगे कि हुक्म है। वे उस बेचारे गरीब के कच्चे मकान पर पानी छिड़क कर चले गये। आकर वापिस उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि पानी छिड़क दिया गया है। अब यह दिक्कत वहां पर गांव में नहीं रहेगी कि गांव में आज आग लगे और ६ महीने के बाद आग बुझाने के लिये इंजिन जाए। अब वह काम वहीं पूरा हो जायेगा। गांव के लोगों के में चेचक की बीमारी होती है तो वे चेचक के टीके लगवानेवाले को भेजने के लिये लिखते हैं मगर वह नहीं पहुंच पाता वह बात अब वहां पर न रहेगी। रास्ते में गड्ढे पड़े हुए हैं या रास्ता तंग है तो अब लोग यह नहीं कह सकेंगे कि माहराज राज

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

में सुनवाई नहीं होती हैं । अब उनको इस प्रकार की बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा कि रास्ता चौड़ा कराया जावे या गड्ढा भरवा दिया जावे । अगर अब किसी प्रकार की गांव में जानवरों में बीमारी फैलेगी तो वे फौरन वेटरनरी के डाक्टर को बुला कर इसका प्रबंध करा देंगे । अगर खेती में किसी प्रकार की खराबी हो रही होगी तो वे जल्दी ही अपने यहां के कृषि निपुण को बुला कर उसकी राय लेकर प्रबन्ध कर लेंगे क्योंकि उसमें उसकी भी व्यवस्था है ।

एक माननीय सदस्य : यह कहां लिखा है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर एक मास्टर पहले बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता तो गांव के लोग कुछ नहीं कह सकते थे । क्योंकि वह मास्टर यह कहता था कि मैं तुम्हारे नीचे नहीं हूँ । अब गांव वाले लोग और पंचायत समिति के लोग वहां स्कूल में जा कर देख सकते हैं कि मास्टर वहां पर आता है या नहीं या बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाता है या नहीं । आज वास्तव में यह बात लाई गई है जो महात्मा गांधी कहा करते थे कि ग्राम राज्य बनाया जावे । बड़े बड़े लोगों ने कहा कि तमाम देश का काम अपने हाथों में रहे । यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है । महात्मा गांधी कहा करते थे कि जनता धन और धरती बटा कर रहेगी । आज हम देखते हैं कि राष्ट्र भी बांटा जा रहा है । अब यह जो विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है उसमें सबसे पहले यदि गाँव वालों का कोई तालाब या पाल टूट जाती थी तो दूसरों का मुंह ताकना पड़ता था मगर अब उनको किसी दूसरों का मुंह नही देखना होगा । यह कदम जो उठाया गया है एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है और कल्याणकारी राज्य की दिशा में जो भारत के लोगों ने कहा था कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद हमारे यहां कल्याणकारी राज्य होगा उस दिशा में यह कदम है । इसमें यह प्रावधान किया है कि ग्राम में ग्राम सेवक और सविका जावेंगे वे उनको बतावेंगे कि किस प्रकार से उनको रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त फिल्डमैन, स्टोकमैन आदि उनके अन्डर में काम करेंगे ।

इसके अलावा इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पटवारी को उनके अन्डर में नहीं रखा है इसलिए वह मनमानी करेगा । उनका सोचना ठीक है । पटवारी लोग काफी होशियार होते हैं । मगर मैं यह कहूंगा कि वह उसी प्रकार से होगा कि अगर एक घोड़ा कितना ही अच्छा है मगर वह यह देख लेगा कि सवार कमजोर होता है तो उसको घोड़ा कभी भी और कहीं भी गिरा देता है । पटवारी बहुत होशियार होता है । फलां चमार की जमीन खोस कर किसी मीने के लगा दे, तो इस प्रकार की गलती हो सकती है । इसलिये इसको रोकने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने यह बड़ा सोच समझ कर कदम उठाया है कि कम के कम पटवारी तो डरता रहे और इस प्रकार की गलती नहीं करे । इसी तरह से अगर पुलिस भी देते तो क्या होता यह मैं आपको बताना चाहता हूँ । गांव में लोग कहते हैं कि हमारे अधिकार में २२३ दफा है । ३०२ दफा तो ३२३ दफे से छोटा है इसलिये वह तो हमारे नीचे है ही । जब इस प्रकार के लोग हैं और वे इस प्रकार की बातों को नहीं समझ सकते हैं तो वे लोग

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

पटवारियों की चालाकियों को कैसे पकड़ पावेंगे । इसीलिये मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने सोच समझ कर यह रखा है ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात कहूंगा कि पंचायत समिति में और जिला परिषद् में जो लोग चुने हुए आवेंगे मगर उनमें छूआछूत की भावना मौजूद है हालांकि भारत सरकार ने छूआछूत को एक प्रकार से अपराध माना है और यह कानूनन जुर्म है । यदि कोई किसी प्रकार की छूआछूत करते हैं, कूओं पर नहीं जाने देंगे तो उसको ६ महीने की सजा और ५००) जुर्माना की सजा दी जाती है । इसलिए इसमें इसका भी समावेश करना चाहिए कि कोई भी सदस्य किसी को नीचे समझेगा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी । पंचायत समिति के लोगों को समभाव से देखना है । आपने इसका शेड्यूल में उल्लेख नहीं किया । लोगों ने बताया कि समाज सुधार में ये सब बातें आवेंगी मगर मैं यह कहूंगा कि अगर सारी बातें समाज सुधार में आ जाती तो पार्लियामेंट में लोगों ने छूआ-छूत के लिये क्यों कानून बनाया, क्या उन लोगों ने जिन्होंने कानून बनाया वे विद्वान नहीं थे । सामाजिक सुधार और अस्पृश्यता निवारण दोनों अलग अलग चीजें हैं । महात्मा गांधी और हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने इस छूआछूत को देश के लिए कलंक की बात कहा है । दूसरे देशों के लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे कि अस्पृश्यता ने यहां पर घर कर रखा है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसमें उन्होंने पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद् के लोगों को इस बात का संदेश नहीं दिया कि इसको आपको दूर करना होगा । यह एक राज्य की बड़ी भारी जिम्मेदारी है इसलिए इसका समावेश इसमें होना चाहिए और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि चाहे आप रूल्स बनावें या कहीं शेड्यूल में दर्ज करें या किसी प्रकार से कहीं भी दर्ज करें लेकिन मेरा यह प्रस्ताव है कि ऊंच नीच के भेदभाव को बचाने के लिए कोई प्रावधान रखें जब आप यह बिल बना रहे हैं । एक संस्कृत का श्लोक भी है । तभी आप ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर कर सकेंगे । यह हिन्दुस्तान की हंसी कराने वाला है इसको दूर करना चाहिये । वर्ना यह कानून वाजिब नहीं होगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पंचायत एक्ट में है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं आपसे क्या बताऊं । आप सभी जानते हैं । ये सब जितने भी कानून बनाये हैं उसमें छूआछूत करेंगे तो सदस्यता की डिस्क्वालिफिकेशन में आ जावेंगे, ऐसा होना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह भी है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन है जैसे एक घड़े को पूरा पानी से भर देना और फिर उसके बीच में सुराख बना दें तो उसमें से पानी निकल जावेगा । इसमें सरकार ने लिखा है कि राज्य सरकार चाहेगी तो उसको डिसक्वालिफिकेशन से हटा देगी । बहुत से हरिजनों को कोऑप्शन से लिया गया है । अगर मन्दिर में कोई मीटिंग होगी तो वे कहेंगे

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

कि तुम मन्दिर में नहीं घुस सकते हो। मैंने कई जगह देखा है कि मन्दिरों में और स्कूलों में हरिजनों को नहीं जाने दिया जाता है। मास्टर जो मन्दिर में पढ़ाता है कहता है कि हम क्या करें हमें तो गांव वालों ने मन्दिर दिया है। हमको तनख्वाह उनसे मिलती है। यदि मन्दिर में हरिजनों को चढ़ने देंगे तो हमारा मन्दिर गांव वाले खोस लेंगे तो हमारा क्या होगा। जब आप इस प्रकार का कानून बना रहे हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिये कि सभी लोग एक साथ बैठ सकें और कोई ऊंच नीच न हो। इसलिए मैं खुले शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। १२ वर्ष के पश्चात् ही सही आज यह जमाना तो आया है। सत्ता देना तो क्या नम्बरदार तक नहीं बनाते थे, हरिजनों को घोड़े पर नहीं चढने दिया जाता था, लोग कहते थे कि हरिजनों के यहां तो लड्डू बनेगे तो फिर हमारे यहां क्या बनेगा। वे लोग समझते थे कि जो अधिकार हम को मिले हुए हैं वे उनको नहीं है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सत्ता के लिए। राजस्थान सरकार इतने अधिकार आज दे रही है, जनता के हाथ में इन्तजाम रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ती जावेगी जनता इससे बढ़कर और क्या अधिक हो सकता है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वास्तव में एक बहुत प्रगतिशील कदम उठाया है। लोग सोच रहे हैं कि सत्ता नहीं हाथ से जाने दी जाय लेकिन यह सरकार इस प्रकार का कदम उठा रही है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, जो बिल हमारे समक्ष है मैं उस बिल की जो मुख्य मुख्य विशेषतायें हैं उस ओर ध्यान दिलाने के बजाय मैं उचित समझता हूं कि इस बिल के एक्ट बन जाने के बाद राजस्थान सरकार के प्रशासन तंत्र में, राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों में और कुल मिलाकर राजस्थान के समाज में जनतन्त्रीय शक्ति की चेतना के विकास में क्या बड़ी बड़ी रद्दोबदलें होने जा रही हैं उस ओर आप के जरिये मेरे माननीय मित्रों का ध्यान खींचना चाहूंगा। कभी कभी बहुत महत्व पूर्ण बात भी हमें बहुत हल्की सी बात मालूम पड़ती है। लेकिन कितनी ही वह हमें हल्की बात मालूम हो परन्तु जो महत्वपूर्ण बात है उसका महत्व उस बात के कारगर होने के बाद ही सामने आता है। मुझे आशचर्य और खुशी दोनों ही इस बात की है कि इस वक्त हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जब कि देश के जितने बुद्धिमान लोग हैं, नेता हैं, संचालक हैं, वे भारत के नवोदित जनतन्त्र की रक्षा के लिए चिन्तित हैं, तब हम राजस्थान में एक व्यापक आधार पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। यह सही कहा गया है सदन में और बाहर भी कि राजस्थान सारे भारत के राज्यों में पहला राज्य है जिसने सत्ता को जनता के हाथ में देने का प्रभावशाली और ईमानदारी से पूर्ण प्रयास किया है। यों तो जनता को सत्ता देने की बातें बहुत करते हैं लेकिन जब सत्ता देने की बात आती है, सभापति महोदय, तो सत्ता किसी को देना अच्छा नहीं लगता। हमारी एक विशेषता यह रही है कि हम आभास उसका देने में विश्वास करते हैं, हम एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जिसको कहेंगे कि मूल बात हम दे रहे हैं लेकिन आभास देकर अपने हाथ में ही सत्ता को रखने के

(श्री जनार्दनराय नागर)

जो आदि हैं वे इस सारे बिल को गहराई से देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान सरकार के प्रशासन तंत्र द्वारा विकास के कार्य किये जाते हैं वहां तक, उसी सीमा तक, सत्ता का निश्चित रूप से, असंदिग्ध तौर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। मैं तो यह नहीं कहता कि राजस्थान सरकार ने सारी सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया है लेकिन यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण परोक्षतः विकेन्द्रीकरण है मेरी दृष्टि में। विकास के कार्य राजस्थान सरकार का विकास विभाग करता है। इसके लिए विकास आयोग हैं, अलग अलग जिलाधीश जिलों में हैं और उनके नीचे के अलग अलग बी० डी० ओज हैं उनके जरिये विकास के कार्य किये जा रहे हैं। इस बिल के जरिये यह प्रावधान है कि अब विकास के सारे काम निर्वाचित जन प्रतिनिधि और जनता के निर्वाचित संस्थान करेंगे। जैसा पंचायत समिति का गठन किया गया है इस बिल में वह राजस्थान के जनतन्त्रीय प्रशासन के ढांचे का एक आधारभूत प्रश्न है। यह पहली जनतन्त्रीय सरकार होगी जिसने जनता के हाथ में सत्ता दी। कोई यह दलील दे सकते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है किन्तु विकास के कार्यों का विकेन्द्रीकरण है। निस्संदेह विकास के कार्यों के लिए सत्ता दी जा रही है लेकिन राज्य का सारा दृष्टिकोण बदल गया है, धारणा बदल गई है यदि उस दृष्टि से देखें तो हम यह मानलेंगे कि दो तिहाई राज्य के आधुनिक कर्तव्य, पंचायत समितियों के हाथ में सौंप दिये गये हैं। आधुनिक राज्य का खयाल पुराने राज्य के खयाल से भिन्न है। ज्यों २ भारतीय जनतन्त्र का विकास होता गया और यह सभापति महोदय केवल पंचवर्षीय आयोजनों द्वारा यह विकास होता गया, पंचायत समितियों को इसीलिए करीब २ तहसील के विकास के कामों का जिम्मा दिया गया और कुल मिला कर सारे राजस्थान के विकास का काम जो किया है वह राजकीय कर्तव्यों में से, मेरे खयाल से, दो तिहाई कर्तव्य हैं। राज्य में विकास के कार्यों की प्रमुखता है, एक विकास का राज्य है, आज हम उसे केवल सुरक्षा के लिए, केवल आपत्ति के समय में संघर्ष करने वाला राज्य नहीं कह सकते। उसको विकास करने वाला राज्य कहना पड़ेगा। यदि किसी राज्य में विकास की कोई प्रमुखता नहीं है तो मैं कह सकता हूँ सभापति महोदय कि वह जनता का तन्त्र नहीं है, जनतन्त्र नहीं है। दो तिहाई सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है और इस बिल के द्वारा विकास के कार्य किये जावेंगे वे जनता के हाथ में सौंप दिये गये हैं। अवश्य ही कुछ मूल बातें हैं, राज्य सत्ता के कर्तव्य हैं जो अभी भी उनके हाथ में हैं। यदि उनका मैं विभाजन करूं तो वे तीन चार तक जाकर सीमित हो जाते हैं। पहला सुरक्षा का सवाल है। विधि और प्रशासन तंत्र के द्वारा सरकार उसको चलाती है। जो विकास के कार्य हैं वे जनता के प्रतिनिधियों के हाथों सौंप दिये गये हैं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इस बिल के द्वारा राजस्थान में जनतान्त्रिक समाज की रचना के लिए एक क्रान्ति करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। देश के और राज्यों में भी इस प्रकार का प्रावधान करने की चर्चायें चल रही हैं और एक आंध्र राज्य विधान सभा में तो प्रस्ताव भी आया है। लेकिन उन प्रस्तावों को ध्यान से देखें तो हमारे बिल में आपको विशेषतायें इस बात की मिलेंगी कि जो सत्ता का परम्परागत तन्त्र था और उसके प्रतिनिधि व्यक्ति जो थे उसको गौण बनाने का

(श्री जनार्दनराय नागर)

कार्य आरम्भ हो गया है। इसकी जो गति है, सर्वोच्च है कमिश्नर, उसके बाद कलेक्टर और उसके नीचे अफसर। इस बिल को देखें तो मालूम होगा कि कलेक्टर को भी संयोजक के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है।

कलेक्टर को संयोजक रख कर वह विकास कमिटी का संयोजक होगा और उस विकास के काम के लिए प्रधान का चुनाव होगा। इस प्रकार से पंचायत समिति में जो प्रधान का कार्य करेगा उसको सब अधिकार होंगे विकास सम्बन्धी। आज हम इसमें देखते हैं, जहां बी० डी० ओ० को एक्जीक्यूटिव आफिसर बना दिया है इससे हमें ऐसा मालूम होता है कि यह मामूली परिवर्तन है लेकिन हम भारतीय राजतंत्र की पीढियां देखें, पुरानी परम्परा को देखें तो हमें यह मानना पड़ेगा यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज हम बी० डी० ओ० से सारे काम करवाते हैं, प्रभावशाली स्थानीय व्यक्ति भी यदि कोई विकास का काम करवाना होता है तो वह बी० डी० ओ० के जरिये करवाता है। जहां तक इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का सवाल आता है वह एक व्यक्ति लेता है और वह है राजस्थान का विकास आयुक्त। जिले में विकास अधिकारी लेता है और उसको कार्यान्वित करने का निर्णय बी० डी० ओ० लेता है, यह बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। ये लोग इसमें निर्णय नहीं लेंगे अब सब प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार पंचायत समिति के सदस्यों को होगा यह इतना बड़ा परिवर्तन है जिसे हम जनतांत्रिक परिवर्तन कह सकते हैं।

मेरे मत से जनतन्त्र में दो महत्वपूर्ण बातें होती है एक तो मत देना और दूसरा मत का निर्णय करने वाला कौन हो यह देखने की बात है। हमारी जो ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियां है उसमें बी० डी० ओ० राय देता है, सलाह देता है। लेकिन बी० डी० ओ० के विवेक में यदि कोई बात नहीं जंचती तो वह उस पर अमल नहीं करेगा। मान लीजिये कलेक्टर किसी बात का निर्णय नहीं करता और वह अमल नहीं करेगा तो हमने दो बातें इसमें दी है जो जनतन्त्र का आधार हैं एक तो आप अपना मत बनाइये और दूसरा आप उसी के अनुसार निर्णय लीजिये। हम पंचायत समितियों में अपना मत बनायेंगे और उसके लिए मत देंगे तो जो भी निर्णय वहां से होंगे वे जनतन्त्रात्मक ढंग से लिये जायेंगे वह निश्चित रूप से कारगर होगा। हम यहां एक निर्णय लेते हैं, बी० डी० ओ० मानता है तो ठीक नहीं मानता है तो वह विकास आयुक्त से मनवायेंगे। हमारी कई योजनायें है, उसके निर्णय के लिए हम यदि निश्चित रूप से जनतंत्रीय संस्थाओं के मत और निर्णयों को मानते हैं तो यह निश्चित रूप से जनतंत्र के विकास के लिए उपयुक्त चीज है। आज हम देखते हैं विकास के कार्य के लिए जनता निर्णय ले लेती है फिर भी उसका पालन मुश्किल से होता है, उसके लिए हम परावलम्बी से हैं। लेकिन हमने इस बिल में पंचायत समितियों को अपने विधान के जरिए उनको कारगर करने की क्षमता रखती है यह जो अधिकार हमने दिया है वह बहुत बड़ा अधिकार है। इसके लिए मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि यह बिल पास करते हुए यह साफ प्रतीत होता है कि जनतन्त्र में निश्चत रूप से आस्था राजस्थान की है। जनतंत्र पहले भी आया लेकिन वह दिल्ली में आकर अटका वह जयपुर आकर अटक गया। जिस तरह से गंगा को लाने का

(श्री जनार्दनराय नागर)

भागीरथ ने प्रयत्न किया, जब वह गंगा को लाने हिमालय में पहुँचा तो वो देखता है कि गंगा शिवजी की जटा में छिपी हुई है, गंगा के इस प्रकार से दर्शन नहीं होते । इसी तरह से हमारा हिन्दुस्तान आजाद हुआ और कांग्रेस ने यहां के राजतन्त्र की जिम्मेदारी संभाली तो उसके सामने यह प्रश्न आया कि हम किस तरह से जनता की सत्ता को जनता के हाथ में दें। शिवजी की जटा में जब तक गंगा छिपी हुई थी उसको जब हिमालय प्रपात से सामंजस्य करके धरती पर उतारा तो वह धरती को लहलहाती कर सकी। बोतल में दवा के भरे रखने से किसी की बीमारी दूर नहीं होती जब तक गंगा शिवजी की जटा में रही उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उसी प्रकार से आज जयपुर में सत्ता एकत्रित हो गई यहां पर हर बात का निर्णय होता है। आज हमारे इरादे नेक होते हुए भी उसके पालन का जहां प्रश्न आता है, उसके अनुसार कार्य करवाने का प्रश्न आता है, जयपुर के सेक्रेटेरियट में चाहे कितना ही काबिल अफसर बैठा हुआ हो वह एक दम निर्णय नहीं ले सकता। आज सभापति महोदय, हम इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के हाथों में दे रहे हैं यह बातें हम पंचायत समिति के विधान के जरिये करने जा रहे हैं। इन बातों को लक्ष्य में रखते हैं तो हमारे सामने जनतन्त्रीय भविष्य की उज्ज्वल कीर्ति नजर आती है। आज हम भारतीय जनतन्त्र की नींव को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन वह मोटे मोटे ख्यालों से होने वाले नहीं। प्रभावशाली ढंग से इस देश की जनता को हमें सत्ता सौपना है इसमें हम देरी करते हैं तो उसके लिए एक तो विश्वास का माद्दा पैदा होना चाहिये वह पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आज हम पंचायत समितियों को जो अधिकार दे रहे हैं ऐसे तत्वों के हाथ में सत्ता को सौंप रहे हैं जिनका जनतन्त्रीय सामाजिक विकास में बड़ा महत्व है। इससे हमें यह मानना पड़ेगा कि आज जो राजतन्त्र की गतिविधियां हैं उसमें जरूर परिवर्तन होने वाला है और यह हमारी प्रतिष्ठा के बल पर परिवर्तन होने वाला है। आज की राजतन्त्र की यह परम्परा देखने में आती है कि वह प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए बहुत कम परिवर्तन करना चाहते हैं वे सोचते हैं कि पंचायत समितियों के हाथ में इस प्रकार की सत्ता के जाने से उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जायगी। यह बात ठीक है और इस प्रकार की दलील दी जा सकती है पंचायत समितियों के अन्दर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ठीक तरह से होंगी भी या नहीं। जहां राजसत्ता के विकेन्द्रीकरण का सवाल आता है वहां इस प्रकार अक्सर सवाल उठाया जाता है पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वे गलतियां करेंगे उनके जो निर्णय होंगे वे ठीक प्रकार के निर्णय नहीं होंगे इस प्रकार के सवालात विकेन्द्रीकरण के जो शिविर चल रहे हैं वहां उठते हैं उनको मैं एक ही जवाब देता हूं वह यह कि आज का जो राजतन्त्र है वह गलतियां करता है या नहीं। जहां तक सरकारी निर्णयों का ताल्लुक है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्तिवाद का राजतन्त्र है वह वहां निश्चित रूप में कई बातों के बारे में गलत निर्णय लिये जाते हैं और लिये गये हैं। आज हम देखते हैं, ब्लाक एडवाइजरी कमेटियां जो बनी हुई हैं उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए गये हैं विकास सम्बन्धी जितने भी निर्णय लिए गये हैं चाहे वे जिले के स्तर के हों या गांव के स्तर के हों उसमें १०० निर्णयों में ६० निर्णय जिनको वाजिब समझा

(श्री जनार्दनराय नागर)

जा सकता है उनको भी ठीक तरह से नहीं लिया गया । इसी कारण इस प्रकार का अन्देशा हमारे सामने लाया जाता है । यह ठीक है कि हमारी सरकार भी कई मामलों में निश्चित रूप से निर्णय लेने में गड़बड़ करती है, यह हमारी पुरानी चली आरही नीति का परिणाम है जो एक व्यक्ति विशेष में सत्ता को केन्द्रित रखना चाहते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : १५ मिनिट का समय सत्र के लिए निर्धारित किया गया है । आपका समय हो चुका ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं पहले भी इस पर नहीं बोला हूं अतः मुझे कुछ समय और दिया जाय ।

श्री सभापति : दो मिनिट ।

श्री जनार्दनराय नागर : पिछले समय में ऐसा होता था कि विचार प्रगट नहीं कर पाते थे इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं आज हमें यह नहीं देखना है । विकास के कार्य के लिए जो पंचायत समितियां बन रही हैं उन्हें हमें इस दृष्टि से नहीं देखना है बल्कि हमें यह देखना है कि राजस्थान में हम ईमानदारी से लोकतंत्र की नींव डाल रहे हैं या नहीं । आज सत्ता कुछ चन्द लोगों के हाथ से निकाल जनता के प्रतितिधियों के हाथों में दी जा रही है । ऐसे समय में हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है वह यह कि हम जनता में किस प्रकार मजबूती से विश्वास पैदा करें । शक्ति का स्रोत जनता है जहां हम जनतंत्रीय प्रतिष्ठान कायम करने जारहे हैं वहां हमें जितने विस्तृत राजतंत्र हैं उसमें से जितनी सत्ता जनता को देते आयेंगे उसी का रूप यह विधेयक है । यह आज के समय के अनुकूल और समीचीन घटना है । प्रत्येक माननीय सदस्य को इसके लिए गौरव अनुभव करना चाहिए । हम भारतवर्ष में सब से पहले इस तरह की सत्ता जनता के हाथों में देने की पहल कर रहे हैं । यह ऐसा मंगलाचरण है जिससे देश की जनता और जनतन्त्र की विशेषताओं के प्रति लोगों की जनतन्त्र के प्रति निश्चित रूप से आस्था बढ़ेगी अगर हमने इसके प्रति ईमानदारी से प्रयत्न किया तो हम यह पायेंगे कि धीरे धीरे हम जन प्रतिनिधियों के हाथों में सम्पूर्ण सत्ता दे सकेंगे । मुश्किल तो आपकी और हमारी हो सकती है आज हम निश्चित रूप से जन प्रतिनिधियों के बीच में बैठे हुए भी जो निर्णय लेते हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि जो सत्ता केन्द्र में है वह सत्ता नहीं दे पारहे हैं ।

मैं यह मानता हूँ कि इस बिल के जरिये राजस्थान सरकार ने इस सदन को यह निर्णय करने का मौका दिया है कि हम राजस्थान में निश्चित रूप से जनतान्त्रिक शासन पद्धति को प्रारम्भ करें ।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, हम आज राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के तीसरे वाचन पर विचार कर रहे हैं । इस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विधेयक के द्वारा जैसा कि आम तौर पर विचार किया जा रहा है हम सत्ता का लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं ।

इस विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ हमारी भिन्न भिन्न धारणाएं रही हैं । मैं समझता हूँ कि सबसे प्रथम हमको इस विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य पर विचार करना चाहिए । विकेन्द्रीकरण की यह मान्यता हमारे लिये कोई नहीं है । जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है इस विकेन्द्रीकरण की ओर कांग्रेस ने आरम्भ से ही जोर दिया है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो जिस स्वराज्य की कल्पना करते थे उसको वे दूसरे शब्दों में पंचायत राज्य, ग्राम राज्य और इसी को वे रामराज्य मानते थे । यह भी हमको मानना चाहिये कि जिस प्रकार हमने अपने देश में सुराज्य स्थापना के लिये अपना स्वशासन लाने के लिये बड़े ही क्रान्तिकारी कदम उठाये थे, बड़े बड़े भीषण आन्दोलन किये थे और मैं समझता हूं कि शायद महात्मा गांधी तो अपने युग के संसार में सबसे अधिक क्रान्तिकारी पुरुष रहे हैं । लेकिन जो सत्ता का हस्तान्तरण हमें हुआ हमारे देश को, उसको ऐसा मानने में संकोच नहीं है कि वह हस्तान्तरण क्रान्तिकारी नहीं था । वह एक विकास की ओर कदम था । यह निश्चित बात है कि आरम्भ में अंग्रेजी सत्ता गई, उसके स्थान पर जो अन्तिम सरकार बनीं उसमें वही वायसराय थे और उसमें हमारे नेता प्रधान मन्त्री और दूसरे मन्त्रियों के रूप में आये । इसके अनन्तर देश को पूर्ण स्वतन्त्रता होने के उपरान्त भी हमारे यहां वायसराय के स्थान पर गवर्नर जनरल नाम हुआ और वह इंगलैंड की महारानी या महाराजा हैं उनके प्रति उत्तरदायी रहे । इस के बाद हमारा देश का संविधान बनता है और तब से हम समझते हैं कि जो अपने देश में जैसा स्वराज्य की कल्पना हम करके चल रहे थे उसका आरम्भ हमारे उस संविधान में होता है । संविधान में हम सबसे पहले चालीसवें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया कि राज्य सरकारें अपने राज्य के अन्दर पंचायतों का प्रारम्भ करेंगी और वे अपना जो स्वायत्त कार्य होगा उनका संचालन करेंगीं । उसके साथ साथ हमारे देश में पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई और पंचवर्षीय योजनाएं और हमारी जो राष्ट्रीय विकास समिति हुई सबने मिलकर एक स्थिति पैदा की जिसके परिणामस्वरूप बलवन्तराय मेहता कमेटी का निर्माण हुआ और सबसे पहले बलवन्तराव मेहता कमेटी ने देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हम अपने देश का सर्वांगिण विकास कर नहीं सकते जब तक कि हम विकास के कार्य स्थानीय जनता के हाथ में सौंप दें । यही वह कारण है जिससे प्रेरित होकर यह जो मौजूदा विधेयक हमारे सामने है, हम इस रूप में पा रहे हैं । इस विधेयक के सम्बन्ध में कई प्रकार की धारणाएं यहां व्यक्त की गई और सबसे बड़ी चीज इसमें यह की गई कि जो कुछ इसके अन्दर दिया है जो कुछ इसमें सत्ता निहित है उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि उसमें जो कुछ नहीं है, उसकी ओर इंगित किया गया है । मैं समझता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि जिस समय हम अपने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण करें तो हम जनता को अधिक से अधिक सत्ता दें, लेकिन जिस आधार पर यह विधेयक बना है जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

में हमारे देश का संविधान है, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, हमारी राष्ट्रीय विकास समिति है, उन सबकी जो सिफारिशें हैं और उनके आधार पर जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट प्रकाश में आई उन्हीं से अधिकांश में वे सारे विचार इसमें संग्रहीत किये गये जो इस विधेयक में दिये हुए हैं। सबसे बड़ा ऐतराज एक बड़ी आपत्ति जो उठाई गई है वह यह उठाई गई है कि वास्तव में सत्ता का कोई विकेन्द्रीकरण नहीं क्योंकि न तो पुलिस उनके अधिकार में आई और न राजस्व उनके अधिकार में आया और न कहना चाहिये कि जूडीसियरी की जो एक बहुत बडी शक्ति है वह उन संस्थाओं के हाथ में आई जो कि जनता की वास्तविक संस्थाएं हैं

मैं समझता हूं कि यह आपत्ति, यह एतराज बिलकुल उचित और उपयुक्त होता लेकिन इसके पीछे जब हम देखते हैं और यह देखते हैं कि विधेयक जिस आधार पर बना है यह वह रिपोर्ट है जो महता कमेटी की रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है और उसमें प्रारम्भ में ही टर्म ऑफ रेफेरेन्स के तौर पर इंगित भी किया गया है कि वह जो विकेन्द्रीकरण होगा उसके हिसाब से पंचायतों के हाथ में असल में चीज क्या होगी और उसमें स्पष्ट यह बताया गया है कि "The Second Five Year Plan has recommended that village panchayats should be organically linked with popular organisation at a higher level and that, by stages determined in advance, democratic bodies should take over the entire general administration and development of the district or the sub-division perhaps other than such functions as law and order, administration of justice and certain functions pertaining to the revenue administration. The National Development Council at its eighth meeting decided that a special investigation into such a reorganisation of the district administration should be carried out by our Team."

इस प्रकार से उन्होंने इसे सीमित कर दिया है कि उस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जो सिफारिश इस रिपोर्ट में है उसने वास्तव में सीमित किया है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये कि जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण है यदि सत्ता का अर्थ पुलिस और रेवेन्यू कलक्शन ही माना जावे तो वह इसमें नहीं है। पर जहां तक विकास जिसके लिये विशेष जोर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जिला स्तर तक विकास के जितने काम हैं पंचायतों के द्वारा तहसील पंचायतों के लेवल पर, ब्लॉक समिति के लेवल पर जितने भी काम हैं क्रमशः सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसके आधार पर इसमें किया गया है।

इस दृष्टि से हम यदि इसको देखें तो मैं समझता हूं कि शायद जितनी खूबियां हैं उनके मुकाबले जितना खामियों की तरफ हमारा ध्यान गया है उतना शायद खूबियों की तरफ नहीं गया। और खामियों की तरफ भी उतना ध्यान नहीं जाता यदि इसमें जो भी कुछ खामियां बताई गई हैं उनका भी समावेश कर दिया जाता। तो यह विधेयक और भी सर्वांगीण हो सकता है। पर इसके अन्दर वही खामियां आ सकती हैं जिनके आधार पर कि यह विधेयक रचा गया है यदि उससे अधिक सत्ता देने का प्रश्न उठाते हैं तो मैं समझता

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हूं कि वह शायद आज के दिन उपयुक्त नहीं होगा। हां, एक समय आ सकता है जबकि हम सत्ता का हस्तान्तरण इन स्थानीय संस्थाओं को करें। इसी दृष्टि से जब हम इसमें देखते हैं तो इसके अन्दर जहां बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, मैंने जहां तक उसे पढ़ा है और आपने इस विधेयक को पढ़ा है मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अन्दर समाविष्ट नहीं हैं। उनको छोड़कर बहुत कुछ आगे हम इस विधेयक में गए हैं। यदि उनके पृथक् पृथक् उदाहरण दिए जायें तो मैं समझता हूं कि कुछ विस्तार अधिक हो जायेगा लेकिन उदाहरण के तौर पर जहां बलवन्तराय मेहता कमेटीने जिला स्तर पर जो जिला परिषदें बनाने जा रहे हैं उसके संयोजक या उसके सभापति कलेक्टर को बनाया जाये और हमारे पड़ोस के राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि वहां कलेक्टर उसके चेयरमैन हैं, लेकिन हम अपने इस विधेयक को इस दृष्टि से देखें तो आपको मालूम होगा कि हम उससे भी आगे बढ़े हैं। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सिफारिश की है कि कलेक्टर को चेयरमैन बनाया जाये पर हम उससे भी आगे बढ़े हैं जब कि हमारे यहां कलेक्टर उसका बगैर मत देने वाला सदस्य होगा। चाहे दूसरे अधिकार उसको कलेक्टर की हैसियत से हो वह हो सकते हैं लेकिन जिला विकास अधिकारी का काम एक प्रकार से संयोजक का सा है। जहां तक उसके प्रमुख का संबंध है वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का होगा। यही तो एक बड़ी खूबी है कि जहां तक जनसत्ता की बात करते हैं उसका मतलब यही है कि सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के पास जाये। हमको आज अधिक से अधिक जनता का विश्वास करना है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़ी दलील दी जाती थी जब कि स्वराज्य की मांग की जाती थी तो वह कहते थे कि तुम स्वराज्य के योग्य नहीं हो, तुम हिन्दू और मुसलमान के नाम से लड़ते हो, तुम्हारे अन्दर जातपांत है और तुमने अपना शासन कभी नहीं किया। अंग्रेज इस प्रकार की दलील देते थे लेकिन हमारे देशवासियों ने सिद्ध कर दिया। जिस समय अंग्रेजों ने केवल हमारे लिए कुछ म्युनिसिपैलिटियां और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दिए और कहा कि अभी तो इसके अन्दर ट्रेनिंग पाओ लेकिन हमने देख लिया कि हमने उन स्वायत्त शासन संस्थाओं का शासन भली प्रकार से चलाया और अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारे नेताओं ने देश का सम्पूर्ण शासन अपने हाथ में लिया और अपने यहां लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण शासन कायम हुआ और यह भी हम गौरव के साथ कहते हैं कि जहां अमेरिका और दूसरे मुल्क बात करते थे कि हिन्दुस्तान करोड़ों वर्षों से गुलाम रहा है और सोचते थे कि क्या भारत बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव करा सकेगा लेकिन वह पहला मौका आया जब कि १८ करोड़ बालिगों ने मत दिया और चुनी हुई सरकार कायम की। आज सारा संसार इस बात को भी देख रहा है कि गांधीजी जिस चीज को कहते थे ग्रामराज्य की बात कि एक एक व्यक्ति का राज्य होगा, वह काम करना चाहते हैं और लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की ओर जिस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आज जनता की दृष्टि उस पर भी पड़ी हुई है। हम समझते हैं और ईमानदारी से समझते हैं कि इसमें जिन लोगों के हाथों में सत्ता जायेगी बहुत सम्भव है कि वह गलतियां करेंगे लेकिन मैं तो कहता हूं कि गलतियां करने का

Page No 78

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अधिकार होना चाहिए और उसमें सीखने का अधिकार होना चाहिए। महात्मा गांधी यही कहते थे कि हम अपने देश में अराजकता को सहन कर लेंगे लेकिन विदेशी सत्ता को सहन नहीं करेंगे। इसलिए जो शंका करते हैं कि यह साधारण लोग शासन नहीं चला पायेंगे। पर यह धारणा निर्मूल है लेकिन उसके साथ यह देखना है जो सत्ता उनके सुपुर्द की जा रही है वह हमारी राज्य सरकार यदि ईमानदारी से ऐसा अनुभव करे और यह समझे कि 'लिबर्टी टीचेज लिबर्टी' हम जितना स्वतंत्र होते जाते हैं हम उतना ही स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं और स्वतन्त्र होने का जो दायित्व है उसकी भी अवहेलना करके अयोग्य होते जा रहे हैं। जो भी अधिकार देने जा रहे हैं वह जनता के लिए इस बात का द्योतक है कि हम विश्वास करते हैं कि हमारी जनता बड़े बड़े काम करेगी। जो तहसील समितियां बनेंगी जो भी उसके चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और जितने भी अधिकारी होंगे पंचायत समिति और तहसील समिति के वह उनके अधीन होंगे और पंचायत समिति के सदस्य जो कि सरपंच के रूप में हैं वह चाहे कोऑप्शन से आये हों वह वहां पर काम करेंगे। आज भी यह शंका फिर पैदा की गई है कि सरकार ने अपने हाथ में सत्ता रखी है कि जो कोऑप्शन से आयेंगे वह सरकार के ही होंगे। ऐसे विचार अभी भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने रखे। लेकिन जहां कोऑप्शन का प्रावधान रखा है उसका अर्थ यही है कि जो सरपंच होंगे, यह दूसरी बात है कि सरपंच अपने ही विचार के होंगे चाहे वह कोऑप्शन के आदमी हों चाहे महिलायें हों, चाहे हरिजन हों जो भी प्रशासनिक अनुभव के लोग होंगे वह उसी विचार के आयेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार कोई विशेष प्रतिनिधित्व दे रही है इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वह जितने भी आयेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लाए गए होंगे और वह मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह सत्ता मूल रूप से जनता के ही हाथ में होगी और इसके अन्दर जैसे जैसे विकास होता जायेगा मैं समझता हूं कि अपने अपने दायित्व को समझेंगे और पूरा पूरा लाभ उठायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ साथ जो पंचायत समितियों के क्षेत्र का सवाल है कि पंचायत समिति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। यदि वह चोरी और डकैतियों में यह समझते हैं कि यह मामला भी इसमें आए या पटवारी जो कुछ गांवों में जा जाकर मालगुजारी वसूल करते हैं वह भी पंचायत समितियों में हों तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी दृष्टि में उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है लेकिन जो भी इस विधेयक के अन्त में सूची दी गई है मैं समझता हूं कि वह सूची काफी विस्तृत है यदि उसको ठीक तरह से करते हैं तो करीब कुल मिलाकर यह करीब ६५–६७ आइटम्स हैं जैसे कॉयुनिटी डवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी, हैल्थ एण्ड रूरल सेनीटेशन, एज्यूकेशन, सोशियल एज्यूकेशन, कॉम्युनिकेशन्स, कोऑपरेशन, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ आदि जितने भी आइटम्स हैं मैं समझता हूं कि बहुत काफी होते हैं और यह इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हम जनता के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

प्रतिनिधियों पर बहुत कुछ विश्वास करते हैं। हां, कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं

(समय सूचक घंटी)

एक बात और है। थोड़ा सा शायद मैं इस अवसर पर एक सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ जो मेरी नजर में आई। उसका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो पंचायत समितियों की रचना की है इसमें तहसील पंचायत के सरपंचों का प्रावधान है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं वह एक प्रकार के नहीं हैं। एक ब्लॉक ऐसा है कि जिसमें तीन-तीन तहसीलों के गांव शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जो ब्लॉक मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर पहाड़ी ब्लॉक का है उसमें नगर तहसील पूरी आती है, पहाड़ी तहसील की छ: सात पंचायतें आती हैं और डीग तहसील का केवल एक गांव आता है। तो इसमें अब थोड़ा यह समझने का प्रश्न होता है कि जो तहसील पंचायत के सरपंच होंगे वह नगर तहसील जो पूरी की पूरी शामिल है वह उसके सरपंच हो सकते हैं। लेकिन पहाड़ी तहसील जिसमें कुछ गांव इधर शामिल हैं और ज्यादातर तहसील का शैडो ब्लॉक बनेगा और जो तहसील सरपंच हैं वह उसके अन्दर भी जायेंगे तो क्या वह तहसील का सरपंच इधर भी आयेगा। सारी तहसील नॉनब्लॉक एरिया है तो क्या वहां की तहसील का सरपंच भी यहां आयेगा। वह थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा। तो इसका मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। बाकी जो यह विधेयक है काफी प्रगतिशील है और मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

३ म० प०

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करने में मुझे कोई झिचकिचाहट नहीं है। जिन उसूलों और सिद्धान्तो को लेकर इस क़ानून को हम बनाने जा रहे हैं उन सिद्धान्तों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिनसे स्वागत करने वाले को अपनी आंखें नीची करनी पड़ें। बावजूद इसके उसमें एक नीति जो रखी गई है उसका बुनियादी सिद्धान्त नहीं है, मगर जिस नीति का समावेश हुआ है उस नीति की ओर मुझे बड़े अफसोस के साथ ध्यान दिलाना पड़ेगा कि उसमें मूल जनतान्त्रिक भावनाओं के पीछे जो प्रेरणा होनी चाहिए शायद उसे नज़र-अन्दाज़ कर बैठे हैं। मेरा मतलब इसके अन्दर अतिरिक्त करों का भार जो है हम जन-समुदाय पर लादने जा रहे हैं, उसकी तरफ मेरा इशारा है। हमने पंचायतें बनाई और पंचायतों के आने से जनता पर कुछ भार बढ़ा, क्योंकि हमने पंचायतों को शक्ति दी कि कुछ कर लगा सकती हैं। कुछ खास प्रकार के राज्य सरकार कर लगाती है। अब जब हम पंचायत समितियां बनाते हैं और ज़िला परिषद् बनाते हैं तो इनके कारण से एक और अतिरिक्त भार कर का आता है जन समुदाय के ऊपर। तो मेरी आशा थी कि जब हम कहते हैं कि सत्ता का हस्तान्तरण कर रहे हैं चाहे पूरे रूप में नहीं, आंशिक रूप में ही सत्ता का हस्तान्तरण करने के बाद मामला यह आता है कि दूसरे के हाथ में जो अधिकार हैं उनका हस्तान्तरण करके दूसरी जगह देदें तो उसके साथ साथ ही, हस्तान्तरण के साथ साथ पहले वह शक्ति जिन हाथों में थी उन हाथों के ऊपर से खर्च का बोझ कम हो जाना चाहिए, यह चीज़ स्वभाविक है। खर्च के

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कम होने से कोई इंगित हो, लेकिन उस केन्द्र पर व्यय कम होने का इंगित नहीं है, दूसरी ओर जहां हस्तान्तरण करके एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को शक्ति दी गई है अतिरिक्त कर लगाने का बोझ जनता पर दिया है।

अगर हम इसको एक जनतान्त्रिक दृष्टिकोण से देखें तो जनतान्त्रिक प्रवृत्तियों के प्रतिकूल पाया जाता है। हम बहुत कम इस बात को महत्व देते हैं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी का दृष्टिकोण है, उनका फरमाना है वह एक दृष्टि से जायज् भी है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के साथ साथ करों के भार को भी बढ़ायेगें। यह मैं मानता हूं कि काम करना होगा तो अधिक व्यय करना पड़ेगा। मगर हमारी विकास की कल्पना है वह अगर जनतान्त्रिक विकास की कल्पना है, और कोई विकास जनतन्त्र से हटकर बनता है तो उसको सही विकास नहीं कहेगें, भारत भूमि के लिए कम से कम मुझे याद है कि मुगल साम्राज्य के जमाने में हिन्दुस्तान में निर्माण का कार्य बहुत ज़बरदस्त हुआ। ताजमहल भी यहां बना, मगर सभी चीजें एक सूबेदारी और मज़दूरी के आधार पर हुई। जनतान्त्रिक प्रणाली के आधार पर तरक्की नहीं हुई। उस तरक्की से देश का विकास नहीं होता है। हमारे विकास के अन्दर साथ ही साथ यह चीज़ भी मिली रहनी चाहिए कि देश के जन समुदाय को बल प्रदान करने के लिए विकास हो, जन समुदाय का बल हनन करने के लिए विकास होता है तो सूबेदारी और मज़दूरी के आधार का विकास होता है। वह जनतांन्त्रिक विकास नहीं होता है।

टैक्स के संबध में इसकी कहां रेलेवेन्सी है वह एक स्वाभाविक प्रश्न है। मैं इसको बहुत चन्द शब्दों में कहूंगा। जनतन्त्र जो है एक जीवन की शैली मानी गई है। एक राजनैतिक व्यवस्था का या राज करने की विशेष व्यवस्था का नाम जनतन्त्र नहीं है। एक चुनी हुई हुकूमत काम करे यह पर्याप्त जनतन्त्र नहीं होता है, क्योंकि चुनी हुई हुकूमत का अस्तित्व लाने के लिए चुनने वाले सही ढंग से हुकूमत को चुनें। लोग अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर जनता में जायं। इन सब चीजों के लिए एक सामाजिक जीवन की. एक जनतान्त्रिक शैली की आवश्यकता है। यदि सामाजिक जीवन की जनतान्त्रिक शैली को मौका नहीं रहता है तो कितनी भी चुनी हुई सरकार बनायें, मुझे एक मिसाल याद आ गई कि तुर्की के कमाल पाशा अतातुर्क ने एलान किया था कि हमारे देश में भी इस तरह की पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट होनी चाहिए लेकिन कोई भी लोग चुनाव में खड़े नहीं हुए तो उसको नोमीनेट करना पड़ा। नोमीनेट करने के बाद भी देखा कि लोग बहस नहीं करते हैं और एक ने कह दिया तो उसमें हां कर देते हैं तो यह असेम्बली नहीं हुई और उसको तोड़ना पड़ा। चाहे कमाल पाशा अतातुर्क ने जनतान्त्रिक शैली की पार्लियामेंट बनाई, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। वह कामयाब इसलिए नहीं हुई कि कमाल पाशा अतातुर्क के निरंकुश एकतन्त्रीय शासन ने वहां पर जनतान्त्रिक समाज व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसलिए चुनी हुई संस्था कामयाब नहीं हो सकी। चुनाव में खड़े नहीं हुए, क्योंकि जनतान्त्रिक सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति उनके जीवन में से निकल गई। जीवन में जनतान्त्रिक शैली का नाम जनतन्त्र है, राज करने की शैली का नाम जनतन्त्र नहीं है, ऐसा

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

जो राजनैतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं उनका कहना है ।

जीवन में जनतान्त्रिक शैली क्यों आवश्यक होती है ? उसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि मनुष्य को बैठकर विचार करने का मौका मिले । मनुष्य को अपने विचार परस्पर सामाजिक जीवन में ढालने का मौका मिले । मनुष्य को अपने विचारों को लेकर अपना अपना गिरोह, अपना अपना दल, अपनी अपनी पार्टी बनाने का मौका मिले । पार्टी का संचालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति हो और धन की प्राप्ति के लिए उनके पास सरप्लस मनी होना चाहिए । जनता के पास रोटी, कपड़ा मकान, बीबी, बच्चों के पालन-पोषण के अलावा ज्यादा पैसा होना चाहिए जिससे वे एक जनतान्त्रिक जीवन की शैली को अपना सकें । लेकिन अगर आप टैक्स लगाकर इतना पैसा नहीं छोड़ते हैं कि वे अपने जीवन में जनतान्त्रिक शैली को अपनाने के लिए क्लब नहीं बना सकते हैं, परस्पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं, और एक सामाजिक जीवन में जनतान्त्रिक शैली वालों के लिए आवश्यक होता है कि सरप्लस धन आवश्यक हो । वह सरप्लस धन आप छोड़ते नहीं हैं तो जीवन में एक जनतान्त्रिक शैली का विकास नहीं होता है ।

आज हम इस मूलभूत सिद्धान्त को भूल जाते हैं और विकास को इस ढंग से करने जा रहे हैं कि हम जनता के पास जनतानिवक शैली से जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है । सरप्लस धन चाहिये रोटी, कपड़ा और रोजी के अलावा । एडिशनल धन चाहिए हमें जनतान्त्रिक शैली के विकास के लिए । आप कॉस्ट आफ लिविंग के इन्डेक्स बनाते हैं तो उसमें जितनी चीजें जोड़ लेते हैं । कपड़े पर इतना खर्च हो मकान पर इतना खर्च हो, यह सब जोड़ लेते हैं । कभी आपने यह भी जोड़ा कि एक स्वतन्त्र राजनैतिक सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए और कितना खर्च चाहिए एक नागरिक को वह कॉस्ट ऑफ लिविंग के इन्डेक्स में हम छोड़ देते हैं । अगर वह नहीं देते हैं तो जनतान्त्रिक जीवन असंभव हो जायगा । वह असंभव हो जायगा तो हम कितना भी जनतान्त्रिक ढंग थोपें वह कामयाब नहीं होने वाला है । वह कमाल पाशा अतातुर्क को असेम्बली बनने वाला है । हमें चाहिये था कि हम आंकड़े बताते कि हमने सत्ता हस्तान्तरण का है तो सत्ता हस्तान्तरण की वजह से राज्य सरकार के पास इतना पैसा बच गया । इसके अतिरिक्त और भी पैसे की बचत हो सकती है, खैर उन बातों पर मैं आज नहीं जाऊंगा, वह बजट के दौरान में बात करने की है । जहां तक इस विधेयक का संबन्ध है उस बचत के दर्जे को ट्रान्सफर करना चाहिये सत्ता के साथ साथ उस सत्ता को काम लाने में जो अभी तक खर्चा था वह हस्तान्तरण के साथ में देते हैं, और नये टेक्सेज लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है । और थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा एक विशेष जनतान्त्रिक प्रणाली में होता है तो उसके लिए कोई सहकारी बचत की स्थिति उपयोग में लानी चाहिए थी । खैर, वह नहीं हुआ है । यही अफसोस मैं यहां पर प्रगट करना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस ढंग के हस्तान्तरण की, विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता जो हमने महसूस की है उसकी

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

पृष्ठभूमि को हम नहीं भूल जायं। एक विशेष बैकग्राउन्ड, पृष्ठभूमि के अन्दर यह काम हुआ है। बात यह थी कि हमने पंचवर्षीय योजना और विकास का प्रोग्राम इस आधार पर बनाने की चेष्टा की कि हमने विकास के महकमे को काम करने का आदेश दिया कि पीपल्स पार्टीसिपेशन को उपलब्ध करें। ऐसी नीति से काम करें कि हमें जन सहयोग मिले, लेकिन नौकरशाही उस काम को करने में नाकामयाब रही, वह जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टीसिपेशन उचित मात्रा में नही मिल सका ऐसी परिस्थिति में हमने महसूस किया कि जन सहयोग लेने की पृष्ठभूमि के अन्दर विकेन्द्रीकरण बना है इसको नहीं भूल जायं। जहां तक मैं इसके ढ़ाचे को देखता हूं, इस प्रकार का यह बनाया गया है कि इस विधेयक में ऐसी बात नहीं आती है कि यह नाकामयाब हो जायगा। कामयाब भी हो सकता है। मगर मगर कामयाबी और नाकामयाबी इसी चीज़ पर निर्धारित है कि अधिकारी वर्ग में और जनता के नेतृत्व में जो आगे चलकर चुनकर आएगा उन लोगों में परस्पर सहयोग किस तरीके से होगा ? यह आपकी सद्चेष्टा और सद्नीति पर निर्भर है। उसी अंश तक यह सफल या असफल होने वाला है। मगर अफसोस की बात है कि आज तक अधिकारी वर्ग जनसहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा, उससे ऐसी आशा करना कि अब मिलजुल कर चल सकेगा, उसमें थोड़ी शंका हो सकती है। अगर सरकार जागरूक रही, हमारी सरकार ने एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करने के अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकार की मशीनरी को सही रास्ते पर चलाने का रोल प्ले किया और नौकरशाही को मजबूर कर सके, तो मुझे उम्मीद है कि कामयाबी भी हो सकती है यहां पर। कुछ मेरे भाइयों ने शंका उठाई कि यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है यह तो सिर्फ आपने पंचवर्षीय योजना या फाइव ईयर प्लान के सम्बन्ध में बात कर दी, सत्ता की असली चीज नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरे निजी विचार ये हैं कि मैं इस हद के विकेन्द्रीकरण को वेलकम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं और यह यदि कामयाब रहा और इसके साथ साथ यदि नौकरशाही वर्ग और नीचे के गांवों के लोग आपस में बैठ कर इसे कामयाब बना सके तो आगे दूसरा कदम उठावें और सत्ता के लिए भी ऐसी समितियों को अधिकार दें तो कामयाब हो सकते हैं। इस स्थान पर उनको अधिकार दिया जाय और नौकरशाही उनके साथ कोऑपरेट नहीं करे तो बड़ा नुकसान होगा। पहले ही नाकामयाब रहे और इस तरह से जन नेता नाकामयाब रहे तो झगड़ा पैदा हो सकता है और विकट समस्या सरकार के लिए पैदा हो सकती है। मगर इसको कामयाब करने के लिए यह आवश्यक है कि नौकरशाही या नीचे के नोट पर चलने वाली सरकार ब्यूरोक्रेटिक्स पर आश्रित न रहे तो कामयाब हो सकती है। इस सद्कामना के साथ में अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल के त्रितीय वाचन पर आज कई माननीय सदस्यों ने विचार यहां प्रकट किए। उनके विचारों को सुनकर मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा याद आ गया जो उन्होंने रामायण में कहा है: 'जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी

(श्री सम्पतराम जैन)

तिन तैसी ।' सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल का सवाल है इसका उद्देश्य बिलकुल साफ है । यह यहां क्यों लाया गया है इसको सब माननीय सदस्य समझते हैं । इसके बावजूद भी इस बिल के बारे में गलतफहमी पैदा होना और ऐसे विचार प्रकट करना उचित मालूम नहीं होता । जहां तक विधेयक के उद्देश्य का ताल्लुक है, यह बिलकुल साफ है । अब तक आज से ६,७ साल पहले से सामुदायिक विकास का कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम गांवों में एक नया जीवन पैदा कर रहा है, यह माना कि जितना लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूरा नहीं हुआ और उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सामुदायिक विकास योजना में हम बिलकुल असफल होरहे हैं और गांवों में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ । लेकिन फिर भी यह कमी महसूस की जारही है और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो आयोजन गांवों में विकास का हो वह नीचे के स्तर से हो, इसका कार्य क्षेत्र गांव पंचायतें हों और आत्म सहायता और पारस्परिक सहयोग से यह कार्यक्रम किया जाय और जनता इसको अपना कार्यक्रम समझे और जनता के प्रतिनिधियों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जावे और वे इसका वजन महसूस करें । पैदावार बढ़े और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे पूरे हों । इन्हीं बातों को लेकर मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विकास कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण किया जाय, पंचायत समितियों और खंड स्तर पर सत्ता जनता को सौंपी जाय । इसी उद्देश्य से यहां पर यह बिल लिया गया है और जहां तक इस बिल का सम्बन्ध, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इसके द्वारा जनता में नया जागरण पैदा होगा, विकास का लक्ष्य सफल होगा, पूरा होगा, पैदावार बढ़ेगा, बेकारी दूर होगी और बेकारी दूर होने से लोगों को रोटी और कपड़ा मिलेगा और गांवों में मकानों की समस्या हल होगी और सब का भला होगा । इस विषय में कई माननीय सदस्यों के विचार अलग अलग हैं लेकिन मेरा विचार साफ है । विकेन्द्रीकरण के पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि पूरी ताकत से हमने काम किया और ईमानदारी से काम हुआ तो निश्चय ही लक्ष्य प्राप्त होगा, बेकारी दूर होगी और जनता के रोटी कपड़े की समस्या हल होगी ।

जहां तक विधेयक का संबंध है, यह पांच भागों में बंटा है । पहले अध्याय में पंचायत एक्ट में आवश्यक संशोधन किये हैं । मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जहां पंचायत के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण किया है वहां पंचायत को अपने काम के लिए बार बार पंचायत विभाग में दौड़ना पड़ता है । पहले अध्याय में संशोधन पंचायत एक्ट में करके जो अधिकार पहले चीफ पंचायत ऑफिसर को दिये थे वे पंचायत समिति और जिला परिषद् को दिये गये हैं । सेक्शन २३, ६८, ६०, ६१ पंचायत एक्ट में आवश्यक सुधार किये गये हैं। जहां तक पंचायत एक्ट का संबंध है, उसके द्वारा विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है । अधिकार नीचे के स्तर आये हैं और सरकारी अधिकारियों को उनके अधिकार के नीचे दिया है । इसके साथ ही आज तक पंचायतें राजस्थान में ५,०००, ८००० या ६००० तक की आबादी पर भी बनी हुई हैं । ऐसी मौजूदा

(श्री सम्पतराज जैन)

पंचायतें ३१ जनवरी, सन् ६१ तक काम करेंगी। लेकिन छोटी पंचायतों का निर्माण होगा तो छोटे एरिया के लिये अधिक सोच विचार करके विकास का कार्य कर सकेंगी और मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल ३१ जनवरी, ६१ तक रखा है। उसके बाद नयी पंचायतें आयेंगी और उसमें अधिक लोगों को भाग लेने का अधिकार मिलेगा। इसमें आवश्यक संशोधन किये हैं जिससे पंचायत एक्ट की त्रुटियां दूर हो सके और विकेन्द्रीकरण हो सके, ऑफिसरों की सत्ता पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सौंपी जाय।

दूसरा भाग इसका पंचायत समिति से ताल्लुक रखता है, गठन और संचालन से। मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, पंचायत समिति का जहां तक संबंध है, उसमें पंचायतों के सर-पंच और कॉओप्टेड मेम्बर्स को उसमें स्थान दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह डाइरेक्ट इलेक्शन्स से बच गई है जिस से पार्टीबाजी का झगड़ा न हो और ठीक तरह से काम कर सकें। पंचायत समिति को सत्ता विकास कार्यक्रम की सौंपा है जो आवश्यक थी। इस संबंध में पूर्ण विकेन्द्रीकरण की सत्ता सौंपी गई है।

पंचायतों को पटवारी, पुलिस, व रेवेन्यू के अधिकार नही सौंपे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में जो पॉवर्स दिये हैं उनमें रेवेन्यू और पुलिस के कोई पॉवर्स पंचायत समिति को नहीं दिये हैं। जब पंचायत समिति के जिम्मे पुलिस का पहरा आदि काम नही हैं तो उससे संबंधित अधिकारी पंचायतों के नीचे रखे जावें इसकी आवश्यकता नहीं है। पंचायत एक्ट में बताया है कि पंचायतें रेवेन्यू अधिकारों की मांग करेंगी तो आगे उस समय पटवारी और रेवेन्यू अधिकारी उनके अंडर में आ जायेंगे जो पंचायतें सक्षम हैं, उनको इसके लिए मांग करनी चाहिये। सेक्शन २६ (२) के अंडर में उनको अधिकार दिये जायेंगे।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायत समिति को पूर्णरूपेण विकास के कार्यक्रम राज्य सरकार ने इस एक्ट के द्वारा सौंपे हैं और कोई बात ऐसी बाकी नहीं रही है ग्राम विकास की, जो नहीं सौंपी गई है, इसलिए केवल पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारियों का रोना रोना आवश्यक नहीं है। हमें विकास कार्यक्रम को सफल बनाना है, जो सत्ता अभी सौंपी है, जो ग्राम के विकास का, सर्वांगीण विकास का काम सौंपा है, वह कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि राज्य सरकार हमें आगे काम सौंपेगी और राज्य सरकार क्या सौंपेगी, यह असेम्बली सौंपेगी। नहीं तो, जैसा कहा जाता है, और कई माननीय सदस्यों ने सदन में विचार प्रकट किया है कि पंचायतों में इस तरह के काम हो रहे हैं, गडबड़ियां हो रही हैं, गबन हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूं कि जब पंचायत समिति के जिम्मे लाखों रुपये सौंपे जा रहे हैं और अधिकार सौंपे जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में, यदि पंचायत के ऊपर, सरकार का, सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर का नियंत्रण नहीं हो तो कल से वहां अधिकारों का दुरुपयोग और फंड्स का दुरुपयोग होगा, जो उनके पास होंगे। जैसा कि कई जगह पंचायतों में हुआ है, मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार या उसके प्रतिनिधि को पंचायत एक्ट में जो पावर्स दी हैं, उनका दुरु-पयोग कभी नहीं हुआ, ऐसी नजीर नहीं है कि

(श्री सम्पतराज जैन)

गबन किये हुए, गड़बड़ी किये हुए, या पंच या सरपंच को बरखास्त कर दिया हो। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने अधिकारों का उपयोग नहीं किया है। ऐसी हालत में जो अधिकार रखे गये हैं, वे उचित हैं, वर्ना पंचायत समिति को चार पांच लाख के फंड्स अलॉट होंगे, अगर सरकार के प्रतिनिधि का वहां बैठने, प्रवेश करने और हिसाब-किताब को देखने और निरीक्षण करने की शक्ति नहीं रही, अगर कोई गलत प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो उसको रद्द करने की शक्ति नहीं रही, तो ऐसी सूरत में कोई गड़बड़ी नहीं रुक सकती, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं रुक सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकार सौंपे हैं, वे इतने अच्छे अधिकार हैं कि गांवों की उन्नति के लिए कोई अधिकार बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा राज्य सरकार से, राज्य सरकार के प्रतिनिधि से, जो मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं उनसे कि जो अधिकार जनतंत्र के विकास के लिए देने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो सत्ता उनको सौंप रहे हैं; इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस तरह पहले पंचायतों में गबन व गड़बड़ियां हुईं, जो काम उनको सौंपे गये थे, उनमें गड़बड़ी हुई, जो अधिकार दिये गये, उनका दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, उसी तरह यह काम सौंपने के बाद इस विधेयक के अमल में आने के बाद सुस्ती से बैठे र तो निश्चित है कि गड़बड़ घोटाला हो सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सभी पंच और सरपंच, प्रधान आदि अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, यह मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सभी दूध के धोये हुए देवता होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप अधिकार दीजिये, विकास के ही नहीं और अधिकार भी सौंपिये जनता के प्रतिनिधियों को लेकिन कोई भी फंड्स का दुरुपयोग करें, गबन करे, गड़बड़ी करे, तो आप माफ न कीजिये और कोई भी जनता का प्रतिनिधि, सरपंच या पंच कोई भी ऐसा काम करे, उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दीजिये। जनतन्त्र में हर एक तरह के आदमी आते हैं, अगर कोई आदमी गलती कर देगा तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में ऐसे गलत आदमी को जनता नहीं चुनेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करने में सजग रहे और गलत काम करने वाले पंच, सरपंच, प्रधान आदि को माफ न करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलालशर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, आज पंचायत समिति व जिला परिषद् बिल तृतीय वाचन के लिए पेश हुआ है, मैं उसके बारे में कुछ विचार प्रगट करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो उसी रोज हो गया जिस रोज हमारे राजस्थान में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई और विधान सभा की स्थापना हुई, उसी दिन सारी सत्ता जनता में निहित हुई। यह कहना कि जनता में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जारहा है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जनता में तो सत्ता निहित हो गई, तब से ही

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

गई जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ। अब सवाल यह है कि जो संविधान के अनुरूप जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, वे चुने हुए प्रतिनिधि जनता से क्या सहयोग चाहते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है, तो उन साधनों को जुटाने के लिए और सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन किया जा रहा है क्योंकि ग्रामों की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक उन्नति किस प्रकार से हो, उसका ढांचा किस प्रकार से चले और उसमें किस प्रकार का काम चाहते हैं, उनका किस प्रकार हमें सहयोग मिल सकता है, उनका विश्वास मिल सकता है, इसलिए पंचायत समिति या जिला परिषद् का गठन किया जा रहा है। जनता की सत्ता का जहां तक सवाल है, मैंने बताया कि जब से देश में संविधान लागू हुआ, तब से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है। इसलिए विकेन्द्रीकरण कोई नई बात नहीं है। अब जनता को किस ओर ले जाना है, किस ओर जनता जाना चाहती है, यह जानना चाहिए और उसकी सामाजिक, औद्योगिक उन्नति के लिए जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जनता को क्या साधन जुटाने चाहिए और किस प्रकार के साधन जुटाना चाहती है, जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति और जिला परिषदों का गठन किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ और जनता के प्रतिनिधि चुने गये और विधान सभा कायम हुई. विधान सभा के सदस्य, २ लाख जनता के प्रतिनिधि बैठ कर वह बात नहीं सोच सकते, जो हर एक गांव का मसला हर एक गांव में बैठ कर सोचा जा सकता है, इसलिए सोचा कि जिला स्तर पर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर इन बातों का विचार किया जाय, विधान सभा में उन विचारों का आदान प्रदान हो जिससे हमारे प्रदेश और देश का भला हो सके, इसलिए पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण उस समय हुआ जिस समय कि पंचायत एक्ट १६५३ में पास हुआ, उसके द्वारा प्रशासनिक और जुडिशियल पावर पंचायतों को दी, उसके साथ साथ उनकी सामाजिक और औद्योगिक उन्नति के लिए व उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो योजना सम्बन्धी कार्य थे वे उनके द्वारा हो इसलिए अब पंचा- समिति और जिला परिषद् बिल पेश करना पड़ा है। तो पंचायतों में जो गांव के निवासी बैठते हैं और गांव के निवासी बैठ कर हरएक गांव की विचारधारा रखते हैं और हरएक गांव में किस किस बात की आवश्यकता है और किस किस बात की आवश्यता को देख सरकार से साधन लेने की आवश्यकता है और कौन से साधन गांव में जुटा सकते हैं, इसके लिए ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ, ब्लाकवाइज पंचायतों का निर्माण हुआ और जो सरपंच है उस क्षेत्र में चुने हुए, वे पंचायत समिति में जायेंगे और वहां बैठकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और यह बतला सकेंगे कि उस ग्राम पंचायत को किस बात की आवश्यकता है और पंचायत समिति जो बात निर्धारित करे, उसको ग्राम पंचायत में बता सकेगी। इसी प्रकार जिला परिषद् का निर्माण किया है, पंचायत समिति के प्रधान मिल कर जिला परिषद् में विचार कर सकते है कि वहां की क्या आवश्यकता है, और विचार करके आगे चल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे

Page No 87

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

गांवों में राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है लेकिन अब आर्थिक, सामाजिक औद्योगिक विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है उसको अब अपनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद तब से कई बिल हमारे सामने रखे हैं, गांव की उन्नति के लिए, गांवों को ऊंचा उठाने के लिए, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लेकिन मैं यह कहने को तैयार हूँ कि इस बिल के अलावा कोई दूसरा बिल नहीं हो सकता....

(गणपूरक घण्टी के पश्चात्)

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के द्वारा हम ग्रामों की उन्नति के वे साधन जुटाने जा रहे हैं जो ग्राम वासियों के लिये आवश्यक थे। ग्रामों की सत्ता पहले भी ग्रामों में ही निहित थी और अब भी उन्हीं में निहित है। पर जो सत्ता हमें ग्रामवासियों ने दी है उसमें हम उन्हें सहयोग देरहे हैं।

जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि इस बिल के जरिये ग्रामवासियों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

३-३० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं कहता हूं कि ग्रामवासी ही तो हमें चुन कर भेजते हैं और इस तरह ग्राम वासियों के हाथ में सारी सत्ता है, जिन्होंने हमें प्रतिनिधि चुनकर भेजा है उनके सहयोग की आज हमे आवश्यकता है इसलिये यह बिल पास कर रहे हैं। कहा जाता है कि पहले भी पंचायतें थीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले कोई जमाने में पंचायतें होंगी पर उस समय भी सत्ता का केन्द्रीकरण ही था। पंचायतों के हाथ में नाम मात्र के अधिकार दिये हुए थे। हजार वर्ष पहले का इतिहास देखें तो भी विदित होगा कि राजा के हाथ में सारी सत्ता होती थी, राजा के हाथमें कितनी सत्ता होती थी, उतनी पंचायतों के हाथ में नहीं होती थी पर आज इस विधेयक के द्वारा ग्रामों के जीवनस्तर को उठाने की सत्ता ग्रामवासियों को मिलने वाली है, इससे बढ़कर सत्ता और क्या हो सकती है ? विकास के कार्यों के सम्बन्ध में हर व्यक्ति की राय ली जायगी, इसके लिये रखा है कि हर पंचायत साल में दो दफा सब ग्रामवासियों को एकत्रित करे और उनको अपने यहां विकास सम्बन्धी कार्यों से परिचित कराये, तो इस तरह गांव के हर व्यक्ति की राय जानने के लिये इसमें प्रावधान रखा गया है। इस पर भी कह देना कि इसमें कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इससे ज्यादा क्या अधिकार हो सकते हैं ?

यह कहा गया कि पुलिस और पटवारियों को इस बिल में पंचायत समितियों के अधिकार में नहीं दिया गया है। यह निवेदन

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करना चाहता हूं कि पटवारियों और पुलिस पर शासन करने वाली जो सरकार है वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनी सरकार है जो इन पर शासन कर रही है, ऐसी सूरत में यह कहना कि पटवारी राजा है, यह नितांत गलत है। जहाँ तक पटवारियों का सवाल है, ग्रामोन्नति का सवाल है, अगर पटवारी ने जमीन के इन्द्राज में गलत एन्ट्री कर दी है तो टिनेन्सी एक्ट में अपील के अधिकार हैं कि पटवारी से स्लिप लेनी चाहिये, अगर वह स्लिप नहीं देता है तो एप्लीकेशन देकर शिकायत कर सकता है स्लिप की डिमाण्ड कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन पर अपील सुनी जा सकती है। तो यह कह देना, पटवारी को जो अधिकार हैं वे पंचायत समिति को नहीं हैं, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ आज तक किसी भी प्रदेश ने इतने अधिकार नहीं दिये हैं जितने कि राजस्थान में दिये जा रहे हैं। तब हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि देश की उन्नति में साधक बनें। हमारा विधान सभा में बैठने वाले का कर्त्तव्य है कि यह विधान सभा में बिल पास कर रहे हैं, कल यह एक्ट बनेगा, हम इसे गांव गांव में जाकर समझायें और लोगों में इसके लिये जोश पैदा करें तभी कामयाबी हो सकती है, केवल आलोचना करते रहे तो कामयाबी नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के जरिये जो सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिये अधिकार दिये हैं उतने अधिकार देश की किसी अन्य सरकार ने नहीं दिये हैं, इसलिये इस बिल को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गज्जाजी ! बोलेंगे ?

(मौन)

Yes Shri Ram Chandra

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक पर वादविवाद का यह तीसरा दोहरान है। इस पर हमें कोई नई विवेचना नहीं करनी है बल्कि इस तीसरे दोहरान में केवल आपके द्वारा सरकार के सम्मुख यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी भूल-चूक रह गई हो तो यह समय ऐसा है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल किस उद्देश्य से लाया गया है, इसका विवेचन इस समय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही मान कर चल रहा हूं कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हमारे राज्य में, समाज में जिस बात की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के वास्ते यह प्रयत्न किया गया है। हमने अंग्रेजों से केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, हमारी स्वतन्त्रता में, जिसको वास्तविक स्वतन्त्रता कहें वह है राजनैतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता। आर्थिक स्वतन्त्रता में विघ्न डालने वाली राजनैतिक स्वतन्त्रता थी, वह हमने अंग्रेजों से प्राप्त कर ली। इसके बाद हमने अपने घर को देखा तो पता चला कि आम लोग बड़ी मुसीबत की हालत में हैं, समाज की व्यवस्था बड़ी दीन हीन और जर्जर अवस्था में है, समाज की हालत बड़ी खराब है। इसको उठाने के लिये राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में विकास खण्ड खोले गये और पहले से चली आ रही प्रणाली के अनुसार सरकारी अफसरों से कार्य करवाया गया, विकास खण्डों के संचालन का काम राज्य के कर्मचारियों को दिया गया। पर उन राज्य के कर्मचारियों ने जैसी कि मैन्टेलिटी बनी हुई है, गांवों में इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि अमुक गाँव या अमुक क्षेत्र में

(श्री रामचन्द्र)

हमें किस प्रकार का विकास करना चाहिए। स्कूलें खोलना, कुंए खुदवाना, आयुर्वेदिक औषधालय खोलना, इस प्रोग्राम की खानापूर्ति के लिये अपना काम प्रत्येक क्षेत्र में शुरू कर दिया। इस बात की उन्होंने किंचित्मात्र भी परवाह नहीं की कि किस क्षेत्र में कुएं ज्यादा खुदवाने चाहिये और किस क्षेत्र में तालाबों के पानी से काम लेना चाहिये और किस जगह पाठशालाएं पहले खोलना चाहिये और किस जगह बाद में। और इस सब का नतीजा यह हुआ कि विकास खण्डों से जो हमें आशा थी वह पूरी नहीं हुई। इससे सरकार ने अनुभव किया कि यह कार्य जनता को सौंपना चाहिये और सोचा गया कि यह जनता पर थोपें इससे पहले जनता के प्रतिनिधियों से पूछें कि आप क्या चहते हैं। और फिर जनता को यह काम सौंपा जाय। इसी भावना से यह बिल बनाया गया है। यह विकेन्द्रीकरण जनतान्त्रिक सत्ता का नहीं, अपितु विकास खण्डों का विकेन्द्रीकरण है। जो ऊपर से विकास के काम थोंपे जा रहे थे वह जनता द्वारा किये जा रहे हैं। इसमें जनता को पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। इसी को पूरा करने के लिए यह विधेयक रखा गया है। तो जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक को सदन में रखने में, और अपने विचार प्रगट कर इसे पास कराने में सरकार की ओर से पूरी तरह नेकनीयती से काम किया गया है, इसमें शक करने की गुंजायश नहीं है कि वास्तव में सरकार कोरा नाम ही करना चाहती है, विकेन्द्रीकरण करना नहीं चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विकेन्द्रीकरण हमारे राजस्थान की परम्परा की प्रणाली नहीं है, हमारी परम्परा की प्रणाली तो एक तन्त्र का शासन रही है, राजा महाराजाओं का शासन रहा है, उनके हुक्म में सब कुछ रहा है। आज उनका हुक्म राजा महाराजाओं और उनके समान और कोई कर्मचारी नहीं रहे जिनके हुक्म कानून बन जावे। आज सब कुछ प्रणालीबद्ध है। इसलिए विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। वास्तव में इस रूप में नहीं बल्कि विकास का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। इसलिए यहां पर जो क्लॉजेज रखे हैं वे बहुत सोच समझ कर रखे गये हैं। सरकार ने दिल खोल कर प्रजा को अधिकार दिये हैं। लेकिन जहां पर सरकार को खटका होगा कि यह नया तरीका है, कहीं ऐसा न हो कि पब्लिक कोई गलती न कर जावे इसलिये उसने जगह जगह कुछ एसे बन्धन रख दिये हैं जो समय समय पर उनकी जांच करते रहें।

इसके सिवाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक की जो शक्ल है वह हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। क्योंकि पब्लिक को धीरे धीरे अनुभव होता जावेगा और वह अधिक बुद्धिमानी से काम करती रहेगी और आज बहुत से क्लाजेज जिन पर बहुत ऐतराज होते हैं वे ढीले कर दिये जावेंगे। इसलिए यह जो विधेयक रखा गया है बहुत ही उपयुक्त है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार के प्रोविजन इसमें रखने चाहिये, रखे गये हैं। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ कमियां नजर आ रही हैं, यह नहीं कि मैं कुछ अपने लिये कहना चाहता हूं, वास्तव में कमी नजर आ रही है उन पर माननीय मंत्री महोदय, और सोचें और समझें। आप शेड्यूल को देख लें शुरू से आखिर तक, सामाजिक कमी को दूर करने के बजाय आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना जरूरी है। एक

(श्री रामचन्द्र)

आदमी शराब पीता है, अगर आप उसको बहुत मालदार बनाना चाहें तो भी नहीं बन सकते। आप उसको कितना ही रुपया दें वह तो शराब में उड़ा देता है। वह शराब पीकर बुरे फैलों में उसको खर्च कर देगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक विकास की अपेक्षा सामाजिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिये। इसलिए यह कमी है कि आपने स्टेन्डिंग कमेटी के लिए प्रावधान किया है मगर सोशियल वेलफेअर नाम की कमेटी का कोई कहीं भी जिक्र नहीं है। इस वक्त समाज में जो रवैया रीति रिवाज का है वह हमारे समाज की हड्डी को चूस रहा है। बहुत सी रीतियां हैं जैसे नुकते, बालविवाह आदि जो हमारे समाज को जो गिरता जा रहा है, और भी निर्धन बना रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेलफेअर के नाम से सारी बातें आ सकती हैं और उसमें सभी का पूरी तरह से जिक्र आ सकता है।

इसके साथ साथ मेरे एक साथी ने कहा कि सामाजिक समता लाने के लिए अस्पृश्यता को हटाना चाहिये और उसके लिए उन लोगों को स्थान मिलाना चाहिये जो हरिजन हैं। यह तो अन्डरस्टुड है मगर यह लिखेपढ़े लोगों के लिए है। हम देखेंगे कि पंचायतें होंगी उनमें अगर कोई अछूत सदस्य होगा तो फौरन उसके लिए एतराज होगा और यह कहा जावेगा कि इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कोई शराबी हो तो नहीं आ सकता। इसलिये इसकी भी खुले शब्दों में व्याख्या कर दी गई होती तो ज्यादा अच्छा होता।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले भाषणों के समय भी कहा था कि पंचायत के सदस्य को निर्वाचन के लिए खुले आम सरकार ने छूट दे दी है। मैं आप कहें तो कहूं वरना नहीं (माननीय राजस्व मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : कहिये

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत एक्ट १६५३ में बना और जब बना तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि अगर कोई पंच या सरपंच या और कोई अस्पृश्यता कानून के द्वारा सजायाफ्ता हो तो वह चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भारत सरकार के संविधान के अनुसार अस्पृश्यता को दोष मान लिया गया है तो जब यह कानून १६५५ में पास कर दिया तो राजस्थान सरकार ने यह मुनासिब समझा कि गांवों में इसको हटाने के लिए कदम उठाना चाहिए और इसी बात को लेकर पंचायत एक्ट में संशोधन लाये थे कि अगर ग्राम पंचायतों में पंच या सरपंच अस्पृश्यता का सजायाफ्ता है तो चुनावों में नहीं लड़ सकता। लेकिन अब जब इस पंचायत कानून को दूसरा रूप दिया जा रहा है तो आपने इसको ढीला कर दिया है। आपने इसमें यह लिख दिया है कि ६ वर्ष या इससे ज्यादा, सरकार चाहे तो चुनाव लड़ने के लिए आज्ञा दे सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह छूट देखने में बहुत साधारण है लेकिन हरिजन के लिए बहुत अहितकर होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप और संशोधन नहीं कर सकते हैं तो कम से अरलीयर शब्द को तो हटा दें तो भी हमारी बहुत सी कमी ठीक हो जावेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमी मैंने बताई, वास्तव में

(श्री रामचन्द्र)

महसूस करता हूं । इसके अलावा यह जो विधेयक वर्तमान विकेन्द्रीकरण करने के लिए है इसमें जिन जिन बातों की आवश्यकता है उन सब का प्रावधान इसमें रखा गया है । बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की थर्ड रीडिंग के अवसर पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं ! हमारे देश में यद्यपि एक बहुत बड़ी योजना चल कर पूरी हो गई और दूसरी योजना आरम्भ हो गई है किन्तु करोडों और अरबों रुपयों का व्यय करने के बाद भी जिस प्रकार का टेम्पो क्रीएट जनता में करना चाहिए नहीं कर सके हैं और लोगों को जितनी सुविधा देनी चाहिए नहीं दे पाये और हमारी योजना में, पीपल्स प्लान में पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली । इसका खास कारण यही था कि हिन्दुस्तान की ग्रामीण जनता में उत्साह की भावना नहीं थी जिसको पैदा करना बहुत जरूरी था सो हम नहीं कर पाये । मतलब यह है कि हम साधारण जनता को हमारे प्लान में एसोसियेट नहीं कर सके । इस कमी को महसूस करते हुए हमने इन सब की जांच करने के लिए बलवंतराय मेहता समिति बनाई । जिसके आधार पर हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों ने विकेन्द्रीकरण की योजना अपनाई है । उस रिपोर्ट के पीछे भावना थी वह यह थी कि हमारे यहां ब्लॉक डेवलपमेंट स्टेज पर योजना बनाई जाये और हमारे देश वासी यह महसूस कर सकें कि यह सारी योजना हमारे कल्याण के लिए बनाई गई है ! और हमारे लिये ही कार्यान्वित की जा रही है इस भावना को जनरेट करने जा रहे हैं । यह बिल जो राजस्थान के लिये बनाया जा रहा है वह इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही बनाया जा रहा है, जिस उद्देश्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं वह उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाने में सहायक होगा ।

इस बिल का द्वितीय वाचन समाप्त कर चुके हैं । इस बिल के जो सेलियेन्ट फीचर्स हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । सबसे योग्य बात है वह यह है कि ब्लॉक लेवल पर जहां ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी थी, वह कमेटी सलाह देने के लिये थी, जो भी वह सलाह देती, जो वह निर्णय बोडीज़ लेती थी उनको एक्जीक्युट करने के लिये ब्लॉक में काम करने वाले बी. डी. ओ औरकर्मचारी किसी भी प्रकार से पाबन्द नहीं थे । अब इस बिल के द्वारा उसके बजाय एक स्टेट्यूटरी बोडी कायम करने जा रहे है जिसके अन्तर्गत ब्लॉक की सारी मशीनरी होगी, जो विकास अधिकारी होगा वह अब से इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव ऑफ दी पिपुल के अन्तर्गत रहेगा । यह एक अपने आप में बड़ा कदम है । और इस कदम को उठाने से काफी परिवर्तित स्थिति हमें दिखाई देगी जो कि आज तक संकुचित दायरे में ही रह जाती थी । ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी की भी यह स्थिति थी कि विकास के कार्यों के सम्बन्ध में अथवा छोटी से छोटी योजना के सम्बन्ध में, यहां तक श्रमदान आदि के बारे में कोई राय अपनी रखती तो विकास अधिकारी उसको चाहता तो कार्यान्वित करता नहीं तो उसके खिलाफ भी जा सकता था लेकिन इन समितियों के गठन के बाद इस प्रकार की संभावनायें कम हो जावेंगी और न केवल विकास अधिकारी ही इन समितियों के अन्तर्गत रहेगा किन्तु जो ब्लॉक की सारी मशीनरी है वह भी उनके अन्तर्गत होगी, जनता की राय का यहां महत्व होगा और वे सब उनके सीधे नियन्त्रण में

(श्री रामचन्द्र)

रहेंगे, उनके नियन्त्रण में रहते हुए विकास के कार्यों को उनकी सलाह पर पूरा करना होगा।

दूसरा विकेन्द्रीकरण का फीचर हो सकता है वह यह हो सकता है कि विकेन्द्रीकरण करते समय स्मालर युनिट्स को सत्ता दी जा रही है वह आर्थिक तौर पर स्वावलम्बन की दृष्टि से ठीक है या नहीं अथवा केवल कागजी सत्ता देकर केवल सरकार का मुंह ताकने के लिये ही रख दिया गया है। यदि देखें तो विदित होगा कि बहुत सिस्कल ऑथोरिटी पंचायत समितियों को दी है और आर्थिक स्वावलम्बन के लिये उनकी आमदनी के लिये उनको टेक्सेशन के डिस्क्रिशनरी पॉवर्स दिये हैं कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे लगाने चाहें तो लगावें, अपनी परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता अनुभव करते हैं तो लगावें नहीं लगाना चाहें तो नही, वे जैसा मुनासिब समझें टेक्स लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनको सरकार की ओर से पर केपिटा ग्रान्ट दी जा रही है २५ नये पैसे के हिसाब से। यह राजस्व का भाग अभी उनको मिलेगा और आगे जाकर राज्य सरकार उसको बढ़ा भी सकती है। स्कूल वगैरह के लिए राज्य कोष से धनराशि मिलेगी। तकावी के लिए भी मिलेगा। जो ब्लॉक स्तर पर पर सहायता बांटी जावेगी वे उनकी आमदनी के साधन होंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि ये संस्थायें एक स्वावलम्बी संस्थायें होंगी, उनकी आमदनी हो और वे ठीक प्रकार से अपना काम चला सकें उसके लिए प्रयत्न किया गया है, वे उसकी अच्छी शुरुआत तो कर सकेंगी ही इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और यह भी रखा है कि यदि उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो राज्य सरकार के द्वारा उनकी पर केपिटा ग्रान्ट को इन्क्रीज किया जा सकता है। इस बिल के द्वारा ये संस्थायें आर्थिक दृष्टि से वे स्वावलम्बी बनें इसके लिये प्रयत्न किया गया है।

तीसरा फीचर जो इस बिल का है वह यह है कि इस बिल में इस बात की कोशिश की गई है कि ग्राम पंचायतें जो शासन की सबसे छोटी से छोटी एजेन्सी हैं उनमें और ब्लॉक में सामन्जस्य बिठाने के लिए सफल कोशिश की बने गई है। ग्राम पंचायतों के पंच पंचायत समितियों में आवेंगे, वहां पर मेजोरिटी सरपंचों की ही होगी। इससे यह बात बिलकुल मान कर चल रहे हैं कि पंचायतों का दृष्टिकोण पूरा पूरा समितियों में आवेगा। उनकी जो डिफिकल्टी है, उनकी जो कोई समस्या है, किस स्कीम के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है वह सही तौर पर वहां उनके ध्यान में लाया जा सकता है। दूसरे सरपंच सदस्यों के रूप में होंगे, वे अपने यहां की योजनाओं के बारे में पूरी तरह से बता सकेंगे, उनको पूरा करने की वे जिम्मेदारी भी ले सकेंगे कि वे फलां फलां योजना को एक्जीक्युट कर देंगे। पंचायत समितियों का गठन इसी प्रकार का रखा गया है। पंचायत समितियों द्वारा जो योजनाएं एक्जीकूट की जावेंगी वे लोग जिम्मेदारी के साथ बता सकेंगे, वे काम को अन्डर टेक कर सकते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के अन्दर जाकर उनको खुद ही कार्यान्वित करा सकते हैं। कोआर्डिनेशन की दृष्टि से एक यह एजेन्सी बनाई है और ग्राम पंचायतों के जरिये हिन्दुस्तान की काया पलट कर देना है, देहाती

(श्री रामचन्द्र)

भारत को मूर्तरूप देना है और उनको ब्लॉक स्तर पर पूरा सकें और इस प्रकार से एक लायजो विठाया गया है।

जिला परिषद् के रोल के बारे में माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये कि यह इफेक्टिव बोडी होगी या सुपरफ्लुअस तो नहीं होगी ? इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सबसे बड़े और बहुत प्रगतिशाली जनतान्त्रिक देशों में उनके रिवाइजिंग अप्पर चेम्बर होता है जो कि प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर अपनी बुद्धिमत्ता से तरीके पर सुझाव देता है, यह हाउस ऑफ एल्डर्स की तरह से होता है। इंगलैंड में हाउस ऑफ कामन्स है तो अप्पर चेम्बर की दृष्टि से हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हिन्दुस्तान में भी लोकसभा और उसके बाद राज्य सभा है। इस तरह से एल्डर्स की तरह जिला परिषद् काम करेगी। इसको सुपरवाइजरी पॉवर्स दिये हुए हैं, वैसे स्टेट्यूट पॉवर्स नहीं दिये हैं। जो पॉवर्स दी हुई हैं उनको ठीक प्रकार से काम में ली जाय, यह देखेंगी वे। इसमें एक्सपीरियेन्स्ड पर्सन्स होंगे, काम के करने वाले पर्सन्स होंगे, तहसील या ब्लाक के विषय के कार्यों में संशोधन करने के अख्तियारात इसको दिये जा रहे हैं और इस दृष्टि से जिला परिषद् एक उपयोगी संस्था बन सकती है। इसमें पार्लियामेंट और विधान सभा के मेम्बर्स होंगे, पंचायत समिति के प्रधान होंगे, यह एक हाईपॉवर्ड कमेटी होगी, उसके द्वारा जो स्वीकृत प्रस्ताव होंगे वे आसानी से ब्लाक लेवल पर कार्यान्वित किये जा सकेंगे। पंचायत के प्रधान वहां होंगे, उनकी राय से फैसले होंगे ऐसी सूरत में सोचता हूँ कि यह एक इफेक्टिव बोडी हो जावेगी और उसके साथ साथ डेलिबरेटिव हाईपॉवर्ड बोडी हो जावेगी। जो रोल इसका इसमें डिजाइड किया गया है उसके अनुसार यह बोडी संतोषजनक ढंग से अपने कार्य को डिस्चार्ज कर सकेगी।

अधिक स्वागत करने योग्य जिस चीज को मैं समझता हूं वह यह है।

४ म० प०

एक ओर जहां हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों में गठन प्रजातन्त्रीय प्रणाली के आधार पर किया है और उसमें जन प्रतिनिधियों को लिया। और दूसरी ओर जन प्रतिनिधियों के चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली अपनायी है वह भी बहुत अच्छी है। इसके कारण बहुत हद तक समय की और पैसे की बचत कर सके हैं। सरकार का भी चुनाव में काफी पैसा खर्च होता और इसके साथ साथ पार्टी बाजी भी बहुत बढ़ती, झगड़े बढ़ते, जेलेसी क्रिएट होती इससे बच जायेंगे।

डायरेक्ट इलेक्शन वैसे ही असेम्बली के हैं। पार्लियामेन्ट के होते हैं, अगर पंचायत समिति और जिला परिषदों के भी इलेक्शन इसी प्रकार करते तो इसका नतीजा यह होता, बहुत ज्यादा पैसा और समय बरबाद होता और इस तरह से यह चुनाव एक प्रकार से जनता के लिये अभिशाप बन जाते। और इसका नतीजा यह होता कि जनतन्त्र से एक प्रकार से लोग ऊब जाते। यह बहुत अच्छा प्रावधान रखा है कि जिला परिषद् और पंचायत समितियों के गठन में जिस डायरेक्ट इलेक्शन को प्रणाली का प्रावधान किया है उससे एक ओर तो डेमोक्रेसी के सिद्धांत की रक्षा गई है और दूसरी ओर जनता

(श्री रामचन्द्र)

को पैसे से, झगड़े बाजी से भी बचाया है। इससे ज्यादा अच्छा लोकतान्त्रिक गठन और हो नहीं सकता।

इसके अलावा दूसरी जो स्वागत योग्य बात है वह है सरविसेज के सम्बन्ध में। किसी भी संस्था का सफलतापूर्वक कार्य करना उसकी सरविसेज पर निर्भर करता है। जिला परिषद् और पंचायत समिति की जो सरविसेज होंगी उसके लिये रिक्रूटमेन्ट का सेपरेट तरीका निकाला है, उसमें पोपूलर एलीमेन्टस को एसोसियेट किया गया है, वे उसमें बैठेंगे, जिला परिषद् का प्रधान और पंचायत समिति के सरपंच उसमें रहेंगे, इस तरह से पोपूलर एलीमेन्ट को एसोसियेट किया है। इसी प्रकार से बी० डी० ओ० के ट्रान्सफर और उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल भी पंचायत समिति के सुपुर्द कर दिया। जो सरविसेज पर कन्ट्रोल होना चाहिये वे अधिकार इसमें देने की कोशिश की है जो बहुत स्वागत योग्य है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : I hope you wind up now.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। ऐसे कार्य संयुक्त प्रयत्नों से सफल हुआ करते हैं। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमें राजस्थान में शीघ्रातिशीघ्र नया बिल लाकर, पंचायत एक्ट में संशोधन लाकर हमें पंचायतों का गठन करना चाहिये। इसके अलावा नयी पंचायतों का जो गठन हो उसमें पंचायतों का पूरा शासन हो जैसा कि हिन्दुस्तान के विधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी है उसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। यथाशीघ्र रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि इसका मेक्जीमम बेनीफिट्स हम उठा सकें। जहां तक इसमें सरकार का ताल्लुक है, इस बिल का ताल्लुक है, अपनी तरफ से सरकार ने इस प्रकार का दायित्व सही रूप से निभाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि इस नये परीक्षण से जो हम राजस्थान में करने जा रहे हैं, हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। और हम आगे यह कल्पना कर सकते हैं यदि इसमें सफलता प्राप्त हो गई तो धीरे धीरे हम सम्पूर्ण अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर देंगे और एक दिन वह आ जाना चाहिए पुलिस आदि के अधिकार भी हम उनको सौंप सकते हैं। जिस प्रकार इंगलेन्ड में काउन्टी कौन्सिल्स शासन चला सकती है उसी प्रकार का शासन हम जिसमें सबस्टेन्शियल ऑथोरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो वह हम हिन्दुस्तान और राजस्थान में कायम कर सकें यही मैं कामना करता हूं।

श्री परसराम (आसीन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : You will conclude at about 4.15 after which the Chief Minister will reply.

श्री परसराम : मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं कि विकेन्द्रित लोकतन्त्र की जो विचारधारा देश में चल रही थी उसमें पहल राजस्थान ने की है। विकेन्द्रित लोकतन्त्र की पहल जो राजस्थान ने की है उसका आधार यह है कि इसका असर गांव गांव की छोटी इकाई तक पहुंचे। इसी लक्ष्य को सामने

Page No 95

(श्री परसराम)

रखकर यह बिल सदन में आया है जो कि आज आखिरी स्टेज पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में समाजवादी समाज की रचना का दायित्व हमने उठाया उसमें समाजवादी समाज की रचना लोकतन्त्रीय पद्धति से करने का लक्ष्य था। समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक विकास का कार्यक्रम बनाना जरूरी था और इसी के अनुसार इस देश में पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना बीत गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना का चौथा साल समाप्त हो रहा है। इस तरह से इन सात आठ सालों में जो कोम्युनिटी डेवलपमेंट का काम या प्रोग्राम देश में चला उसकी वजह से गांवों में विकास का काम हुआ इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से और जितनी उम्मीद की जाती थी, जितना ग्राम के लोग खुद अपने काम को करने के लिए इनीसियेटिव प्राप्त कर सकेंगे वह चीज हासिल नहीं हो सकी। और जन सहयोग उपलब्ध करने की उम्मीद पूरी नहीं हुई। जब यह विचारधारा देश में फैली कि र हट। दक कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाय कॉम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टरी को खत्म कर दिया जाय उस समय संकटकालीन स्थिति में देश में बलवन्तराय मेहता टीम सामने आयी और उसने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन डेमोक्रेसी का करना है। उसको करने के लिए छोटे छोटे गांव की इकाई की योजना बनायी। उसने जो डिसीजन्स या निर्णय दिए उसके अनुसार स्थानीय जरूरतें और जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की योजना होनी चाहिए, उनका यह कहना था कि ऊपर से थोपी हुई योजना कामयाब नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य के फलस्वरूप मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने इस विकेन्द्रीकरण के अनुरूप क्रान्तिकारी कदम उठाया है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसमें २ अक्टूबर से २३२ पंचायत समितियां और २६ जिला परिषदों की स्थापना होने जा रही है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायतें तो पहले ही से कार्य कर रही हैं। जिला स्तर से लेकर और ग्राम स्तर तक विकास के जो काम हैं उसी को गति देने के लिए डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं। अभी झुंझनू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में एतराज उठाया था। इसमें बंटवारा जो है वह काम का बंटवारा देखते हैं, यह जो शिड्यूल है पंचायत समिति के फंक्शन्स के लिए दिया है उसमें काम का बंटवारा है। उपाध्यक्ष महोदय, बिल के पीछे जो शिड्यूल है यह शिड्यूल एक मिरर है यह एक तरह से बिल का इन्डेक्स है। क्या क्या हमने हस्तान्तरित की है इसके पीछे जो पंचायत समिति के फंक्शन्स दिए हैं उसके अनुसार ग्राम पंचायतों को जो एक्जीक्यूटिव एजेन्सी रहेगी वह इनडायरेक्टली उसके फंक्शन्स आदि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किए हुए दिखाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक प्लानिंग में काम का ही बंटवारा होगा। यह जो पॉलिसी राज की है, जो यह कन्सेप्शन है जिसमें पुलिस हाथ में रहे और सत्ता हाथ में रहे, वह चीज तो होने वाली है नहीं। वह तो केन्द्रीय सत्ता के ही हाथ में रहेगी। विकेन्द्रीकरण में और लोकतन्त्र में तो विकास का जो कार्यक्रम है यह मुख्य समस्या है और प्रथम समस्या है देश के

(श्री परसराम)

सामने कि देश के करोड़ों लोगों का जन-जीवन कैसे उठाया जावे और उसको उठाने के कार्यक्रम में जन जीवन का सहयोग किस तरह से लिया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह जो विकास का कार्य का बंटवारा है वही वेलफेयर स्टेट में वास्तव में सत्ता का बंटवारा है जिसके फलस्वरूप देश के आदमियों का लौट बैटर-मेन्ट की तरफ जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बलवन्तराय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश की है राजस्थान की सरकार उससे आगे गई है। मेहता कमेटी ने तो सरकारी अधिकारियों को इन पंचायत समिति और जिला परिषद् के चेयरमैन की बात कही है पर राजस्थान सरकार ने जन प्रतिनिधियों में विश्वास और आस्था रक्खी है और निश्चयात्मक रूप से इस बात का यह द्योतक है कि वे भरोसा करते हैं कि विकास के काम में जनता के प्रतिनिधि ज्यादा सही तरीके से और दत्तचित्त से चल सकेंगे।

जहां तक जिलापरिषद् का प्रश्न है, मेहता कमेटी ने कलक्टर को रखने की कोशिश की थी पर राजस्थान सरकार उससे भी आगे गई। उसने वहां भी जन प्रतिनिधि को उसमें प्रधान पद पर आसीन किया है।

इन सब बातों को देखते हुए प्रतीत होता है कि वास्तव में राजस्थान सरकार का कदम लोकतंत्र की तरफ ले जाने वाला है और उस विचारधारा को अमली जामा पहनाने वाला है जिसको कार्यान्वित करने में दूसरे राज्य हिचक रहे थे। इसके फलस्वरूप सच्चा लोकतन्त्र गांवों में पनपेगा। गांधीजी की भी यही इच्छा थी। उनका यह कहना था कि वास्तव में सही लोकतन्त्र शहरों में, पार्लियामेंट में या असेम्बली में नहीं है। गांधीजी ने लिखा था उस समय। हमारे स्वराज्य में भारतीय लोकतन्त्र की ग्राम ही आधारभूत इकाई होगी और जब भी यहां रिपब्लिक स्थापित करना हम चाहेंगे तो गांव की इस आधारभूत स्थिति को रोक नहीं सकेंगे और इसका संचालन तो नीचे से प्रत्येक गांव की जनता के द्वारा ही करना होगा और यह जो महात्मा गांधी का सपना था उस सपने को आज राजस्थान सरकार पूरा करने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देश अस्सी फीसदी गांवों में बसता है और वास्तव में लोकतन्त्र की कसौटी भी यही है कि वहां तक वास्तव में जनता को लाभ मिले। इन सब बातों की पृष्ठभूमि में अगर इस बिल को देखा जावेगा तो यह काफी प्रोग्रेसिव मालूम होगा। इससे राजस्थान के करोड़ों लोगों के जन जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आनेवाला है। आज ७० फीसदी लोगोंकी आंखें इसके सफल परीक्षण की तरफ लगी हुई हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब इसमें जो थोड़ी बहुत खामियां थीं वे मंत्री महोदय ने अमेन्डमेन्ट्स के रूप में स्वीकार करके दूर कर दी हैं। इसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि वास्तव में यह लोकतन्त्र की तरफ एक दृढ़ कदम है और यह जो लोकतन्त्र की तरफ हमारा दृढ़ कदम है वह इस बात का भी इशारा करने वाला है कि वास्तव मे ग्राम के हित, ग्राम के अन्दर लोक-तन्त्र के विकास और पंचायत को सही माने

(श्री परसराम)

में इनीशियेटिव लेकर काम करने का जो इरादा है उसको बल मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble the Chief Minister will make reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के लिए काफी समय देकर रात में देर तक बैठ कर भी इस बिल को पारित करने में सहयोग दिया है और काफी विचार-विनिमय में भी इसमें योग दिया है।

यह विधेयक अपने प्रकार का एक महत्व-पूर्ण, राजस्थान को एक दिशा में ले जाने वाला विधेयक है। इस पर वादविवाद होना, विचारों में मतभेद होना भी एक स्वाभाविक बात है क्योंकि इसके लिए कोई हम एक आधार कहीं का ले लेते, ऐसी बात नहीं थी। और हमने कोशिश भी यह की है कि हम जो आज के हालात हैं जो आगे काम करना चाहते हैं उन सब बातों को लक्ष्य में रखते हुए इसको यहां पर लावें। इसलिए बलवन्त-राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट जहां इसका आधार है वहां कुछ बातें इसमें बड़ी भी हैं जो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाहर की हैं। जैसे हमने सारे राजस्थान के एक शेडो ब्लॉक्स को भी साथ लिया और सभी जगह इस कार्यक्रम को चालू करने का फैसला किया। चेयरमैन के मामले में भी हमने परि-वर्तन किया और छोटी मोटी बातें भी इसके अन्दर हैं।

आज भी चर्चा होने लगी तब एक माननीय सदस्य ने विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जब हम करना चाहते हैं तो हमें पुलिस का, पट-वारी का और दूसरी चीजों का, भी विकेन्द्री-करण कर देना चाहिए, वर्ना यह विकेन्द्री-करण नहीं है। साथ साथ यह भी कहा कि शासनविहीन समाज की रचना की जानी चाहिये। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शासनविहीन समाज की कल्पना किसी एक जमाने में की जा सकती थी। लेकिन आज के इस युग के अन्दर, विज्ञान के युग के अन्दर इस बात की कल्पना करना कि शासन का तन्त्र आवश्यक ही नहीं है, शासनविहीन समाज हम बनावें और समाजवादी व्यवस्था भी हमारे देश में आवे, मैं समझता हूं कि यह सम्भव बात नहीं है।

बहुतसी चीजें ऐसी हैं कि जिनका विकेन्द्रीकरण ग्राम के स्तर पर हो सकता है, उसका कार्यक्रम हो सकता है, संचालन हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिनका जिला के स्तर पर कार्यक्रम बन सकता है और संचालन हो सकता है, और कुछ राज्य के स्तर पर हैं, और कुछ बातें तो राष्ट्र के स्तर पर ही करनी होंगी। हम तो यह भी फैसला नहीं कर सकते आज तो कि विकेन्द्रीकरण की व्याख्या में यह सोचें कि फौज की आवश्यकता नहीं होगी, डिफेन्स, रेलवेज और इसके बाद में आज जो बड़ी बड़ी साइन्टिफिक चीजें निकली हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। सारा विकेन्द्रीकरण जिसे हम कहते हैं कि किसी शासन की आवश्यकता नहीं ऐसी अगर स्थिति पैदा हो तो मैं समझता हूं कि न देश में स्टील के आज बड़े बड़े प्लान्ट खड़े हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकते हैं, न दूसरी चीजें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, न भाखरा नागल बाँध जैसी चीजें हो सकती हैं। तो हमें बहुत सी चीजों को गहराई से देखना है। कितना हम कर सकते हैं, कितना नहीं, पूरे सोर्सेज भी टैक्सेशन आदि के जरिये समाज व्यवस्था के बनाने का हमारे सामने फिर प्रश्न है। वह भी बहुत ही बड़ा है जिसको केन्द्रीय आधार पर और राज्य के आधार पर हमें देखना, सोचना होगा। क्योंकि समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम एक प्लान्ड इकानामी में चलते हैं तो प्लान्ड इकानामी खुद में यह सोचती है कि एक स्थान पर बैठकर सारे राष्ट्र के लिए सोच विचार होना चाहिए और उस आधार पर हमें चलना चाहिए। तो मैंने आप से निवेदन किया कि जहां यह उचित है कि बहुत से काम काज जो एक गांव से सम्बन्धित हैं, एक इलाके से सम्बन्धित हैं उन प्रश्नों को हम जितनी धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रित कर सकें, करना चाहिए और उसी दिशा में यह एक निश्चित कदम है। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इन चीजों पर चर्चा करें कि क्या अधिकार और हां और क्या नहीं उससे ज्यादा आवश्यकता यह है कि हम इस पर सोचें कि जो विकेन्द्रित किया जा रहा है वह अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार से सफल हो। अधिकारों के साथ साथ कर्त्तव्यों की तरफ भी हमारा ध्यान जाये। अगर कर्त्तव्यों की तरफ आज पंचायत समितियों का और हम सब का ध्यान नहीं जाकर केवल एक ही दिशा अधिकार वाली हमारे समक्ष रहती है तो हमारे सामने कई प्रकार के खतरे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि उसका मतलब यह होता है कि चाहे राजनैतिक दृष्टि से हो या किसी और दृष्टि से जो हम एक बेस बनाना चाहते हैं कि उनमें कर्तव्य की भावना जाग्रत हो वह कमजोर हो जाती है। अगर हम कहें कि यह और होना चाहिए और यह कमी रह गई अगर ऐसी बातों को करते रहते हैं तो जो हमें करना है वह हम भूल जाते हैं और दूसरी बातों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। इसलिए जो भी माननीय सदस्य यहां पर हैं मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सभी तरफ से स्वागत किया गया है। वह एक शुभ बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी आशा करके चलता हूं कि इस विधेयक को सफल बनाने के लिए, इस योजना को सफल बनाने के अन्दर प्रत्येक माननीय सदस्य इस सदन के बाहर भी जहां भी अवसर आये, इस सदन में जब भी कभी इसके सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर आये, हम ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें एक तरफ जिन पंचायतों के प्रतिनिधियों का और दूसरे यह जो संस्थायें निर्माण होने वाली हैं और उनको इस सारे काम को पूरा करना है उनमें आत्म विश्वास पैदा हो और इनीशियेटिव पैदा हो उसके साथ साथ जो भी सरकारी सर्विसेज के लोग उनमें काम करते हैं उनमें भी यह भावना पैदा हो कि राजस्थान का विकेन्द्रीकरण ऐसा हो कि जिसके अन्दर इस योजना को सफल करने के लिए उनको अमुक तरीके से काम करना ही होगा। क्योंकि यह हम मानकर चलें कि जितने बड़े व्यापक रूप से इस योजना को लागू कर रहे हैं उसमें अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार कर्मचारी और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन दोनों के सहयोग पर बहुत कुछ सफलता इसकी निर्भर है। यह सही है बहुत माने में कि इस योजना को सफल करने के

Page No 99

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए वातावरण सारा का सारा इस प्रकार का बनें वह अत्यन्त आवश्यक है। देश के अन्दर जब जनतन्त्र की शुरुआत हुई बहुत लोगों ने कहा कि हम एडल्ट फ्रेंचाइज़ हमारे देश में ला रहे हैं जहां पढ़े लिखे नहीं हैं और यह देश में नहीं चलेगी। लेकिन हमने इस बात को देखा कि हमारे देश में साउण्ड कामनसेन्स काफी है, प्रेक्टिकल कामन सेन्स, चाहे गांव वाले पढ़े लिखे कम हैं लेकिन उनमें व्यावहारिक ज्ञान है और उन्होंने अपने अपने हक पर फैसला किया और विकास के कार्यों में भी मैं निवेदन करूं कि जहां आपस के झगड़े कम हैं, जहां सरपंच काम करने वाले आये तो विकास खण्डों के अन्दर भी काफी सहयोग दिया है। राजस्थानके अन्दर हमने देखा है कि आज चारों तरफ इस प्रकार की स्थिति पैदाहुई हैकि काफी सहयोग मिला है। कहने का मतलब यह है कि तालाब, कुएँ, सड़कें आदि में काफी सहयोग दिया है। लेकिन वास्तव में सवाल इस बात का है कि मेटीटिअली किस चीज में सहयोग दें वह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मगर मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जीवन की पद्धति ऐसी बने कि गांव के रहने वाले समझें कि हमें गांव में निर्माण कार्य करने के लिए जनतन्त्रीय तरीके से अपने काम को करना है और वह जीवन का अंग बन जाता है तो वह सबसे ज्यादा स्वस्थ चीज होती है और हमारे देश के लिए एक शक्ति बन जाती है कि जो अगर ज्यादा से ज्यादा उतार-चढ़ाव आयें वह हमेशा जीवित रहेगी। तो इन पहलुओं पर जब हम विचार करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि स्कूल की बिल्डिंगों में कितना सहयोग मिला वह एक सवाल तो महत्व का है किसी हद तक लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां के लोग मिलजुल कर अपने विकास के लिए फैसला करें, अपने गांव को आगे बढ़ायें और अपने खुद का विकास, आर्थिक विकास, उनके वहां के प्रोडक्शन, खेत के प्रोडक्शन से लेकर सारे विकास का काम है उसके लिए भी यह बातें आ गईं उन सारी चीजों की तरफ हम उनका लक्ष्य लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत, महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करना होगा। हमने, माननीय सदस्य, इस सदन में फैसला किया कि सदन के माननीय सदस्य पंचायत समितियों के एसोसियेट मेम्बर्स होंगे। व्यक्तिशः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डीसेन्ट्रेलाइज्ड बॉडीज का संगठन ज्यों ज्यों एक तरह से परिपक्व होगा और ज्यों ज्यों इनीशियेटिव पैदा होगा हम जो इस सदन में बैठते हैं उन्हें वहां नहीं बैठना चाहिए। उनको खुद को इस विकास के काम के लिए छोड़ना है कि वह इस काम को करें। लेकिन यह शुरुआत का वक्त है। अब माननीय सदस्य पंचायत समितियों के एसोसियेटेड मेम्बर होंगे तो वह वहां बैठकर, जैसा मैंने निवेदन किया, आपस में सामंजस्य का वातावरण कायम करेंगे और जो सारे बिल के पीछे भावना है उसकी पूर्ति की दिशा में आगे जायें वह कार्यक्रम हम सक्रिय रूप से उनमें बैठकर सलाह के रूप में कर सकते हैं और स्वयं की इच्छा को थोपने का प्रयत्न नहीं करें। क्योंकि वह अगर किया जायेगा तो उनमें यह भावना आयेगी कि एम० एल० ए० आकर अपनी बात को मनवाते हैं और चाहे वह सही हो या गलत हो। यह मानता हूं कि उनको यह काम करने में कुछ समय लगेगा लेकिन आगे जाकर उसमें से रास्ता निकलेगा। इसके

Page No 100

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए हमने कई कैम्पों में ट्रेनिंग दी और हम कुछ दिशा में आगे बढ़े लेकिन वास्तविक ट्रेनिंग पंचायत समितियों में काम करने से मिलने वाली है। वह वास्तविक ट्रेनिंग की शुरुआत २ अक्टूबर के बाद होने वाली है। एक आदमी कोई नया काम करता है तो शुरू में गलती करेगा लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको काम करने के लिए अवसर दिया गया और राजनैतिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से उनके अन्दर उखाड़-पछाड़ करने का प्रयत्न नहीं किया तो उनमें शक्ति का निर्माण होगा।

दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह हो सकता है कि जो पंचायतें छोटी छोटी इकाई होती हैं और आगे और भी छोटी इकाई करने जा रहे हैं तो मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि हम जातीयता को और साम्प्रदायिकता को, इन दो भावनाओं को भी दूर करके चलें। क्योंकि जनतन्त्र और जातीय भावनायें और उसके साथ साथ साम्प्रदायिक भावनायें यह समाजवादी व्यवस्था और जनतान्त्रिक प्रणाली दोनों का विरोधाभास है और अगर वह चीजें होती हैं तो एक तरह से हम उसकी जड़ों को कमजोर कर देते हैं और जब सब ने काफी जोर से इस मामले में कहा है तो यह एक शुरुआत हो रही है और उस शुरुआत में हमारा ठीक तरह से इन चीजों की तरफ अपना ध्यान रहा तो मैं आशा करता हूं कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह गलत नहीं है। गांवों को शक्ति मिलनी चाहिये, इसमें मतभेद नहीं है। उसके बाद में सरकारी तंत्र का सहयोग होना चाहिये सहयोग ही नहीं सरकारी तंत्र को एक तरह से आदेश देना है और सरकारी तन्त्र को पूरा करना है। यह सरकारी तंत्र को समझकर चलना होगा और जो सरकारी तन्त्र वहां पर है वह समझे कि वहां रहकर उन्हें अपनी भावनाओं को पूरा करवाना है तो वह गलत होगा। इसलिए सरकारी कर्मचारी हैं वह तो एग्जीक्यूट करने वाली ऑथोरिटी है और फैसला करने वाली ऑथोरिटी पंचायत समिति है। इन परम्पराओं का जो भी एम० एल० ए० वहां जाता है इन चीजों को स्पष्ट करने में काफी महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। मुझे आशा है कि इस दिशा में हम प्रयत्नशील होंगे और उसका परिणाम भी ठीक तरह से आयेगा।

पटवारियों के अधिकार के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि एक माने में अधिकार की दृष्टि से सोचते हैं लेकिन वास्तविक बात यह है कि देश का सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का उत्पादन बढ़े और आर्थिक स्तर ऊंचा हो। आज देश की आर्थिक स्थिति ऊंची करने के लिए उत्पादन बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक बात है। आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि न्याय का कार्य और एग्जीक्यूशन वर्क्स दोनों एक साथ होना उचित नहीं है। इस दृष्टि से कि अगर वह दोनों साथ साथ चलते हैं तो उनका ध्यान न्याय वाली शक्ति में ज्यादा जाने वाला है और दूसरे में कम ... ...।

मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पुलिस का इन्सपेक्शन और पटवारियों के ऊपर कब्जेवाली बातों को मुख्य बना दें तो विकास के कार्यक्रम की बात अलग चली गई और मुख्य कार्यक्रम वह बन जायगा, और इस प्रकार से पुलिस का जैसा कि आप जानते हैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन पज़ सच कोई स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि चौकीदारी सिस्टम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की तरह कुछ गांव के अन्दर अलग प्रकार की व्यवस्था हो जैसी कि कुछ देशों में है कि आर्म्ड पुलिस अलग होती है और बाकी पुलिस स्वायत्त शासन संस्थाओं के अन्दर चलती है। लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेशन की हम जो कल्पना करते हैं कि जिसमें शासन-विहीन स्थिति पैदा हो जाय वह स्थिति नहीं होती है, क्योंकि सब फेक्टर्स को सामने रखकर चलना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सामने रखकर चलना पड़ेगा।

जिस स्टेज पर हम कानून पास कराने जा रहे हैं तो कुछ अधिकार कलेक्टर के और कुछ गवर्नमेंट के रखे उन पर चर्चा हुई कि इतने अधिकार नहीं रखें। आज हम यह जानते हैं कि ऐसी स्थिति भी आती है जहां, सदन के सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि कार्यवाही करने की जरूरत है। अगर कार्यवाही नहीं करते हैं और सारी स्थिति को ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कुछ कन्ट्रोल की दृष्टि से इसको रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ अधिकार रखे गये हैं उनका इस जनतंत्र को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उपयोग होने वाला है। इनका सरकार की तरफ से कोई दुरुपयोग नहीं होगा, चूंकि हम आज इसी प्रणाली से चलना चाहते हैं, और आगे चलाने के लिए सदस्यों से बल प्राप्त होगा। इसमें खतरे जैसी बात का अनुभव नहीं करना चाहिए। जिस बात की हमने शुरुआत की है उसकी हम सफलता चाहते हैं। हमने इसको शुरू किया तो इसलिए नहीं किया है कि अधिकारों के जरिये किसी चीज़ को दबाने के लिये और परिणाम लाने के लिये किया है, वरना हम नहीं करते। आज बहुतसी जगह नहीं हुआ है। हमारे यहां पर भी फैसला हो सकता है कि नहीं करेंगे या उसको सीमित कर देते, कम चीज में कर देते, लेकिन हमारी यहां इस प्रकार की भावना नहीं है। उस भावना को लेकर हमने इस दिशा में सोचा है।

जमीन के एलॉटमेंट का प्रश्न आया। जमीन के एलॉटमेंट के बारे में जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है आज के दिन भी जो एलाटमेंट किया जाता है, उसमें भी पंचायतों के सरपंच को सामने रखा जाता है। गिरदावरी जो की जाती है उसके लिए आदेश है कि वहां के सरपंच को शरीक रखा जाय। सरपंच अगर नहीं हो तो किसी पंच को शरीक रखकर किया जाय। वह सहयोग लेकर काम करे। एक केन्द्र को लेकर यह रखा है कि वहां के प्रतिनिधि को पटवारी साथ में रखे। वह एक बात है।

स्टेच्युटरी तरीके से कहे कि सारे के सारे कार्यक्रम उनके पास होने चाहिए तो यहां पर लैण्ड रेकार्ड तैयार करने की बात होती है, उनकी सत्ता और अधिकारों की बात होती है। जिनके पास जमीन है तो उस जमीन के बारे में अपील और दूसरी कई व्यवस्थाओं को रखा है चेक करने के लिए। आज बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इनकी वजह से, स्टेच्युटरी तरीके से डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं किया है।

फिर कुछ माननीय सदस्यों के दिल में यही खयाल था कि अस्पृश्यता के बारे में छूआछूत के बारे में एक विशेष व्यवस्था इसमें नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी है। बेकवर्ड क्लासेज की बात कहते हैं तो जनरली आ जाती हैं सभी वेलफेअर की दूसरी चीजें भी। लेकिन समय समय पर सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि वहां पर कोई भी हरिजन भाई है या दूसरे हैं उनके साथ में ज्यादती की बात नहीं की जाय, क्योंकि यह केन्द्रीय विषय भी है और राजकीय विषय भी है जिसकी तरफ देखा जाना चाहिए कि कोई भी उनके साथ मिलकर दुरुपयोग करे या दुर्व्यवहार करे वह स्थिति आनी नहीं चाहिये। इसलिए हरिजन भाइयों के दिमाग में किसी प्रकार की भ्रान्ति रहने का प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि विकेन्द्रीकरण होने से ज्यादतियां बढ़ जायेगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में यह अधिकार दिया है कि चुनकर नहीं आये तो बराबरी के दर्जे से वहां पर बैठने का अवसर दिया जाय। वह खुद में बड़ा भारी परिवर्तन कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर रहे हैं। वे पंचायत समिति में एक साथ बैठेंगे। गांव के लोग एक साथ बैठने में बहुतसे झिझकते हैं और कई बातें पैदा होती हैं। लेकिन इसके बाद पंचायत समिति में एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। उससे भी यह शंका साफ हो जाती है। हमारे देश में दूसरी कई चीजों ने लोगों के दिमाग में परिवर्तन किया है, समय ने परिवर्तन किया है। महात्मा गांधी ने जो कुछ देश को सिखाया और जो व्यवहार में आया उससे भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो एडल्ट फ्रेन्चाइज आया है, इस एडल्ट फ्रेन्चाइज ने क्रांन्तिकारी परिवर्तन किया है। हरिजनों के पास जाना छोड़कर पहले बात नहीं करते थे वह भी जाने लगे। यह सोचने की बात अब नहीं है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा। इस व्यवस्था की वजह से वहां जाकर दिक्कत होगी, मैं समझता हूं कि मानने का कारण नहीं है।

न्याय पंचायतों के बारे में आज भी फिर से यहां पर चर्चा आई कि न्याय पंचायतें अलग जल्दी से जल्दी की जांय। मैं शुरू में ही यह निवेदन कर चुका था कि आज की स्थिति के अन्दर तो न्याय पंचायतों को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं निवेदन करूं कि बहुत सी जगह की जानकारी ली गई तो इन दिनों हमारे यहां कई ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिसमें सिर्फ ४ पंचायतें हीं। पहले का जो निर्माण है वह कुछ इस प्रकार का हुआ कि जिसमें चार पंचायतें एक ब्लॉक के अन्दर हैं। एक न्याय पंचायत को अलग करें तो न्याय पंचायत के लिए कितने बड़े क्षेत्र को बचाया जाय। इसलिए कहा था कि जो कुछ पंचायतें बनेंगीं उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज वह करना मुश्किल है। आज जब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दे सकते थे, इसलिए उस प्रश्न के साथ में बतलाता हूं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तहसील पंचायत के सरपंच को कई जगह जहां जहां उसका क्षेत्र आता है वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जायगा। कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी होगी कि एक ब्लॉक में दो, दो, तीन तीन तहसील पंचायतों के सरपंच वोट देने के लिए आजायेंगे ऐसी स्थिति आ सकती है। उसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब तहसील पंचायत को रिप्रेजेन्टेशन हम वहां पर देते हैं तो पंचायत समिति से अलग रख दें यह कह कर कि उनका एक वोट होगा, वह तब हो सकता है जब कि एक प्रकार से अलग स्थिति

Page No 103

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होती। लेकिन इसके अन्दर मेरे खयाल से स्थिति कुछ जगह नहीं सभी जगह राजस्थान में आए ऐसा मानने का कारण इसमें भी नहीं होगा।

तो और ज्यादा कहूं उसकी, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है इस मौके पर। अंत में मैं फिर अपनी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान में जो एक नई क्रान्ति जिसे हम कहें उसकी शुरूआत के लिए हमने जो एक पहल की है कि गांव के अन्दर लोगों में प्रेरणा हो, काम करने की शक्ति बढ़े अगर उसके जरिए राज्य की और देश की शक्ति बढ़े, उसकी सफलता के अन्दर सदन के बाहर भी सभी माननीय सदस्य इस योजना को सफल बनाने में सहयोग देगें ऐसी मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आशा करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को अब पारित किया जाय।

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को पारित किया जाय

- (स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को पारित किया गया।

(करतलध्वनि)

(तदनन्तर ४ बजकर ४० मिनिट पर सदन की कार्यवाही दिनांक ४ सितम्बर, १९५९ के ११ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३ सितम्बर, १९५९)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नर्सेज स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाली छात्रायें।

नगरपालिका, चित्तौड़ द्वारा भूमि का वितरण।

तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर की सहकारी समितियां।

भाखरा प्रोजेक्ट से उपलब्ध होने वाली बिजली का वितरण।

श्री मिश्रीमल, पंच, तहसील पंचायत, साँचोर, जिला जालोर।

ग्राम नोखड़ा, बीकानेर डिविजन में आर. ए. सी. के हरिजन कॉन्सटेबिल की हत्या।

ग्राम मालावाड़ा, जिला जालोर में सेठ श्री ऊमाजी ओखाजी द्वारा निर्मित डिस्पेन्सरी।

निर्माण योजनाएं-राजस्थान नहर क्षेत्र।

श्री व्रजमोहन अग्रवाल, सहायक निरीक्षक, पंचायत विभाग उदयपुर की अपदस्थगी।

५६२ पादर जागीर, जिला सिरोही के वन से कोयला बनाने का ठेका।

गंगानगर में चने की खरीद तथा निकासी।

मोटर मजदूर सहकारी समिति, बूंदी द्वारा बूंदी-जैथल रूट हेतु दिया गया आवेदन-पत्र।

श्री गोविन्ददेवजी के मन्दिर, जयपुर से चुराए गए सामान की बरामदगी।

नगरपालिका, डूंगरगढ़ द्वारा जमीन का विक्रय।

औषधालय, पाली का 'ए' श्रेणी में परिवर्तन।

कारागृह, कोटपुतली के बन्दी।

सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, बनीपार्क, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा पाली में मजदूरों के निवास हेतु निर्मित मकान।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पाली।

स्कम्भ

शाहबाद दरवाजे से रेस्टहाउस, शाहबाद तक पक्की सड़क का निर्माण ।

नगरपालिका, सुजानगढ़ के विरुद्ध श्री मदनलाल भंवर द्वारा सड़क निर्माण सम्बन्धी की गई शिकायत ।

बाल सुधारक कारागृह ।

बहुउद्देशीय समिति, मोहनपुरा (किशनगढ़) की रकम का गबन तथा दुरुपयोग ।

पावटा-कोटपुतली मार्ग से कल्याण-पुरा खुर्द को सड़क द्वारा मिलाना ।

पुलिस विभग के सब-इन्सपेक्टर्स को युनिफाइड तथा रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स का न मिलना ।

बांसवाड़ा-माही नदी रपट निर्माण हेतु दिया गया ठेका ।

पुलिस विभाग के कॉन्सटेबिल्स तथा हैडकॉन्सटेबल्स के कर्तव्य तथा उनकी वेतन श्रृंखला ।

बाँसवाड़ा से सागरवाड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण ।

कोतवाली, सीकर में दायर हुए चोरी के मामले ।

सहकारी बैंक भरतपुर ।

मुन्सिफ न्यायालय, बांदीकुई ।

स्कम्भ

जिला जालोर में कृषि विज्ञान सम्बन्धी रकम की वसूली ।

निरीक्षक, सहकारी विभाग ।

पाली-नाडोल बस सर्विस रूट में ग्राम बूसी को सम्मिलित करना ।

ग्राम थारला -खेड़ली, तहसील दिगोद, जिला कोटा में पुराने बांध का जीर्णोद्धार ।

मोनार (अजमेर) बड़ा उदयपुर सड़क निर्माण ।

अखिल भारतीय भूमि अपहरण (Soil Erosion) सम्मेलन की सिफारिशों की अभिपूर्ति ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर ।

कृषि विभाग द्वारा टीनों की खरीद-जिला बांसवाड़ा ।

लालसोट डिस्पेन्सरी का डॉक्टर ।

जोधपुर नगर में पानी की व्यवस्था ।

जोधपुर नगर में बिजलीघर का निर्माण ।

जोधपुर नगर के पानी के पुराने नलों को बदलना ।

जल बोर्ड द्वारा जल-कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि-जिला गंगानगर ।

सहकारी समितीयां, तहसील नोहर, भादरा तथा हनुमानगढ़–जिला गंगानगर।

विधायी कार्य
राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

उपरोक्त विधेयक के तृतीय वाचन में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लियाः—

१. श्री मुरलीधर व्यास
२. रावराजा सरदारसिंह
३. श्री मूलचन्द डागा
४. श्री ज्वालाप्रसाद
५. श्री हीराभाई
६. श्री गिरधारी लाल
७. श्री भीमसेन
८. श्री शिवनाथ सिंह
९. श्री पी. के. चौधरी
१० श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
११ श्री जनार्दनराय नागर
१२. श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी
१३. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१४. श्री सम्पतराज
१५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
१६. श्री रामचन्द्र (१२६)
१७. श्री बी. एन. जोशी
१८. श्री परसराम

मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

तत्पश्चात् सदन की बैठक ४ बज कर ४० मिनट पर शुक्रवार दिनांक ४ सितम्बर, १९५९ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९५९ की कार्य-सूची

गैर सरकारी सदस्य कार्य (संकल्प)

———

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८० का उत्तर देखिए]

पदाधिकारियों [कार्यसमिति] की सूची

१ श्री देवरतनजी वोहरा	उम्र ४३
२ श्री चुन्नीलाल सोलंकी	२० साई जीग दिन पाली
३ श्री हरिसिंहजी	२६ रिंग ॥
४ श्री मदन जो	३० सालखाता
५ श्री मोती बाई	४१ ब्रोलोरूम
६ श्री बलभदासजी अरोड़ा	४२
७ श्री शंकरलालजी एम० एल० ए०	
८ श्री मोतीसिंहजी	३८ सालखाता
९ श्री जड़ाव बाईरिंग	३६ ।
१० श्री भैरूलालजी	२७ ।
११ श्री परसरामजी सालखाता	३५ ॥
१२ श्री इशरजी सालखाता	३२ ।
१३ श्री हरिसिंहजी ब्रोलोरूम	२७ ॥
१४ श्री नारायणदास रिंग	२९॥
१५ श्री फूलसिंह रिंग	२६॥
१६ श्री जगनाथसिंह सालखाता	४५ ।
१७ श्री रामस्वरुप सालखाता	३६ ।
१८ श्री वागसिंहजी सालखाता ।	३८
१९ श्री बुद्धीलालजी सालखाता ॥	३०
२० श्री कमाजी रिंग ।	३८
२१ श्री बुद्धरामजी पावरहाउस	३०

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८२ का उत्तर देखिए]

प्रश्न नम्बर २ में वर्णित शिकायत का विवरण

क. यह कि सोलिंग का एवं रोडी का एग्रीमेंट हमारी शर्तों एवं पी० डब्ल्यू० डी० के नियमानुसार किया गया था परन्तु सोलिंग का पत्थर ६ इंची के बजाय छोटे व खराब दिए गए हैं और रोडी ६ इंच के बजाय २ इंच से ४ इंच तक डाली गई है रोडी १।। इंच के बजाय ४–५ इंची तक की चौडी काम में ली गई वह भी खराब किस्म की रोडी काम में लाई गई है एवं सोलिंग में रोडी का पत्थर मिलाकर १२ इंच एवं सोलिंग होने के बाद १०।। इंच रहनी चाहिए थी जो मौके पर ७।। से ६ इंच तक है।

ख. सडक का कार्य सोलिंग और रोडी ६, ६ इंची के फर्मों से करना तय किया गया था परन्तु फर्मों से कतई काम नहीं किया गया जिससे सडक का उभार जो कि ३ इंच होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

ग. सडक के साथ साथ नालियां बनाना भी कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक पूरा होना चाहिए था परन्तु अभी तक भी नालियों का काम प्रारम्भ नहीं किया गया।

घ. ठेकेदार को इस सड़क का कार्य दिनांक ३० अप्रेल तक पूरा कर देना एग्रीमेंट के मुताबिक आवश्यक था परन्तु अभी तक भी कार्य पूरा नहीं किया गया है और नालियों का काम तो अभी तक बाकी ही पड़ा हुआ है। इसलिए कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक रुपया १५ प्रतिदिन के हिसाब से ठेकेदार को पेलेन्टी के देने चाहिए।

ङ उपरोक्त शिकायतों के होते हुए भी बोर्ड ने अधिकांश भुगतान ठेकेदार को कर दिया है जो कतई उचित नहीं अतः यह रुपया वापिस जमा किया जावे।

च. सरकार ने मद नम्बर ३ के अनुसार मुताबिक टेन्डर एवं पी० डब्ल्यू० डी० के नियमानुसार काम सन्तोषजनक न करने पर बोर्ड द्वारा ठेका मंसूख किया जाकर विभागीय तौर पर व अन्य तरीकों से कार्य को पूरा करने का अधिकार प्राप्त है। अतः ठेका मंसूख किया जाकर बाकी कार्य बोर्ड द्वारा कराया जावे। इकरारनामे के मुताबिक कमी पूर्ति ठेकेदार से वसूल की जावे।

————

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८८ का उत्तर देखिए]

1. The work will be carried out as per Raj. P. W. D. Specifications.
2. No condition of any sort except as provided in the printed contract form and in the Schedule of quantities will be entertained.
3. Any extra item will be paid on B. S. R. at tendered percentage.
4. Conditions given in percentage rate tenders form apply in full.
5. All rates are inclusive of all lead and lift.
6. Cement. Steel and R. S. Joists as needed shall be supplied at P.W.D. Store, Bhilwara at store rates and carriage to site of work shall be contractor's responsibility and liability. The rates provided in the Schedule are for finished items of work.
7. Sales tax and Octroi and other Local taxes or any other Govt. tax including Mining Depantment tax shall be borne by the contractor.
8. Contractor shall have to observe the labour laws of the State, and the labourers shall have to be paid monthly and shall have first lien on the bills of contractor in case of complaint about non-payment of wages is received by the Department.
9. If de-watering is done by the Department 35% above.
10. If de-watering is done by Contractor 50-/. above.

(Sd.) K. Sharma,
Superintending Engineer,
P.W.D., B&R, Udaipur.

(Sd.)/-
Signature of the Contractor,
S. M. Khan.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	समिति का नाम	नाम स्थान	ऋण जो दिया गया
१	बनानी बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि०	बनानी	१,१५० रु०
२	खैरना बहुधन्धी सहकारी समिति लि०	खैरना	१०,००० रु०
३	भीनमाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	भीनमाल	४,००० रु०
४	श्री रामदेव चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	रानीवाड़ा	५,००० रु०
५	प्रेम बहुधन्धी सहकारी समिति नरला	नरला	१०,००० रु०
६	चाणडा बहुधन्धी सहकारी	चाणडा	४,८०० रु०
७	करनी बहुधन्धी सहकारी समिति मडोवा	मडोवा	८,००० रु०
८	जगमैया बहुधन्धी सहकारी समिति कालेटी	कालेटी	६,००० रु०
९	रा बहुधन्धी सहकारी समिति	रा	१०,००० रु०
१०	दातया बहुधन्धी सहकारी समिति	दातया	८,००० रु०
११	भीनमाल उत्पादक सहकारी समिति लि०	भीनमाल	५,००० रु०
१२	किसान बहुधन्धी सहकारी समिति रानीवाड़ा	रानीवाड़ा	१०,००० रु०
१३	किसान बहुधन्धी सहकारी समिति लि० भीनमाल	भीनमाल	४,८०० रु०
१४	विकास बहुधन्धी सहकारी समिति	मालवाड़ा	सदस्यों ने अभी तक ऋण की मांग नहीं की।
१५	मंगल उत्पादक सहकारी समिति लि०	मालवाड़ा	,, ,,
१६	श्री जागेश्वर भेड नस्ल सुधारक सहकारी स० लि०	रायसीन	,, ,,
१७	जनता बहुधन्धी सहकारी समिति पंसेरी	पंसेरी	समिति ने ऋण की मांग नहीं की।

१८ नरसिंह घानी तेल सु० स० स० रायसीन	रायसीन	समिति के हिस्सा पूंजी ऋण हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान खादी बोर्ड को भेजा गया है।
१९ बरतन उत्पादक स० स० लि० भीनमाल	भीनमाल	समिति नई है।

———

परिशिष्ट ५

[कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिए]

LIST SHOWING THE DATES OF THE MEETINGS OF THE URBAN IMPROVEMENT BOARD.

1-10-58
8-10-58
25-10-58
26-10-58
29-10-58
5-11-58
7-11-58
19-11-58
28-11-58
1-12-58
10-12-58
15-12-58
24-12-58
8- 1-59
15- 1-59
31- 1-59
4- 2-59
11- 2-59
15- 2-59
11- 3-59
18- 3-59

APPENDIX II

Date of alotment	Name of the allottee	Plot No.	Scheme
1-10-58	Shri Wasudeo Mangharam	J-96	Fateh Tiba
,,	Smt. Dhaddo Bai	J-94	,,
,,	Shri M. L. Goyal	36	Harijan Coloni Hasanpura.
25-10-58	Smt. Mohan Kanwar	P-10	Scheme C
,,	Dr. L. R. Sarin	P-11	,,
,,	Shri Gordhan Lal I. P. S.	P-12	,,
,,	Shri Rajroop Singh R. J. S.	P 13	,,
,,	Shri Ramprasad	P-14	,,
,,	Shri Ramsingh Kaushik	P-4	,,
,,	Shri Yogesh Chandra	E-19	,,
,,	Smt. Gauri Puniya	5	,,
,,	Shri K. K. Joshi	G-21	Scheme C
,,	Dr. Roy	G-22	,,
,,	Shri Munnalal Arya	G-23	,,
,,	J. P. Arora	G-24	,,
,,	Shri Rajeshwar Prasad R. A. S.	1	Near Uniyara Garden
,,	Shri Niranjan Lal	2	,,
,,	Shri Sheo Ram Jain R. A. S.	3	,,
,,	Shri Umrao Mal Singhi	4	,,
,,	Shri Radhey Shyam Dangayach	5	,,
,,	Shri M. M. Verma	6	,,
,,	Shri Babu Lal Panghariya	7	,,

1	2	3	4
„	Shri Dr. Rathore	8	„
„	Shri Dutta I. P. S.	9	„
„	Shri V. R. Bhatnagar	10	behind deaf and dumb school
„	Shri Nauratan Verma	11	„
„	Smt. Chandravati Devi	12	„
„	Shri Chandra Shekhar	13	„
„	Shri Jagannath Singh Mehta	14	„
„	Shri Dr. Kakar	15	„
„	Shri Harinarain Acct.	16	„
„	Shri Kirpa Shanker	17	„
„	Shri Dalpat Singh	18	„
„	Shri Amar Singh Mehta	19	„
„	Snri Gulab Singh	20	„
„	Shri Ranjit Lal Gupta	21	„
„	Shri Hira Chand Dhandia	22	„
„	Shri Rajroop Tak	23	„
„	Shri Ratan Lal Jain	24	„
„	Shri Santosh Chandra	25	„
„	Shri Mehra Chand Dhandia	26	„
„	Shri Shashi Sunder Sharma	27	Near Gita Bajaj Happy School
„	Smt. Geeta Bazaz	20	„
„	Shri Dr. N. L. P. Bhatnagar	29	„

1	2	3	4
,,	Shri D. D. Gupta	28	,,
,,	Mangilal Jain	31	,,
,,	Dr. Rameshwar Prasad	32	,,
,,	Shri Umesh Narain Saxena	33	,,
,,	Shri Tej Bahadur	34	,,
,,	Shri Harbinder Singh	35	,,
,,	Shri Onkar Singh	1	Barodia Scheme
,,	Dr. Kailash Pareek	2	,,
,,	Shri Prem Chand	3	,,
,,	Shri Sethi	4	,,
,,	Shri Baney Singh Dhabhai	5	,,
,,	Shri Pahlad Rai R. A. S.	6	,,
,,	Shri Bhogi Lal Pandya	7	,,
,,	Mrs. Sarla Sinha	H—35	Banipark
,,	Shri S. S. Vyas	H—21	,,
,,	Shri L. N. Khatri	H—28	,,
,,	Shri Satya Narain Saksaria	E—14	,,
,,	Shri Mohanlal	H—43	,,
,,	Shri Somnath Chawla	H—33	,,
,,	Shri Sajjan Singh Kothari	H—30	,,
,,	Shri K. C. Agrawal	F—69	,,
,,	Shri Bhavdesh Prasad	H—36	,,

Page No 116

1	2	3	4
28—10—58	Shri Kashi Prasad Dy. S. P.	F—51	Banipark
,,	Shri Nanagram	F—64	,,
,,	Shri Radhey Shyam	F—66	,,
,,	Shri Prakash Chandra Jain	H—48	,,
,,	Shri G. D. Modi	F—24	,,
,,	Shri Shiv Kumar	F—66	,,
,,	Shri Baristo of water works	F—39	,,
,,	Shri Jainarain	F—29	,,
,,	Shri Mool Shanker Shastri	F—67	,,
,,	Shri Somnath Tikku	F—37	,,
,,	Shri T. M. Chaturvedi	H—60	,,
,,	Shri Chauthmal Bala Buksh	H—77	,,
,,	Shri Jainarain Tambi	H—87	,,
,,	Shri M. P. Joshi	H—64	,,
,,	Shri Govindsahai Pareek	H—76	,,
,,	Shri Nathuram	H—75	,,
,,	Shri Bhanwar Lal Vyas	F—26	,,
,,	Shri Ganga Prasad	F—70	,,
,,	Shri Ram Gopal	F—71	,,
,,	Shri Mohan Lal	F—72	,,
,,	Shri Harinarain Bhatnagar	H—73	,,
,,	Shri Tejnarain Tikku	H—71	,,
,,	Dr. Nand Narain Tikku	H—72	,,

1	2	3	4
,,	Shri Ram Kishore	F—73	Banipark
,,	Shri Ramesh Narain	F—49	,,
,,	Shri M. L. Gupta	F—63	,,
,,	,, Kedar Nath Trivedi	F—48	,,
,,	,, Durga Prasad	F—50	,,
,,	,, Samander Singh	F—56	,,
,,	,, Trilokeshwar Narain	F—57	,,
,,	,, Mahesh Narain	H—76	,,
,,	,, Narain Prakash	H—74	,,
,,	,, Miss Mukulika Sen	G—15	,,
,,	,, Prabhudayal	F—63	,,
,,	,, Khalid Mahmud	H—20	,,
,,	,, Ramprasad Rawat	H—50	,,
29—10—58	Shri Narain Veer	1	Khatipura Road
,,	,, Poney Singh I. P. S.	G—1 A	Banipark
5—11—58	Shri Sultan Singh I. P. S.	C—7	,,
,,	,, Umrao Singh Kaushik	J—50	Scheme C
,,	,, Bhanna Lal Pujari	J—49	,,
,,	Smt. Rukmani Devi Baori	J—48	,,
7—11—58	Shri Brahma Nand Shukla	E—25	,,
,,	,, Surendra Singh	13	,,
28—11—58	Shri Kusturmal Shah	4	Jaipur West Indal. area
12—12—58	Shri Dhanna Lal Pujari	J—49	,,
24—12—58	Shri Nisar Ahmad	J—163	Fateh Tiba

Page No 118

1	2	3	4
15— 1—59	Shri C. K. Bhanote I. A. S.	8	Moti Doongri
,,	Smt. Sethi	6	,,
,,	Shri P. T. Rajo	9	,,
,,	,, Shamsher Singh	10	,,
,,	Dr. B. P. Chaturvedi	11	,,
,,	Shri Vishnudutta Sharma	14	,,
,,	Mrs. Goyal	15	,,
,,	Shri C. R. Kumar Raju I. A. S.	15 A	,,
,,	,, Brijnandanlal Srivastava	16	,,
,,	,, B. D. Mathur I. A. S.	19	,,
,,	,, S. L. Ahuja	20	,,
,,	,, Major M. S. Jarg	22	,,
,,	,, Udai Singh I. P. S.	25	,,
,,	Mrs. Dr. Talwar	26	,,
,,	Dr. B. L. Rawat I. A. S.	28	,,
,,	Shri K. L. Baraya R. A. S.	30	,,
,,	,, Nandlal Mehta	31	,,
,,	,, Murlimanohar Bhargava	32	,,
,,	,, K. N. Bapna I. A. S.	40	,,
,,	,, Seth Sheonath	41	,,
,,	Dr. Miss Petters	42	,,
,,	Shri R. D. Bhatnagar,	43	,,
,,	Mrs. Indu Shekhar	44	,,
15— 1—59	Dr. Durga Lal Gupta	45	Moti Doongri

1	2	3	4
,,	Shri L. K. Verma	46	Moti Doongari
,,	,, B. V. Shah	47	,,
,,	Dr. Lalitkumar Kothari	48	,,
,,	Shri Padamsingh Sindhi R. A. S.	49	,,
,,	,, S. P. Singha I. P. S.	50	,,
,,	,, Girja Prasad	51	,,
,,	,, Laturkar	52	,,
,,	,, P. C. Kasliwal	53	,,
,,	,, S. K. Bhagat R. A. S.	54	,,
,,	,, Ratan Chand Mathur	55	,,
,,	,, Narain Das Mehta I. A. S.	57	,,
,,	,, Anandilal Rungta I. A. S.	58	,,
,,	,, Satya Narain Agarwal	59	,,
,,	,, Maha Ratan Parihar	61	,,
,,	,, Bahadur Mal	62	,,
,,	Dr. P. L. Jauhar	63	,,
,,	Shri Prakash Chandra Sogani	64	,,
,,	,, Satish Chandra Agrawal M.L.A.	65	,,
,,	,, Govind Prasad Sharma	66	,,
,,	Col. Hukam Singh	66-A	,,
31— 1—59	Shri Bhoma Ram	34	Fateh Tiba
,,	,, Gulab Mohmed	11	,,
,,	Smt. Rafiqa Begam	196	,,
,,	Shri Ladla Ram Dhobi	32	,,
,,	,, Mohammad Umar	65	,,
,,	,, Abdul Rahman	90	,,
,,	,, Ismail Khan	51	,,

Page No 120

1	2	3	5
,,	,, Basudeo	J–109	Banipark
,,	,, Kailashnath Bhargava	J–145	,,
,,	,, Uma Shanker	J–146	,,
,,	,, Dila Ram	J–130	,,
,,	,, Laxminarain	J–122	,,
,,	,, Kanhiyalal	J–149	,,
,,	,, Chand Behari Lal	J–187	,,
,,	,, Damodar Lohakan	J–178	,,
,,	,, Lekh Raj Khurana	J–183	,,
,,	,, Dr. Miss Surrendrajit Kaur	J–186	,,
,,	,, Bhonrilal Mistri	J–177	,,
,,	,, Mool Singh Overseer	J–189	,,
,,	,, Nathulal Mistri	J–91	,,
,,	,, Noor Mohd. Panter	J–98	,,
,,	,, Rakhib Raj Bhandari	J–93	,,
,,	,, Gordhan Das	J–119	,,
,,	,, Laxminarain	J–127	,,
,,	,, Gopal Lal	J–128	,,
,,	,, Mohan Singh	J–129	,,
,,	Shri I. L. Singh	J–124	,,
,,	Shri Tek Chand	J–180	,,
,,	,, Kanhiyalal Misra	J–181	,,
,,	,, Krishna Kumar Gupta	J–182	,,
,,	,, Prakash Chandra Godika	J–184	,,

1	2	4	
,,	,, Alladin	J—185	,,
,,	,, Bhagat Singh Narula	J—113	,,
,,	,, Prabhu Singh	J—190	,,
,,	,, Gopal Lal Sharma	J—89	,,
,,	,, Hari Narain Sharma	J—115	,,
,,	,, Harinarain Gupta	J—123	,,
,,	,, Ramdayal Sharma	J—90	,,
,,	,, Tara Chand	J—90	,,
,,	,, Shriniwas Shastri	J—122	,,
,,	Uma Pado Banerjee	J—125	,,
,,	,, Dharampal M. L. A.	J—108	,,
,,	,, G. Lawrence.	J—130	Labour colony.
,,	,, Basudeo	109	Fateh Tiba
,,	Smt. Dr. Asopa	5-A	Moti Doongri
,,	Dr. Rama	7-A	,,
,,	Shri Manganlal Nanavatty	13-A	,,
,,	Kamla Sharma	B—3	,,
,,	Shri Suresh Chandra Gupta	B—4	,,
,,	,, Nath Mal Gogani	B—5	,,
,,	,, Someshwar Sharma	B—8	,,
4— 2—59	Shri Raghubar Dayal	11	Moti Doongri
,,	,, G. N. Shivpuri	13	,,
,,	,, Harbans Talwar	16	,,
,,	,, K. C. Bakiwala	18—B	,,

1	2	3	4
,,	Dr. J. N. Rajdan	20	Moti Doongari
,,	Shri M. L. Bazdan	21	,,
,,	,, K. C. Jain	22	,,
,,	Smt. Chandrakanta Dandia	24	,,
,,	Dr. Sanwal Ram Soni	23	,,
,,	Shri Purrushottam Acharya	27	,,
,,	,, Girdhari Lal Agrawal	30	,,
,,	,, Sukhchand Mehta	32	,,
,,	Smt. Roop Kumari Mehta	33	,,
,,	Shri B. C. Handa	36	,,
,,	,, B. Chakravarty	37	,,
,,	,, J. N. Joshi	40	,,
,,	,, Prakash Goswami	44	,,
,,	,, Radhamohan Acharya	46	,,
,,	,, Panna Lal Bhargava	92	,,
,,	,, Ratan Lal	52	,,
,,	,, G. S. Shekhwat	53	,,
,,	Dr. D. Sharma	55	,,
,,	Smt. Rukmani Devi Baswada	56	,,
,,	Shri Surendra Sharma	57	,,
,,	,, Hazari Lal Bairathi	58—A	,,
,,	,, Mahabir Sahai Bairathi	59	,,
,,	Dr. D. C. Mathur	61	,,
,,	Shri Durga Shanker Vyas	62	,,

Page No 123

1	2	3	Moti Doongari
,,	,, Bipin Mohan Kulshreshtha	63	,,
,,	Dr. Mrs. Jawa	66	,,
,,	Shri Vashdeo Sharma R. A. S.	67	,,
,,	,, Ram Singh	68	,,
,,	,, Har Dayal Singh	69	,,
,,	,, Jaswant Singh	69—A	,,
,,	,, Vijai	71	,,
,,	,, Rameshwar Sharma	72	,,
,,	Dr. D. P. Mathur	73	,,
,,	Shri Harish Chandra Mathur	74	,,
,,	,, P. C. Gupta	76	,,
,,	,, Inder Singh Shekhawat R.A.S.	77	,,
,,	,, O. P. Bhargava	78	,,
,,	,, Ummed Singh Advocate	79	,,
,,	,, Inder Raj Acharya	82	,,
,,	,, Rakesh Sharma	83	,,
,,	,, N. L. Mathur	84	,,
,,	Dr. H. P. Gupta	85	,,
,,	Shri Chiranji Lal Kala	89	,,
,,	Dr. R. D. Nigam	90	,,
,,	Mrs. B. Kaul	94	,,
,,	Shri Naiyar	96	,,
,,	,, Ram Sanehi Kulshreshtha	97	,,
,,	,, Devi Singh	98	,,

1	2	3	4
"	" Devendra Vidyarthi	99	Moti Doongari
"	" B. L. Agrawal	101	"
"	" Hazari Lal Jain	102	"
"	Dr. K. B. Sharma	103	"
"	Shri Suresh Chandra Mathur R. J. S.	105	"
"	" Subh Karan R. A. S.	104	"
"	" Ratan Lal Kapoor	106	"
"	" Manohar Lal Gupta	107	"
"	Dr. B. P. Garg	109	"
"	Shri Hem Raj Sharma	108	"
"	Mr. Krishna Sehgal	110	"
"	Shri M. L. Solanki	111	"
"	Mrs. Gulati	113	"
"	Dr. B. P. Kaushik	114	"
"	Shri Ram Gopal Sharma	1 C Class	"
"	" Raj Prakash	6	"
"	" Shambhu Lal Sharma	17	"
"	" S. M. Jain	21	"
4—2—59	Shri Bharat Lal	24	"
"	" Govind Kant	26	"
"	" Radha Kant Sharma R.A.S.	27	"
"	" L. N. Bhargava	29	"
"	" J. P. Bhatnagar 30	30	"
"	" K. L. Chopra	31	"

1	2		3	4
„	„	K. K. Tewari	33	Moti Doongari
„	„	Chhutan Mal Bhatiya	35	„
„	„	Chand Narain	38	„
„	„	Chhail Behari Lal	39	„
„	„	K. C. Kumbhatt	40	„
„	„	Girdhari Lal Saraswat	42	„
„	„	Paramal	47	„
„	„	Shiv Kapoor	48	„
„	„	P. N. Singal	49 A	„
„	„	Ram Dutta Sharma	50	„
„	„	Jai Narain Gupta	51	„
„	„	Chand Behari Lal Gupta	42	„
„	„	Chiranji Lal Patni	53	„
„	„	Bahadur Singh M. L. A.	55 A	„
„	„	Amar Nath Janhari	54	„
„	„	Karan Chand Bhandari	56	„
„	„	Radhey Shyam Sharma	59	„
„	„	Badri Prasad Overseer	61	„
„	„	Narottam Acharya	62	„
„	„	Prithvi Dutt Gour	63	„
„	Shrimati	Mohan Devi Nagpal	63 A	„
„	Shri	Nathu Lal Paliwal	64	„
„	Smt.	Lalita Devi	64 A	„
„	Shri	Durga Lal	65	„

Page No 126

1	2	3	4
,,	,, S. C. Mittal	65 A	Moti Doongari
,,	,, J. K. Bhatnagar	66	,,
,,	,, Bhanwar Lal Tank	67	,,
,,	Smt. Savitri Sharma	71	,,
,,	Shri Umedmal	74	,,
,,	,, Divakar Sharma	75	,,
,,	,, Shankar Singh	78	,,
,,	,, K. L. Modi	79	,,
,,	,, Magan Lal Yadava	89	,,
,,	,, Prabhu Dayal	81	,,
,,	,, Durga Prasad	85	,,
,,	,, Swami Charan	83	,,
,,	,, Ram Karan Pareek	89	,,
,,	,, Hingo Rani	90	,,
,,	,, Amba Shanker Shrivastav	92	,,
,,	,, P. N. Singh	96	,,
,,	,, Chiman Lal	99	,,
,,	,, P. P. Keswani	100	,,
,,	,, Hari Prasad sharma	101	,,
,,	,, Rama Shanker	104	,,
,,	,, B. L. Srivastava	105	,,
,,	,, Gyarsi Lal	106	,,
,,	,, Devi singh	107	,,
,,	,, Rameshwar Dayal Sharma	110	,,

Page No 127

1		2	3	4
,,	,,	Kailash Prasad C. I. D.	114	Moti Doongari
,,	,,	Kashi Ram Bhatt	115	,,
,,	,,	Sarvan Lal Kasliwal	116	,,
,,	,,	Daulat Singh	119	,,
,,	,,	Sobhag Chandra Chordia	122	,,
,,	,,	Manohar Lal Mathur	120	,,
,,	,,	Gyan Chand Chordia	121	,,
,,	,,	Ram Narain Jhalani	123	,,
,,	,,	Dr. K. Peters	125	,,
,,	,,	G. L. Garga	127	,,
,,	,,	Damodar Lal Sharma	127 A	,,
,,	,,	Ridhkaran Singh	128	,,
,,	,,	V.D. Varma	129	,,
,,	,,	Ishwar Dass Swami	130	,,
,,	,,	Babu Lal Sharma	132	,,
,,	,,	Fateh Bahadur Saxena	133	,,
4—2—59	Shri	Krishna Murari Lal	134	,,
,,	,,	Hira Lal sharma	135	,,
,,	,,	Giriraj Saran Sharma	136	,,
,,	,,	Hari Charan Mathur	137	,,
,,	,,	S. L. Mathur	138	,,
,,	,,	B.L. Saraf	139	,,
,,	,,	Chiranji Lal	140	,,
,,	,,	R. K. Jain	141	,,

1		2	3	4
,,	,,	Bhuramal Saharia	142	Moti Doongari
,,	,,	Dinesh Chand Sharma	143	,,
,,	,,	L. P. Shrivastav	144	,,
,,	,,	S. S. Jodhawat	145	,,
,,	,,	Radhe Shyam Jauhri	146	,,
,,	,,	S.N. Jain	147	,,
,,	,,	Kapoor Chand Vaidya	149	,,
,,	,,	N.S. Sharma	150	,,
,,	,,	N.S. Pareek	151	,,
,,	,,	O.P. Kulshreshtha	152	,,
,,	,,	Murlidhar Sharma	153	,,
,,	,,	Ramesh Behari Lal	156	,,
,,	,,	Chandra Shekhar	158	,,
,,	,,	Radha Kishan Sharma	158 A	,,
,,	,,	Narendra Kumar	159	,,
,,	,,	S. S. Mathur	160	,,
,,	,,	Rameshwar Lal Purohit	161	,,
,,	,,	Ram Singh Jain	163	,,
,,	,,	Ishwari Prasad Sharma	166	,,
,,	,,	Ratan Lal Vijay	168	,,
,,	,,	Prakash Chand Mathur	169 A	,,
,,	,,	Ajit Kumar	171	,,
,,	,,	R. S. Nepalia	173	,,
,,	,,	Birj Kumar	174	,,

1	2	3	4
,,	Shri Jag Mohan Lal Mathur	175	,,
,,	,, Krishnaveer & Shyamveer Sharma	176	,,
,,	,, R. B. Chauhan	177	,,
,,	,, Pyare Lal Bhargava	178	,,
,,	,, S. N. Pushkarma.	179	,,
,,	,, Gauri Shanker	180	,,
,,	,, Satya Deva Bhardwaj	181	,,
,,	,, Chiman Lal	182	,,
,,	,, Shiv Charan	183	,,
,,	,, Chandra Prakash	184	,,
,,	,, S. N. Chaturvedi	185	,,
,,	,, Brij Kishore	186	,,
,,	,, Shiv Prasad Chaturvedi	187 A	,,
,,	,, Damodar Prasad	187	,,
,,	,, Kishori Lal	188	,,
,,	,, Amar Behari Saxena	190 A	,,
,,	,, Ram Sharma	190	,,
,,	,, Sardar Datt Mathur	191	,,
,,	,, Mahavir Prasad Shrivastva	193	,,
,,	,, Rama Shanker Nazir	194	,,
,,	,, Kapil Dev Vashishtha	195	,,
,,	,, Ramji Lal Sharma	196	,,
,,	,, Jagdish Prasad	197	,,
,,	,, Sardarmumbhatt	199	,,

1	2	3	4
,,	,, Gulab Chand	200	,,
,,	,, Sajjan Singh Chaudhary	201	,,
,,	,, S. L. Kaul	202	,,
,,	,, Anand Behari Lal Mathur	205	,,
,,	,, Kundan Das	206	,,
,,	,, M. P. Kala	207	,,
,,	,, Rajendra Kumar	208	,,
,,	,, Surendra Nath	209	,,
,,	,, Girdhari Lal Thakhar	210	,,
,,	,, Gyarsi Lal Rampratap	211 A	,,
,,	,, Manmohan Mathur	214	,,
,,	,, Ram Singh Bareth	215	,,
,,	,, Mahendra Kumar	216	,,
,,	,, Khuman Singh Mehta	217	,,
,,	,, Ramesh Shanker Mathur	219	,,
,,	,, Prakash Chandra Patni	221	,,
,,	Smt. Ram Kishori Bewa	222	,,
,,	,, Bhanwar Lal Mathur	223 A	,,
,,	,, Radhey Shyam Sharma	224	,,
,,	,, J. P. Dhawan	226 A	,,
,,	,, Durga Prasad Saxena	227	,,
,,	,, Bhagwat Swarup Lectt.	228	,,
,,	,, Nagendramal Mehta	229	,,

1	2		3	4
,,	,,	Ganesh Narain	230	,,
,,	,,	Badri Prasad Gupta	231	,,
,,	,,	Pratap Narain	232	,,
,,	,,	Brijraj Singh Chauhan	232 A	,,
,,	,,	Sohan Lal	233	,,
,,	,,	Bal Mukand Jaiman	234	,,
,,	,,	Gajendra Singh Chandel	235	,,
,,	,,	Keshavpuri Goswami	236 A	,,
,,	,,	Chandra Prakash Pandit	236	,,
,,	,,	Govind Singh Hada	238	,,
,,	,,	Roop Kishore	239	,,
,,	,,	Suresh Chandra Totuka	240	,,
,,	,,	Niamat Rao	241	,,
,,	,,	Ram Nath Bhargava	241 A	,,
,,	,,	Shanker Lal	242	,,
,,	,,	Radhey Shyam Bhatt	243	,,
,,	,,	G. C. Shivhare	244	,,
,,	,,	Vachaspati	246	,,
,,	,,	Shanker Sarup	245	,,
,,	,,	Dr. D. S. Abdulwalia	247	,,
,,	,,	Jagdish Prasad Mathur	248	,,
,,	,,	Sodhiyal Singh Advocate	249	,,

1		2	3	4
,,	,,	Munna Lal Gangwal	250	,,
,,	,,	Yogesh Chandra	J—8	Scheme C
,,	,,	Krishna Swaroop Saini	J—5	,,
,,	,,	Kerala Samaj Society	9	,,

———

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF YEARWISE APPLICATIONS PENDING IN U. I. B. OFFICE ON VARIOUS DATES OF ALLOTMENT SINCE 25-10-58 to 4-2-59.

APPENDIX III

No. of applications pending for various years.

Date of meeting on which allotments are made	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25-10-58	1	1	3	1	2	1	1	38	55	124	1626	Nil
26-10-58	1	1	3	—	—	—	1	33	49	119	1572	—
15—1-59	1	1	3	—	—	—	1	49	62	153	2287	212
31—1-59	1	1	3	—	—	—	1	50	63	150	2247	400
4—2-59	1	1	3	—	—	—	1	50	63	142	2247	430
No. of applications pending after allotments made on 4—2-59	—	—	2	—	—	—	—	25	51	129	2053	430

Note :—Allotments stayed by the Government on 17-2-59. Hence no further allotments made.

परिशिष्ट ६

[कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये]

नाम तहसील — नोहर तहसील

क्रम संख्या	नोहर	नाम सहकारी समिति	कितना ऋण दिया गया	तारीख ऋण देने की
	२.	३	४	५
१	नोहर	लालना बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
२	"	फाटी दीदान पुरा बहुउद्योग सहकारी समिति	—	—
३	"	दलपत बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
४	"	ब्रह्मा बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
५	"	रावतसाय बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
६	"	टोपरिम बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
७	"	इहां बहु उद्योग सहकारी समिति	—	—
८	"	पब्लिक बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	—	—
९	"	रामगढ़ बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	—	—
१०	"	गरखाना बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	—	—
११	"	भान बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	—	—
१२	"	निर्मला बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	—	—
१३	"	जनता चिमनी भट्ठा सहकारी समिति लि०	—	—
१४	"	दी ग्रामोधान चिमनी भट्टा सहकारी समिति	—	—
१५	"	सुभाष मोटर ट्रान्सपोर्ट को० सो० लि०	—	—
१६	"	बसवा बहु उद्योग सहकारी समिति	१८०००)	२१-७-५६
१७	"	बहु उद्योग सहकारी समिति लि०सदुलपुरा	—	—
१८	"	सरदारपुरा बस बहु उद्योग सहकारी समिति	१८०००)	२१-७-५६
१९	"	दी पाटरिय सहकारी समिति	—	—

सूची परिशिष्ट (क)
(तारांकित प्रश्न संख्या १७१ ए० टी० एम०)

क्रम संख्या	नाम तहसील	नाम सहकारी समिति	कितना ऋण दिया गया	तारीख ऋण देने की
१	२	३	४	५
१	हनुमानगढ़	चकीरासिंह वाला को० सो०	६०००)	१६-८-५६
२	,,	करणवाला को० सो०	४०२५)	५-३-५६
३	,,	जन्दवाला को० सो०	१०२५०)	१६-८-५८
४	,,	सामन्द नगर को० सो०	७४००)	१७-६-५८
५	,,	इन्द्रगढ़ को० सो०	—	—
६	,,	सहापिनी को० सो०	६८००)	२२-१०-५८
७	,,	मोरजनक खां को० सो०	६०००)	६-८-५६
८	,,	दी को० सो० हिरना वाला	८४८०)	५-१-५८
९	,,	दी को० सो० धोलीपाल	२४३०)	१-७-५८
१०	,,	दी को० सो० इन्द्रपुरा	२००००)	१६-१-५६
११	,,	दी को० सो० नाथवाना	१२५५०)	२८-१०-५७
१२	,,	दी को० सो० चकमनुका	६८८६)	२२-१०-५६
१३	,,	दी को० सो० हीरनावली अतन	५०००)	२६-३-५७
१४	,,	दी को० सो० पसका सारना	८०००)	६-८-५६
१५	,,	दी को० सो० देवली वाव पेमा	५८००)	६-४-५८
	,,	दी को० सो० छीमा मदा	—	—
१६	,,	दी को० सो० चप्पनवाली	५६५०)	२-१-५८
१७	,,	दी को० सो० कलवासियां	६१००)	२२-१०-५६
१८	,,	दी को० सो० मनियानवाली	—	—

Page No 136

१		२	३	४
१६	,,	दी को० सो० नरायनगढ़	१५०००)	१७-८-५८
२०	,,	दी को० सो० कल्यानवाली	७५००)	१७-६-५७
२१	,,	दी को० सो० मोर जब खलरियान	—	—
२२	,,	दी को० सो० परसाभाड्वान	१८०००)	२२-६-५४
२३	,,	दी रिफ्यूजी को० सो० तलवारगढ़	—	—
२४	,,	छोलियान वाली बी० बी० एस० एस० लि०	८०००)	२५-६-५७
२५	,,	माली बहु सहकारी समिति लि०	१४०००)	५-६-५८
२६	,,	बगलामवाली बी० बी० एस० एस० लि०	७०००)	६-८-५६
२७	,,	किशनपुरा वीसाना बी० बी० एस० एस० लि०	८६२०)	३०-७-५६
२८	,,	थावर बी० यू० एस० एस० लि०	७०००)	१७-६-५८
२६	,,	मानक सर्व बी० यू० एस० एस० लि०	७८५५)	१-६-५६
३०	,,	अमर सामूहिक के० एस० एस० लि० टिब्बी	—	—
३१	,,	फतेहगढ़ बचखरियान बी० यू० एस० एस०	४०००)	६-८-५६
३२	,,	सगरियां हरिजन लि० सहकारी समिति	—	—
३३	,,	सेलीवाली बी० यू० एस० एस० लि०	१०३४८)	३०-७-५६
३४	,,	नगराना बी० यू० एस० एस० लि०	१४०००)	१२-१-५६
३५	,,	आर्यवाली धानी लि०	४५००)	१७-६-५८
३६	,,	रामसारा लि०	६५६०)	२३-८-५६
३७	,,	वसीर लि०	—	—
३८	,,	देवली राठन लि०	११०००)	११-६-५८
३६	,,	हरिजन लि०	११७७०)	४-२-५७
४०	,,	सारनों बहु सहकारी समिति लि०	—	—

१		२	३	४
४१	,,	मसासर बी० यू० एस० एस० लि०	१६०००)	२०-७-५६
४२	,,	किशनपुरा बी० यू० एस० एस० लि०	२५०००)	६-८-५८
४३	,,	अन्दवाली देविड बी० यू० एस० ए० लि०	—	—
४४	,,	बीर भारत सेंक आदर्श एस० के० एस० एस० लि०	२०००)	२१-५-५६
४५	,,	देवलीवास चकता बी० यू० एस० एस० लि०	—	—
४६	,,	भागीरथ बहु सहकारी समिति लि०	६२००)	४-८-५८
४७	,,	श्री दुर्गा सैनिक सामूहिक कृषि सह० स० लि०	५०००)	१५-१-५७
४८	,,	घोराकियान बहु० स० स० लि०	६४००)	४-६-५८
४९	,,	नॉरदन रेलवे एम्पॉलाइज को० सो० लि०	—	—
५०	,,	प्रताप नगर बहु० स० स० लि०	१२८००)	६-८-५६
५१	,,	नुकरा बहु० स० स० लि०	—	—
५२	,,	हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी विक्रय संघ लि०	१८७५०)	३१-३-५८
५३	,,	अलीपुर बहु सहकारी समिति लि०	—	—
५४	,,	हरिजन बहु सहकारी समिति लि० भोरकियान	६०००)	—
५५	,,	नूरपुर धानी सहकारी समिति लि०	३६००)	२७-७-५६
५६	,,	नव निर्माण सहकारी भट्टा समिति लि०	१००००)	—
५७	,,	श्री गुरु नानक भूतपूर्व सैनिक कृषि समिति लि०	—	—
५८	,,	जवाहर सैनिक समिति कृषि लि०	—	—
५९	,,	प्रताप सैनिक कृषि सहकारी समिति लि०	—	—
६०	,,	तिलक बहु सहकारी समिति लि०	—	—
६१	,,	जय भारत सैनिक कृषि सामूहिक स० लि०	—	—
६२	,,	हरिजन बहु सहकारी समिति लि० रामसारा	१७००)	१२-१-५६

१	२	३	४	५
६३	,,	फतहपुर बहु सहकारी समिति लि०	७०००)	१६-८-५६
६४	,,	श्री गुरुसर बहु सहकारी समिति लि०	३५०.०)	१२-१-५६
६५	,,	भागसार सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी स० लि०	—	—
६६	,,	सन्तपुरा बहु सहकारी समिति लि०	—	—
६७	,,	जवाहर बहु सहकारी समिति लि०	—	—
६८	,,	आदर्श भारत बहु सहकारी समिति लि० देवलीगठन	—	—
६९	,,	बजरंग बहु सहकारी समिति लि०	—	—
७०	,,	हरिजन बहु सहकारी समिति लि०	—	—
७१	,,	गुरूनानक बहु सहकारी समिति लि०	६५००)	३१-७-५८
७२	,,	सूर्यवाली बहु सहकारी समिति लि०	—	—
७३	,,	मसनी बहु सहकारी समिति लि०	—	—
७४	,,	प्रभात मोटर ट्रान्सपोर्ट को० सो० लि०	—	—
७५	,,	सन्तपुरा ट्रान्सपोर्ट को० सो० लि०	—	—
७६	,,	भागीरथ बिरगिया को० यू० एस० एस० लि०	—	—
७७	,,	अवरगढ़ बहु सहकारी समिति लि०	११५००)	६-८-५६
७८	,,	हनुमानगढ़ बहु सहकारी समिति लि०	६०००)	६-८-५६
७९	,,	भारत चिमनी भट्टा उत्पादन के० एस० एस० लि०	—	—
८०	,,	गौतम दुग्ध सहकारी समिति लि०	—	—
८१	,,	सादुल शहर सुपरवाइजिंग को० यूनियन	—	—
८२	,,	हनुमानगढ़ ,, को० यूनियन	—	—
८३	,,	सागरियां चिमनी भट्टा उत्पादक के० एस० एस०	—	—
८४	,,	बरार सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	—	—
८५	,,	चिस्टीयन बहु सहकारी समिति लि०	—	—
८६	,,	श्री राम बहु सहकारी समिति लि०	५०००)	१२-१-५६

१		२ ३	४	५
८७	,,	श्रमिक ठेका स० स० लि० एच० एम० एच०	—	—
८८	,,	मल्लर खेड़ा बहु सहकारी समिति लि०	—	—
८९	,,	गुरुनानक चेमेन्सी भाटा सहकारी पिसरामिया लि०	—	—
९०	,,	सर्वसे दुग्ध सहकारी समिति लि०	—	—
९१	,,	भगतपुरा सहकारी समिति लि०	—	—
९२	,,	भकराम वाली बहु उद्योग स० स० लि०	—	—
९३	,,	इन्द्रपुरा बराठ बहु सहकारी समिति लि०	१३५००)	१८-७-५९
९४	,,	बराठ बहु उद्योग स० स० लि०	—	—
९५	,,	कनाल कॉलोनी एम्प्लॉईजेज को० सो० हनुमानगढ़ लि०	—	—
९६	,,	लीलन वाली बराठ बहु उद्योग स० स० लि०	—	—
९७	,,	टीफी बराठ बहु उद्योग स० स० लि०	१००००)	२०-७-५९
९८	,,	धोलीपाल बहु० उद्योग स० स० लि०	—	—
९९	,,	लखीत कृषि चेमन्सी भट्टा स० स० लि०	—	—
१००	,,	सर्वोदय श्रमिक ठेका स० स० लि०	—	—
१०१	हनुमानगढ़	भगर मोटर ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी लि० प्रकामारिया	-	-
१०२	,,	राष्ट्रीय भदुना सहकारी समिति लि०	-	-
१०३	,,	हनुमानगढ़ चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०	-	-
१०४	,,	खालसा बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	५०००)	६-८-५९
१०५	,,	सरूणा चर्म भट्टा सहकारी समिति	-	-
१०६	,,	सरूणा एग्रीकल्चर एम्प्लायमेंट फक्टेर कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०		
१०७	,,	महावीर चर्म भट्टा सहकारी समिति लि०		
१०८	,,	पाटली बहुउद्योग सहकारी समिति		
१०९	,,	विकास कृषि सहकारी समिति धोलीपाल	-	-
११०	,,	गांधी ट्रीन्टे कृषि सहकारी समिति लि०	-	-
१११	,,	ग्रुप नं० १ कृषि सहकारी समिति लि०	-	-

१	२	३	४	५
११२	,,	ट्रीन्टे कृषि सहकारी समिति लि०	–	–
११३	,,	ग्रुप नं० २ कृषि सहकारी समिति लि०	–	–
११४	,,	ग्रुप नं० ३ ट्रीन्टे कृषि सहकारी समिति लि०	–	–
११५	,,	ग्रुप नं० ४ ,, ,, ,, ,, ,	–	–
११६	,,	,, ,, ,, ,, ,,	–	–
११७	,,	जन सेवा भट्टा सहकारी समिति टीजनवाली	–	–
११८	,,	श्री गनेश चेमनी भट्टा समिति लि०	–	–
११९	,,	न्यू भारत चेमनी भट्टा सहकारी समिति लि०	–	–
१२०	,,	नवयान बहु उद्योग सहकारी समिति लि०	–	–
१२१	,,	गांधी ट्रीन्टे कृषि सहकारी समिति लि०	–	–
१२२	,,	सुभाष ,, ,, ,, ,, ,,	–	–
१२३	,,	मवीर ,, ,, ,, ,, ,,	–	–
१२४	,,	आर्य ,, ,, ,, ,, ,,	–	–
१२५	,,	कृष्णा ,, ,, ,, ,, ,,	–	–
१२६	,,	प्रताप ,, ,, ,, ,, ,,	–	–
१२७	,,	पटेल ,, ,, ,, ,, ,,	–	–

तहसील भादरा

१	२	३	४	५
१	भादरा	बहु उद्योग सहकारी समिति लि० जोगीपाल	–	–
२	,,	कृष्णा दुग्धशाला स० स०	–	–
३	,,	बहु उद्योग सहकारी समिति लि० मोहरवा	–	–
४	,,	बहु उद्योग सहकारी समिति लि० करणपुर	–	–
५	,,	राष्ट्रीय भारत श्रमिक सामूहिक कृषि समिति	–	–

१	२	३	४	५
६	,,	कृषिक उद्योग चिमनी भट्टा सहकारी समिति	–	–
७	,,	बिहार पुरा बास हाथ कागज उत्पादक स० स०	–	–
८	,,	राजस्थान नव निर्माण चिमनी भट्टा स० स०	–	–
९	,,	दी भारत बस ट्रान्सपोर्ट को० सो० लि०	–	–

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३ सितम्बर, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४०४७	१२	नहीं	नहीं
४०५५	३	May	My
४०५५	अन्तिम से ६	निम्नालिखित:	निम्नलिखित
४०५६	,, ३	ने की व्यवस्था	की व्यवस्था
४०५८	७	सेसाइटीज़	सोसाइटीज
४०५८	१३	परिमिट	परमिट
४०६३	अन्तिम से २	परिवतित	परिवर्तित
४०६४	२	व्यवस्था	व्यवस्था
४०६५	२२	Subbmitted	Submitted
४०६८	१८	इन्फोमेंशन	इन्फोर्मेशन
४०७२	१४	बहुउद्देशीय सोसाइटी	बहुउद्देशीय सोसाइटी
४०७६	१४	निमाण	निर्माण
४०७६	२२	द्वरा	द्वारा
४०७८	६	श्री नाथ्राम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
४०७८	१७	ट्युटीज	ड्युटीज
४०८३	७	nom nated	nominated
४०८३	१०	A when did	when did
४०८३	२२-२३	(श्री दौलतराभ सारण)	श्री दौलतराम सारण
४०८४	१०	iu	in

१	२	३	४
४०८८	१६	बन्ध	बान्ध
४०८६	प्रथमतः	भी पुरुषोतमलाल शर्मा	(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)
४०६२	४	आग्रार	आधार
४०६७	६	हनुमा नगट	हनुमानगढ
४०६६	शीर्षक	३ ि तम्बर ५६	३ सितम्बर, ५६
४१०४	१	रुपों	रुपयों
४१०७	२	मैं	में
४१०७	८	किस किस किस तारीख	किस किस तारीख
४१०७	१०	रखें	रखें
४१०६	१६	मेजा	भेजा
४११३	१०	बतान	बताने
४११३	२१	नोहर	१. नोहर
४११३	२४	जिनकी	इनकी
४१२४	४	द्दष्टिकोण	दृष्टिकोण
४१२४	२०	नहीं	नहीं
४१२६	१६	दृटिकोण	दृष्टिकोण
४१२६	२२	भ्रष्ाचार	भ्रष्टाचार
४१४०	२२	हस	इस
४१४०	२२	कर्त्तंगों	कर्त्तव्यों

१	२	३	४
४२१३	अन्तिम से ६	बैठेर तो	बैठे रहे तो
४२१६	३	आदन	आदान
४२१६	२०	आवश्यता को देख	आवश्यकता को देख कर
४२१७	१	राजनैतिन	राजनैतिक
४२१७	१	विकेन्द्रीकण	विकेन्द्रीकरण
४२१७	४	मैं बतान	बताना
४२१८	५	थों	थीं
४११६	२०	वाले	वालों
४२२१	१७	चहते	चाहते
४२२२	१५	एसे	ऐसे
४२२५	१२	टेम्पो क्रीएट जनता में	टेम्पो जनता में क्रीएट
४२२६	१२	एक्जीक्यूटि	एग्जीक्यूट
४२२७	१४	डिस्क्रिशनरी	डिस्क्रिशनरी
४२२८	१३	की बने गई हैं	की गई हैं
४२२८	अन्तिम से ७	एक्जीकूट	एग्जीक्यूट
४२२६ व ४२३०	प्रथमतः	(श्री रामचन्द)	(श्री बी. एन. जोशी)
४२३०	११	जिल	जिला
४२३०	१२	समिति को	समिति का
४२३४	५	राजम्थान	राजस्थान
४२३६	अन्तिम	पंचायत को सही माने	पंचायत का सही मायने

१	२	३	४
४२४०	अन्तिम से ४	कर्गचारी	कर्मचारी
४२४१	२१	मेटीटिअली	मेटीरिअली
४२४४	अन्तिम से ६	बब्जेवाली	कब्जेवाली
४२४४	,, ,, ४	कार्यका	कार्यक्रम
४२४६	,, ,, ८	चेक	चैक
४२४७	१	बेकवर्ड	बैकवर्ड
४२४७	६	मिलक	मिल कर
४२५५	३	गंमानगर	गंगानगर
४२५६	१४	Depantment	Department
४२६३	१६	Shri Munnalal Arya	Shri Munnalal Arya

—o—